गुरुवार, 09 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(28 फरवरी, 2013 ई0)

खण्ड-483
अंक-09

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं, जो पढ़ी हुई मानी गईं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	कुम्भ मेला हेतु स्वीकृत बजट को इलाहाबाद जनपद में स्थाई निर्माण कार्यों हेतु ही व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री धर्मपाल सिंह	आंवला विधान सभा क्षेत्र में रामनगर स्थित अहिक्षेत्र पांचाल प्रदेश में द्रोपदी स्वयंवर थीम पार्क के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	डा0 अरूण कुमार	बरेली नगर निगम में पेयजल संकट दूर किये जाने हेतु 200 नये डीप बोर इंडिया मार्का नल लगाने एवं रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	जनपद बहराइच को राजधानी से जोड़ने वाले मार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या 28सी के क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5	ठा0 दलवीर सिंह	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में अन्तरजनपदीय योजना के अन्तर्गत एन0एच0-93 में क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

6	श्री दलजीत सिंह	जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के कतिपय ग्रामों एवं मजरों को सड़क से जोड़े जाने एवं उनका विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री राकेश बाबू	जल निगम फिरोजाबाद द्वारा टी0टी0एस0पी0 पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन की धनराशि विद्युत विभाग को न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के ग्राम तुस्सी की गढ़ी एवं रामपाल को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री ममतेश शाक्य	जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर में निर्मित पानी की टंकी को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री काली चरन सुमन	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के कतिपय सम्पर्क मार्गों को बनाये जाने एवं सीवर व्यवस्था को सुदृढ़ कराये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री यासर शाह	बहराइच-लखनऊ मार्ग पर घाघरा नदी पर अवैध तरीके से की जा रही पुलाही वसूली के सम्बन्ध में।
12	श्री राधेश्याम जायसवाल	जनपद सीतापुर के थाना रामकोट अन्तर्गत ग्राम जैती खैड़ा में ग्राम प्रधान द्वारा मिड-डे मील में किये गये खाद्यान्न घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री रमेश चन्द्र	जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में जलाशयों के सूख जाने से किसानों को सिंचाई में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
14	श्री मदन चौहान	जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा कराये गये सीवर कार्य के कारण सड़कों में हुये गड्ढों को बन्द करने हेतु मार्गों का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	जनपद बुलन्दशहर के चोला चौकी को थाना बनाने एवं चोला चौकी व थाना ककोड़ के बीच लगने वाले गांवों का पुनः परिसीमन करने के सम्बन्ध में।
16	श्री अमर पाल शर्मा	जनपद गाजियाबाद की वसुन्धरा कालोनी सेक्टर-7 एवं 8 में प्रस्तावित योजना वर्ष 1989 के अनुरूप आम जन सुविधायें उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 03 सूचनायें प्राप्त हुयीं।

श्री अगयश राम सरन वर्मा ने प्रश्न प्रहर में अल्पसूचित तारांकित एवं तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्नों हेतु समय-सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुये कहा कि प्रश्नों की पारदर्शिता बनाये रखने हेतु विभागों के साथ उनके अनुपूरक पूछे जाने हेतु समय निर्धारित होना चाहिये। उन्होंने सभी प्रश्नों हेतु समान समय दिये जाने हेतु कार्यवाही करने की मांग की। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न के महत्व एवं रुचि पर अनुपूरक पूछे जाते हैं। उन्होंने प्रश्न के सम्बन्ध में अनुपूरक पूछे जाने में समय निर्धारण हेतु दलीय नेताओं के साथ वार्ता करने की बात कहते हुये सूचना अग्राह्य की।

श्री राम चन्द्र यादव ने जनपद फैजाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच आख्या अभी तक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुये कहा कि सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि उसका वक्तव्य आये आठ माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियमावली के नियमों के अन्तर्गत सूचना दें। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

श्री अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री से पूछा कि क्या आज मुख्य मंत्री आय-व्ययक की साधारण चर्चा पर उत्तर भाषण देंगे ? इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वे दिनांक 04 फरवरी, 2013 को उत्तर भाषण देंगे।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुई :-

प्रदेश के अधिकांश शहरों में जल, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से पड़ रहे कुप्रभाव से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री प्रमोद तिवारी की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को उनके अनुरोध पर श्री अध्यक्ष ने स्थगित किया।

जनपद पीलीभीत में क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में मनरेगा अन्तर्गत खरीद फरोख्त में किये गये घोटालों से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री अगयश राम सरन वर्मा के कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन में लगभग 10 वर्षों से भूतपूर्व सैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) ने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि ये सभी सैनिक उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम, लखनऊ के हैं और संविदा पर कार्यरत हैं।

पूर्व सैनिक कल्याण निगम प्रत्येक सैनिक से प्रतिमाह 3 हजार कटौती करता है। इन्हें 6 माह से वेतन भी नहीं मिल रहा है। जिसके कारण इन्हें भरण-पोषण में कठिनाई हो रही है। यह 2003 से पावर कार्पोरेशन में नौकरी कर रहे हैं। अब इनकी सेवा समाप्त की जा रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन में 10 वर्षों से संविदा पर नियुक्त इन भूतपूर्व सैनिकों को विनियमित करने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुये प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

जनपद चन्दौली के ब्लाक नियामताबाद मुगलसराय के ब्लाक प्रमुख द्वारा वहां के जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में घुसकर उनसे मारपीट किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री बब्बन के कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना के ग्राम सभा सोनाई में चकरोड एवं तालाबों की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री केशव प्रसाद मौर्या के कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ऐरा चीनी मिल में दिनांक 26 फरवरी, 2013 को गन्ना तौल में घटतौली साबित होने के उपरान्त भी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया के कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में बन्द पड़ी मोदी कपड़ा मिल के हजारों मजदूरों का बकाया भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर राष्ट्रीय लोकदल विधान मण्डल के नेता श्री दलवीर सिंह ने यह प्रकरण श्री सुदेश शर्मा के क्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण श्री अध्यक्ष से उन्हें विचार रखे जाने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। तदुपरान्त श्री सुदेश शर्मा ने विचार व्यक्त करते हुए जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित बन्द पड़ी मोदी कपड़ा मिल के हजारों मजदूरों को उनके बकाया का भुगतान ब्याज सहित करवाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

दिनांक 27 फरवरी, 2013 को जनपद फैजाबाद थाना पूराकलंदर अन्तर्गत ग्राम सनेथू पूरे नथ्थन में आबकारी टीम के छापे के दौरान चोटिल संतोष कुमारी की मौत हो जाने एवं अन्य घटनाओं से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री रामचन्द्र यादव के कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

प्रदेश में सरकारी सहकारी व निजी चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ना मूल्यों का सम्पूर्ण भुगतान न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की

ग्राह्यता पर श्री सुरेश कुमार खन्ना ने विचार व्यक्त करते हुए किसानों को उनके गन्ने मूल्यों का सम्पूर्ण भुगतान को 14 दिन की देरी होने पर उसे ब्याज सहित भुगतान करने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

प्रदेश की बेसिक शिक्षा की बदहाल स्थिति को देखते हुए विशिष्ट बी0टी0सी0/ बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री प्रदीप माथुर ने विचार व्यक्त करते हुए विशिष्ट बी0टी0सी0/बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त शेष बचे हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने की मांग की जिनकी आयु 40 या इससे अधिक हो गई है और अंक तालिकाएं तथा मूल प्रमाण-पत्र डायट के द्वारा जमा किये जा चुके हैं किन्तु उन्हें मौका नहीं दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

श्री हुकुम सिंह ने श्री अध्यक्ष से सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति की नियम-56 की सूचना को लिये जाने का अनुरोध किया।

तदुपरान्त दिनांक 22 फरवरी, 2013 को हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत तारा गांव में की गई हत्या एवं पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

जनपद कुशीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुदही में चिकित्सा के अभाव में असामयिक मौतों से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री अजय कुमार 'लल्लू' ने विचार व्यक्त किये। श्री अध्यक्ष ने प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन देते हुए सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की जर्जर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बरेली शहर के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत नया शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले विद्यालय भवनों का निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री राजेश अग्रवाल ने विचार व्यक्त करते हुए प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों को प्राथमिकता पर ठीक करवाने की मांग की। बेसिक शिक्षा मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

कानपुर नगर के थाना चकेरी के कृष्णापुरम स्थित मकान नं0-एच0एच0-14 निवासी श्री देवकृष्ण अवस्थी के घर में दिनांक 24 जून, 2012 को हुई कीमती आभूषण एवं नगद धनराशि की चोरी की घटना से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्रीमती कृष्णा पासवान ने विचार व्यक्त करते हुए कानपुर नगर के थाना चकेरी से

उक्त प्रकरण में तत्काल जांच करवाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए प्रकरण को दिखलवाने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

दिनांक 25 फरवरी, 2013 को जनपद इटावा के यशवन्तनगर के गांव पुरसैन्य में एक दरोगा की बेटी के साथ अराजक तत्वों द्वारा दुष्कर्म करने का असफल प्रयास किये जाने के फलस्वरूप लड़की द्वारा जहरीला पदार्थ खाने से उसकी मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर नेता विरोधी दल ने विचार व्यक्त किये। श्री श्याम देव राम चौधरी (दादा) ने भी विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रकरण को गम्भीरता से लिया जा रहा है। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा श्री पंकज कुमार मलिक के भाषण से आरम्भ हुई।

मनोरंजन कर राज्य मंत्री (श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय) ने भी चर्चा में भाग लिया।

संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की 34000 मतों से विजय होने की सूचना दी।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा) ने भी चर्चा में भाग लिया।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा द्वारा अपने भाषण में श्री अम्बेडकर के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने पर बहुजन समाज पार्टी के श्री रामवीर उपाध्याय अपनी पार्टी के सदस्यों सहित नारे लगाते हुए वेल में बैठ गये। इसी बीच नेता विरोधी दल भी सदन के वेल में सदस्यों के साथ धरने पर बैठ गये। श्री अध्यक्ष ने आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही से निकाले जाने का निदेश देते हुए नेता विरोधी दल से अपने दल के सदस्यों के साथ अपने-अपने स्थानों पर बैठने का अनुरोध किया।

बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा श्री अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अपनी सीटों पर वापस न जाने पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 22 मिनट पर 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

01 बजकर 27 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया है।

01 बजकर 32 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है।

01 बजकर 37 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है।

01 बजकर 52 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता विरोधी दल सदन के फ्लोर पर खड़े होकर कहने लगे कि जब तक ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अपने शब्द वापस नहीं लेते और सदन में माफी नहीं मांगते तब तक बसपा के सदस्य विरोध स्वरूप सदन के फ्लोर में ही रहेंगे।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने नेता विरोधी दल से अनुरोध किया कि वे अपनी सीट से आकर बोलें, फिर पुनः फ्लोर पर आ जायं, इस पर नेता विरोधी दल अपनी सीट पर आकर बोलने लगे।

ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा) द्वारा डा0 अम्बेडकर को देश की धरोहर बताते हुए अपनी बात को वापस लेने से इन्कार किये जाने पर बसपा के सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर पुनः नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य आज दिनांक 28-2-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 57 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

क्र0सं0	नाम	विषय
1	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	कानपुर नगर के जूही हमीरपुर रोड स्थित डा0 सोने लाल पटेल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के मुख्य द्वार के अगल-बगल अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री राकेश बाबू	जनपद-फिरोजबाद के टूण्डला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ब्लाकों में पेयजल हेतु टी0टी0एस0पी0 टंकी के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्री अमर पाल शर्मा	जनपद-गाजियाबाद की कतिपय कालोनियों के मुख्य मार्गों पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री अनीसुर्रहमान	जनपद मुरादाबाद के कांठ में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री बब्बन सिंह चौहान	जनपद चन्दौली अन्तर्गत धनावल शाखा पर पकड़ी माइनर को जोड़े जाने के सम्बन्ध में।
2	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	जनपद-बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में उच्च चिकित्सालय व ट्रामा सेन्टर न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	प्रदेश में छावनी परिषदों को चुंगी क्षतिपूर्ति को वर्तमान स्थिति पर दिए जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री रविन्द्र भड़ाना	जनपद-मेरठ में मेडिकल कालेज के पीछे गढ़रोड एवं काली नदी के बीच मुख्य मार्गों एवं आन्तरिक मार्गों का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री अजय कुमार ''लल्लू''	उत्तर प्रदेश के अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के प्रोन्नति पाये शिक्षकों को रीडर/प्रवक्ता का वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में विगत वर्ष 2012 में आये भयंकर तूफान के कारण टूटे हुए ट्रांसफार्मर, बिजली की तारों एवं खम्भों को तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री पंकज कुमार मलिक	जनपद बाराबंकी के ग्राम कुर्सी के ब्लाक निन्दूरा में मीट कम्पनी एमरून फूड प्रोड्क्टस द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से क्षेत्रीय निवासियों के संक्रमित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8	श्री काली चरन सुमन	जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अकोला में खारे पानी के स्थान पर मीठे पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

(बसपा के सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

नवसृजित जनपद शामली में वकीलों के लिए चैम्बरों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शामली के थानाभवन में सहारनपुर-दिल्ली राजमार्ग के निकट जनता धर्मशाला की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में मा0 कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये भवनों पर अध्यासियों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कौशाम्बी के यमुना नदी के जोगापुर के पम्प कैनाल परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत गोमती नदी के सत्थिन घाट पर निर्माणाधीन सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली के कतिपय ध्वस्त हो चुके जर्जर मार्गों एवं जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मथुरा की मुख्य सड़क, मथुरा से सादाबाद जाने वाले मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय विधायकों के विवेकाधीन कोष से पूर्व की भांति शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगवाये जाने की व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मिर्जापुर के जिला सहकारी बैंक लि0 के चुनाव में मतदाता सूचियों से कतिपय सहकारी समितियों के नाम हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ललितेशपति त्रिपाठी द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कौशाम्बी के लेहदरी घाट में गंगा जी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कराये गये ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य को ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ देने से उत्पन्न जनता की समस्या के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के निर्वाचन क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत द यूनाइटेड शुगर कम्पनी सेवरही के किसानों को गन्ना बकाये का तत्काल भुगतान एवं पर्ची अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 02 बजकर 03 मिनट पर सोमवार, दिनांक 04 मार्च, 2013 के दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

सोमवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(04 मार्च, 2013 ई0)

खण्ड-483
अंक-10

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता विरोधी दल कुण्डा के उप पुलिस अधीक्षक श्री जियाउलहक, ग्राम वलीपुर के प्रधान एवं उसके भाई की निर्मम हत्या सम्बन्धी नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पहले चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। श्री प्रदीप माथुर तथा श्री हुकुम सिंह द्वारा भी खड़े होकर इसी सूचना पर बोलने का प्रयास किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस सूचना को उन्होंने नियम-56 में स्वीकार कर लिया है, उसमें यह सूचना सुन ली जायेगी तथा नियम-311 में प्राप्त सूचनाओं को पूर्व निर्णयानुसार नहीं लिया जायेगा। इस पर नेता विरोधी दल द्वारा नियमों को निलम्बित करते हुये प्रश्न प्रहर को रोककर इस प्रकरण पर चर्चा कराये जाने की मांग करने एवं श्री प्रदीप माथुर द्वारा सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 4 मिनट पर सदन को आधे घंटे के लिये स्थगित कर दिया।

11 बजकर 34 मिनट पर सहायक मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक बढ़ा दिया है।

12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भू0पू0 सदस्य श्री काशीनाथ के निधन पर सदन की ओर से श्री अध्यक्ष ने शोकोद्गार व्यक्त किया। उन्होंने अवगत कराया कि सदन की सम्वेदना दिवंगत आत्मा के शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दी जायेगी। दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।

आज नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री अजय मिश्र ''टेनी''	जनपद लखीमपुर में विश्वविद्यालय स्थापित कराने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
2	श्री अजय कुमार 'लल्लू'	जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में कतिपय पुलों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्रीमती माधुरी वर्मा	जनपद बहराइच के नानपारा विधान सभा क्षेत्र में गंभीर पेयजल संकट को देखते हुये 400 इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री उमाशंकर	जनपद बलिया में नये विद्युत कनेक्शन लेने पर विद्युत विभाग द्वारा किसानों के साथ भेदभाव पूर्ण नीति अपनाये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री अगयश राम सरन वर्मा	जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल मझोला के सेवानिवृत्त 235 कर्मचारियों को ग्रेच्युटी न प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज	उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीयत) सेवानिवृत्त लाभ (पेंशन) नियमावली में संशोधन कर लाभार्थियों को लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री बब्बन	जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा सिकन्दरपुर में चन्द्रप्रभा नदी पर अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री रामहेत भारती	जनपद सीतापुर के निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के पसियन पुरवा मजरा ईरापुर, विकास खण्ड बेहटा को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9	श्री दीपक पटेल एडवोकेट	जनपद इलाहाबाद में मुख्य शहर में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मार्गों का चौड़ीकरण किये जाने के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत	जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में गंभीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
11	श्रीमती पूजा पाल	जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिमी स्थित मीरापुर में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

12	श्री छोटे लाल वर्मा	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में तहसील भवन में अधिकारियों हेतु आवास का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री प्रभूदयाल बाल्मीकि	जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में बाढ़ नियंत्रण हेतु बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री आरिफ अनवर हाशमी	जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में सरकारी धान की खरीद में की गई हेरा-फेरी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री गोरख पासवान	जनपद बलिया में सेवा मुक्त किये गये संग्रह अमीनों को पुनः सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने सूचित किया कि :--

(1) ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 नवम्बर, 2012 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 29 नवम्बर, 2012 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 27 नवम्बर, 2012 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 29 नवम्बर, 2012 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 27 नवम्बर, 2012 के उपवेशन में पारित हुआ था और

जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 29 नवम्बर, 2012 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 फरवरी, 2013 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 04 मार्च, 2013 से दिनांक 22 मार्च, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 04 मार्च, 2013 को निधन का निर्देश लिया जाय।

2-दिनांक 04 मार्च, 2013 को आधा दिन वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा हो।

3-दिनांक 04 मार्च, 2013 को आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के उपरान्त असरकारी दिवस (आधा दिन) (दिनांक 08 मार्च, 2013 के स्थान पर) को लिया जाय।

4-दिनांक 04 मार्च, 2013 को निर्धारित वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या-11, 10, 14, 15, 22, 79, 45 तथा 16 की मदें अब दिनांक 08 मार्च, 2013 को ली जायं।

5-दिनांक 06 मार्च, 2013 को नियम-52 के अन्तर्गत ''कुम्भ मेले में श्रद्धालुओं के साथ घटित घटना'' के सम्बन्ध में डेढ़ घण्टे की चर्चा ली जाय।

6-दिनांक 11 मार्च, 2013 को वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी मद के उपरान्त विधायी कार्य लिया जाय।

7-दिनांक 12 मार्च, 2013 को नियम-52 के अन्तर्गत ''उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था'' पर डेढ़ घण्टे की चर्चा ली जाय।

8-तद्नुसार 04 मार्च, 2013 से 22 मार्च, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>मार्च, 2013</u>

04 सोमवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।
	2-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। (अन्तिम दिन)
	3-असरकारी दिवस (आधा दिन) (दिनांक 08 मार्च, 2013 के स्थान पर)
05 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

मार्च, 2013

06 बुधवार	1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-नियम-52 के अन्तर्गत ''कुम्भ मेले में श्रद्धालुओं के साथ दिनांक 10 फरवरी, 2013 को घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में'' डेढ़ घण्टे की चर्चा।
07 गुरुवार 08 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
09 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी।
11 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-''उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013'' पर विचार एवं उसका पारण।
12 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-नियम-52 के अन्तर्गत ''उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में'' डेढ़ घण्टे की चर्चा।
13 बुधवार 14 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
15 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2-विधायी कार्य (आधा दिन)।
16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी।
18 सोमवार 19 मंगलवार 20 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
21 गुरुवार	1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

मार्च, 2013

2-3.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

22 शुक्रवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।
2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सदन को अवगत किया कि इस समय कार्य-सूची की मद सं0-7 स्थगित करके पहले मद सं0-8 ली जाती है।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुईं जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

दिनांक 2-3-2013 को जनपद प्रतापगढ़ के कुण्डा तहसील अन्तर्गत हथिगवां थाने स्थित वलीपुर गांव में अराजक तत्वों द्वारा ग्राम वलीपुर के प्रधान एवं उनके भाई तथा पुलिस उप अधीक्षक, कुण्डा, श्री जियाउलहक की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर नेता विरोधी दल ने विचार व्यक्त करते हुए घटना को जघन्य अपराध के साथ इसे उ0 प्र0 सरकार के लिये चुनौती बताया। उन्होंने मृतकों के आश्रितों द्वारा किये गये एफ0आई0आर0 के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ-साथ स्थानीय थाने की पुलिस की अपराधियों से संलिप्तता की भी जांच कराने की मांग की। श्री हुकुम सिंह ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकरण में प्रदेश के मंत्री का नाम आया है इसकी भी जांच होनी चाहिए। श्री प्रमोद तिवारी ने मृतकों के प्रति इंसाफ दिलाये जाने की मांग की। श्री प्रदीप माथुर ने भी विचार व्यक्त करते हुए घटना में नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग की।

संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि इस जघन्य अपराध के खिलाफ सरकार भी विपक्ष के साथ है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के साथ स्थानीय पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी हेतु मामले की सख्ती से जांच होगी तथा इंसाफ नजर आयेगा।

खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा अपना स्पष्टीकरण देने हेतु खड़े होने पर नेता विरोधी दल ने कहा कि इस सदन ने उन्हें अभियुक्त नहीं कहा है इसलिये उन्हें सदन में स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है वे अपना स्पष्टीकरण न्यायपालिका में दें। श्री अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि नियमों के अनुसार सम्बन्धित मंत्री अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह द्वारा घटना के प्रति सरकार द्वारा इन दो दिनों में की गई कार्यवाही की जानकारी मांगे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है एवं खाद्य एवं रसद मंत्री ने नैतिकता के आधार पर त्याग-पत्र दे दिया है।

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ 'राजा भइया' ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए घटना के बारे में विस्तार से अवगत कराते हुए कहा कि घटना से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है उन्होंने कहा सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए और मैं इसके लिये मुख्य मंत्री से मांग करता हूं।

मुख्य मंत्री ने भी घटना को गम्भीर बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा निष्पक्ष एवं कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी तथा जैसी भी जांच की मांग होगी वह जांच कराई जायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी द्वारा मृतक आश्रितों हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग किये जाने पर मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने मदद का फैसला ले लिया है।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि कानून-व्यवस्था पर लगी चर्चा में इस पर और लोग चर्चा कर सकते हैं। सूचना अग्राह्य हुईं।

जनपद कुशीनगर के पडरौना स्थित जे0एच0बी0 शुगर लिमिटेड चीनी मिल का वर्ष 2012-13 में उद्घाटन किये जाने के उपरान्त भी फैक्ट्री चालू न किये जाने एवं मजदूरों तथा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री अजय कुमार 'लल्लू' ने विचार व्यक्त करते हुए उक्त चीनी मिल को चलाये जाने एवं मजदूरों व गन्ना किसानों का भुगतान दिलाये जाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने प्रकरण को दिखवा लिये जाने के लिये कहा। श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

दिनांक 31 जनवरी, 2013 को श्री निखिल तिवारी के अपहरण के उपरान्त उसकी हत्या करने वाले मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न किये जाने एवं पुलिस की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री जन्मेजय सिंह ने विचार व्यक्त करते हुए श्री निखिल तिवारी की हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। श्री अध्यक्ष ने उक्त प्रकरण में शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचना अग्राह्य की।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर जारी साधारण चर्चा श्री सलिल विश्नोई के भाषण से आरम्भ हुई।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी के भाषण के मध्य 02 बजकर 08 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री वीरपाल राठी,

श्री फेरन लाल,

श्री धर्मपाल सिंह,

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

श्री मनीष असीजा,
श्री राजबली जैसल,
डा0 अरुण कुमार,
श्री बब्बन,
श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य तथा
श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य के भाषण के मध्य ही 03 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

श्री हुकुम सिंह ने भी चर्चा में भाग लिया।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 04 मार्च, 2013 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 05 मार्च, 2013 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

1-दिनांक 05 मार्च, 2013 को भी आय-व्ययक पर साधारण चर्चा हो।

2-दिनांक 05 मार्च, 2013 को सदन की कार्य-सूची में प्रश्न सम्मिलित किये जाएं तथा उत्तरित माने जायं।

3-दिनांक 05 मार्च, 2013 को वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा पूर्वाह्न 11.00 बजे से प्रारम्भ हो और चर्चा की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् शून्य प्रहर की सूचनायें ली जायं।

4-दिनांक 05 मार्च, 2013 से 22 मार्च, 2013 तक का शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाय।

राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा', सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा मा0 सदस्य के अनुपस्थित होने पर व्यपगत हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किया जाये।''

श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा मा0 सदस्य के अनुरोध पर आगे के लिये स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के महानगरों की उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को भी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं।''

डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा उनके भाषण के मध्य ही आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-आगरा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सिंचाई विभाग द्वारा गंगा नदी का जल बल्देव रजबहा एवं पचावर ड्रेन के माध्यम से गोकुल बैराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जाय।''

श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा श्री अध्यक्ष की अनुमति के उपरान्त डा0 राधामोहन दास अग्रवाल के भाषण से आरम्भ हुई तथा उनके भाषण के मध्य ही आगे के लिये स्थगित हुई :-

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि शासन की 'हमारी बेटी, उसका कल' योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) के परिवार की प्रत्येक बालिका को रु0 30,000/- की धनराशि प्रदान की जाय।''

ठा0 सूरजपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा का निम्नलिखित संकल्प श्री अध्यक्ष की अनुमति के उपरान्त डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा चर्चा उनके भाषण के मध्य ही आगे के लिये स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में खारे पानी की समस्या के निराकरण हेतु पेयजल की उपलब्धता के लिये पाइप वाटर सप्लाई योजना लागू की जाय।''

प्रदेश भर में हुई बेमौसम भयंकर बारिश, पाला, ओलावृष्टि एवं तूफान के कारण किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह, श्री ममतेश शाक्य, ठा0 सूरजपाल सिंह, श्री राजकुमार रावत, श्री काली चरन सुमन, श्री छोटे लाल वर्मा तथा श्री भगवान सिंह कुशवाहा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2013 को नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मद संख्या-7 पर उल्लिखित वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। डा0 धर्मपाल सिंह, श्री कालीचरन सुमन एवं श्री छोटे लाल वर्मा ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 50 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

क्र0सं0	नाम	विषय
1	श्री संत प्रसाद	लखनऊ-हरदोई रोड स्थित ग्राम बरावन कला में दबंगों द्वारा बंद की गई सरकारी नाली की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	जनपद रायबरेली के ग्राम दौलतपुर स्थित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियां, पुस्तकालय एवं आवास को सांस्कृतिक धरोहर घोषित किये जाने के सम्बन्ध में तथा

3	श्री हुकुम सिंह	जनपद-मथुरा की एक मात्र चीनी मिल न चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री प्रमोद तिवारी	जनपद प्रतापगढ़ में रामपुर के ग्राम देउम तथा थरिया में लिफ्ट कैनाल बनाकर सई नदी का पानी डाले जाने के सम्बन्ध में।
2	श्रीमती माधुरी वर्मा	बहराइच-रुपईडीहा 4 लेन हाई-वे का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री मो0 मुस्लिम	अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं हेतु प्रदेश में तकनीकी शिक्षा केन्द्रों में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री गुलाब चन्द सरोज	जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र 372 केराकत के अन्तर्गत विकास खण्ड डोभी में बजरंग नगर बाजार के बीचो बीच लगे बिजली के पोल एवं तार को बाजार के बाहर स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री रोशन लाल वर्मा	विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के थाना-निगोही के थानाध्यक्ष द्वारा गरीब जनता व किसानों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में।
6	श्री रविन्द्र भड़ाना	उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में कार्यरत नियमित कार्य प्रभारित कर्मचारियों की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित सदस्यों को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
7	श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि	जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के कार्य को तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा
8	श्री राजबली जैसल	जनपद-इलाहाबाद के कोरॉव क्षेत्रान्तर्गत तहसील-मेजा में अग्निशमन केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

श्री अध्यक्ष ने नियम-51 के सूचनादाता मा0 सदस्य सन्त प्रसाद के प्रायः अनुपस्थित रहने पर कहा कि यह कभी आते ही नहीं हैं न यहां बोलते हैं कौन इनसे लिखवा करके देता

है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत से कर्मचारी विधायकों के यहां जाते हैं और वह लिख करके अपना दस्तखत करके दे देते हैं। सूचना प्राप्त करने में सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। उन्होंने सभी मा0 सदस्यों से आग्रह किया कि जब नियम-51 आये उसका उत्तर भी आप सुनने के लिए यहां रहें और अगर कोई नहीं रहेगा तो हम इसके लिए कोई नियम बनायेंगे कि इसका खर्चा उनके वेतन से काटेंगे।

जौनपुर के चन्दवक थाना क्षेत्र के सतमेसरा गांव स्थित नेता जी सुभाष चन्द्र बोस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दिनांक 21-2-2013 को छात्राओं को नशीला पदार्थ दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य मा0 सदस्य के अनुपस्थित होने पर व्यपगत हुआ।

विधान सभा क्षेत्र बबीना (झांसी) में भारी बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों की फसलों की क्षति एवं आकाशीय बिजली गिरने से हुये नुकसान के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का वक्तव्य राजस्व मंत्री ने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद कुशीनगर स्थित छितौनी चीनी मिल में किये गये घोटालों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराकर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश की अग्रहरि, दोसर, अयोध्यावासी, केसरवानी, बरनवाल, ओमर, गुलहरे, पोरवाल, कमलापुरी, सन्मानी आदि जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किये जाने हेतु आयोग में लम्बित प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश अग्रवाल द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य मा0 सदस्य के अनुपस्थित होने पर व्यपगत हुआ।

जनपद शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय को 300 शैय्यायुक्त करने तथा डाक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के साथ-साथ दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

श्री रामचन्द्र प्रजापति, निवासी पंचावा, जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली मैनपुरी की 17 वर्षीय पुत्री कु0 ज्योति को कुछ अराजक तत्वों द्वारा अपहरण किये जाने के उपरान्त मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद भी अपराधियों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लोकेश दीक्षित, श्री शमशेर बहादुर 'शेरू भईया', श्री बृजेश वर्मा, श्री दीपक

पटेल, श्री राजबली जैसल, श्री चौ0 गजेन्द्र सिंह तथा श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा स्थित ग्राम मुण्डेरा में बने सब-स्टेशन को चालू करवाने एवं ग्राम जाम में लगे विद्युत सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से वसुन्धरा सेक्टर-6 में आदर्श पार्क की पांच एकड़ भूमि को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

मेरठ नगर निगम द्वारा सफाई की समुचित व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड-गौरी बाजार में क्षेत्रीय ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को बिना विद्युत की सप्लाई किये बड़े पैमाने पर अवैध विद्युत बिल भेज कर वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 04 बजकर 23 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड–483, अंक–10
सोमवार 13 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(04 मार्च, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 483 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
जनपद प्रतापगढ़ के कुण्डा में सी0ओ0 की हत्या विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	7-8
प्रश्नोत्तर	8-40
उ0 प्र0 विधान सभा के भू0पू0 सदस्य श्री काशीनाथ के निधन पर शोकोद्‌गार ...	40
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	40-41
जनपद लखीमपुर खीरी में विश्वविद्यालय स्थापित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41-42
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में कतिपय पुलों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42-43
जनपद बहराइच के नानपारा विधान सभा क्षेत्र में गंभीर पेयजल संकट को देखते हुये 400 इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद बलिया में नये विद्युत कनेक्शन लेने पर विद्युत विभाग द्वारा किसानों के साथ भेदभाव पूर्ण नीति अपनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल मझोला के सेवानिवृत्त 235 कर्मचारियों को ग्रेच्युटी न प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44
उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीयत) सेवानिवृत्त लाभ (पेंशन) नियमावली में संशोधन कर लाभार्थियों को लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा सिकन्दरपुर में चन्द्रप्रभा नदी पर अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद सीतापुर के निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के पसियन पुरवा मजरा ईरापुर, विकास खण्ड बेहटा को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	45
जनपद इलाहाबाद में मुख्य शहर में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मार्गों का चौड़ीकरण किये जाने के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	45-46

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में गंभीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिमी स्थित मीरापुर में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	46-47
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में तहसील भवन में अधिकारियों हेतु आवास का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	47
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में बाढ़ नियंत्रण हेतु बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में सरकारी धान की खरीद में की गई हेरा-फेरी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47-48
जनपद बलिया में सेवा मुक्त किये गये संग्रह अमीनों को पुनः सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 (विधान परिषद् से वापस प्राप्त न होने की सूचना)	48
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 (विधान परिषद् से वापस प्राप्त न होने की सूचना)	49
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 (विधान परिषद् से वापस प्राप्त न होने की सूचना)... ...	49
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	49-51
प्रदेश भर में हुई बेमौसम भयंकर पाला, बारिश, ओलावृष्टि एवं तूफान के कारण किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	52
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	52-76
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	76-102
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	102

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा (व्यपगत)	102-103
प्रदेश के महानगरों की उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को भी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा	103
जनपद-आगरा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सिंचाई विभाग द्वारा गंगा नदी का जल बल्देव रजबहा एवं पचावर ड्रेन के माध्यम से गोकुल बैराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़े जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा	103-105
शासन की 'हमारी बेटी, उसका कल' योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) के परिवार की प्रत्येक बालिका को रु0 30,000/- की धनराशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा ...	105-106
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में खारे पानी की समस्या के निराकरण हेतु पेयजल की उपलब्धता के लिये पाइप वाटर सप्लाई योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में ठा0 सूरज पाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प ...	106
प्रदेश भर में हुई बेमौसम भयंकर पाला, बारिश, ओलावृष्टि एवं तूफान के कारण किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	106-113
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें (जारी)...	113
नियम-51 के सूचनादाता सदस्यों के अनुपस्थिति पर श्री अध्यक्ष के निदेश ...	113
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	113-115
जनपद जौनपुर के चन्दवक थाना क्षेत्र के सतमेशरा गांव स्थित नेता जी सुभाष चन्द्र बोस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दिनांक 21-2-2013 को छात्राओं को नशीला पदार्थ दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	116

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा क्षेत्र बबीना (झांसी) में भारी बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों की फसलों की क्षति एवं आकाशीय बिजली गिरने से हुये नुकसान के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	116-118
जनपद कुशीनगर स्थित छितौनी चीनी मिल में किये गये घोटालों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराकर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा, नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	119-120
उत्तर प्रदेश की अग्रहरि, दोसर, अयोध्यावासी, केसरवानी, बरनवाल, ओमर, गुलहरे, पोरवाल, कमलापुरी, सन्मानी आदि जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किये जाने हेतु आयोग में लम्बित प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	120
जनपद शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय को 300 शैय्यायुक्त करने तथा डाक्टरों एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ की तैनाती के साथ-साथ दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य	120-121
श्री रामचन्द्र प्रजापति, निवासी पंचावा, जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली मैनपुरी की 17 वर्षीय पुत्री कु0 ज्योति को कुछ अराजक तत्वों द्वारा अपहरण किये जाने के उपरान्त मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद भी अपराधियों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लोकेश दीक्षित आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का वक्तव्य	122-123
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा स्थित ग्राम मुण्डेरा में बने सब-स्टेशन को चालू करवाने एवं ग्राम जाम में लगे विद्युत सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत को दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	123
गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से वसुन्धरा सेक्टर-6 में आदर्श पार्क की पांच एकड़ भूमि को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर,नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	124

विषय	पृष्ठ-संख्या
मेरठ नगर निगम द्वारा सफाई की समुचित व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	124-126
जनपद देवरिया के विकास खण्ड-गौरी बाजार में क्षेत्रीय ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को बिना विद्युत की सप्लाई किये बड़े पैमाने पर अवैध विद्युत बिल भेज कर वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	126-127

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 04 मार्च, 2013

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-323

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीमुलहक पहलवान, अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
10. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
13. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
22. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
24. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
25. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
26. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
27. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
28. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
29. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
31. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
33. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
34. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
35. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
36. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
41. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
42. आशीष यादव, श्री — बदायूं
43. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
44. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
45. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
46. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
47. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
48. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
49. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
50. उदयराज, श्री — उन्नाव
51. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी

52. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
53. उमाशंकर, श्री बलिया
54. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
55. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
56. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
57. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
58. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
59. कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
60. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
61. काली चरन सुमन, श्री आगरा
62. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
63. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
64. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
65. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
66. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
67. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
68. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
69. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
70. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
71. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
72. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
73. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
74. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
75. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
76. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
77. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
78. गोमती यादव, श्री लखनऊ
79. गोरख पासवान, श्री बलिया
80. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
81. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
82. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
83. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
84. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
85. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
86. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
87. जगपाल, श्री सहारनपुर
88. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
89. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
90. जफर आलम, श्री अलीगढ़
91. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
92. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
93. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
94. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
95. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
96. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
97. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
98. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
99. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
100. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
101. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
102. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
103. दलजीत सिंह, श्री बांदा
104. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
105. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
106. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
107. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
108. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
109. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
110. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
111. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
112. धर्मराज, श्री बाराबंकी
113. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
114. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
115. नदीम जावेद, श्री जौनपुर

116. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
117. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
118. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
119. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
120. नारद राय, श्री बलिया
121. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
122. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
123. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
124. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
125. पीतमराम, श्री पीलीभीत
126. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
127. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
128. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
129. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
130. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
131. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
132. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
133. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
134. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
135. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
136. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
137. फेरन लाल, श्री ललितपुर
138. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
139. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
140. बदलू खां, श्री उन्नाव
141. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
142. बाबू खां, श्री हरदोई
143. बाबूलाल, श्री गोण्डा
144. बावन सिंह, श्री गोण्डा
145. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
146. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
147. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
148. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
149. बैजनाथ, श्री मऊ
150. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
151. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
152. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
153. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
154. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
155. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
156. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
157. मनबोध, श्री देवरिया
158. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
159. मनीष रावत, श्री सीतापुर
160. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
161. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
162. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
163. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
164. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
165. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
166. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
167. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
168. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
169. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
170. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
171. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
172. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
173. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
174. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
175. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
176. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
177. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
178. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
179. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
180. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
181. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
182. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
183. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर

184. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
185. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
186. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
187. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
188. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
189. यासर शाह, श्री बहराइच
190. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
191. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
192. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
193. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
194. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
195. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
196. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
197. रणजीत सुमन, श्री एटा
198. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
199. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
200. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
201. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
202. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
203. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
204. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
205. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
206. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
207. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
208. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
209. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
210. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
211. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
212. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
213. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
214. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
215. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
216. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
217. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
218. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
219. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
220. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
221. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
222. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
223. राम करन आर्य, श्री बस्ती
224. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
225. राम गोविन्द, श्री बलिया
226. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
227. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
228. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
229. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
230. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
231. राम मगन, श्री बाराबंकी
232. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
233. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
234. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
235. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
236. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
237. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
238. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
239. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
240. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
241. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
242. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
243. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
244. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
245. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
246. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
247. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
248. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
249. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद

250. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
251. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
252. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
253. विजय सिंह, श्री रामपुर
254. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
255. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
256. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
257. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
258. वीरपाल राटी, श्री बागपत
259. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
260. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
261. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
262. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
263. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
264. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
265. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
266. शाकिर अली, श्री देवरिया
267. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
268. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
269. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
270. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
271. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
272. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
273. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
274. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
275. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
276. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
277. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
278. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
279. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
280. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
281. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
282. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
283. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
284. संजय कपूर, श्री रामपुर
285. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
286. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
287. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
288. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
289. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
290. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
291. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
292. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
293. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
294. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
295. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
296. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
297. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
298. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
299. सियाराम सागर, डा0 बरेली
300. सीमा, श्रीमती जौनपुर
301. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
302. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
303. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
304. सुधाकर, श्री मऊ
305. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
306. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
307. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
308. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
309. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
310. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
311. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
312. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
313. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
314. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
315. सुल्तान बेग, श्री बरेली

316.	सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा	
317.	सैय्यद कासिम हसन, श्री	फतेहपुर	
318.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर	
319.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	
320.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	
321.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी	
322.	हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर	
323.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत	

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव), कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00 बजे] जनपद प्रतापगढ़ के कुण्डा में सी0ओ0 की हत्या विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री हुकुम सिंह व श्री प्रदीप माथुर अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गये)

श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन्, कुण्डा, प्रतापगढ़ में वीभत्स घटना हुई है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

श्रीमन् वहां प्रतापगढ़ में ग्राम प्रधान, उसके भाई और सी0ओ0 की निर्मम हत्या हुई है। हम चाहेंगें कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर नियम-311 के अन्तर्गत चर्चा कराने का कष्ट करें। मान्यवर आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति धवस्त हो रही है। उसका उदाहरण यह कुण्डा प्रतापगढ़ के गांव में देखने को मिला है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना आयी है और इसे हमने नियम-56 में स्वीकार कर लिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी इससे शर्मनाक और क्या होगा कि कानून के रखवाले पुलिस उपाधीक्षक की हत्या हुई है ग्राम प्रधान की हत्या हुई है और उसके भाई की हत्या हुई है। इसमें तीन-तीन लोगों की हत्यायें हुई हैं। इसलिए इसे आप पहलें चर्चा के लिए ले लें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में आपने भी दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी दिया और कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने भी दिया है। आपकी सूचना को हमने नियम-56 में स्वीकार कर लिया हैं। आप अपनी पूरी बात उसमें कह लेंगें। नियम-311 के बारे में पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि कोई सूचना नहीं ली जायेगी, इसलिए मैं 311 की सूचना को निरस्त कर रहा हूँ। नियम-56 के अन्तर्गत इसे हमने स्वीकार कर लिया है। प्रश्न प्रहर पहले हो जाने दें उसके बाद आपकी सूचना को ले लेंगें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है और पूरी कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। जब मान्यवर, पुलिस अधिकारी को गोली मारकर मार दिया गया, आज पुलिस असुरक्षित है तो फिर जनता कैसे सुरक्षित रहेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है। उत्तर प्रदेश में जब भी ऐसा कोई हादसा हुआ है और सदन को सूचना दी गयी है तो आपने नियम-311 में सुना है। नियम-311 में सुनने के लिए आपको विशेषाधिकार है। आज हम सब सामूहिक रूप से अनुरोध कर रहे हैं कि इस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए आज सदन की सारी कार्यवाही को रोककर, नियम-311 में इस सूचना को लेकर, चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसे नियम-56 में स्वीकार कर लिया है। आप उस समय बोल लीजिएगा। आप सबकी सूचना ले ली है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, 311 में सूचना लेने का आपको अधिकार है और उसे निरस्त करने का अधिकार भी आपको है। इसीलिए हमने अनुरोध किया है कि सदन की सारी कार्यवाही को रोककर इस प्रकरण पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपसे कहा है कि नियम-56 में हमने इसे स्वीकार कर लिया है। जब नियम-56 आयेगा तब आप अपनी बात कह लीजिएगा। उसमें आपकी बात सुन ली जायेगी और सरकार की ओर से जबाब भी मिलेगा। यह प्रश्न-प्रहर हो जाने दीजिए फिर अपनी बात रख लीजिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आज आपसे केवल इतना ही अनुरोध है कि जब आप चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, सरकार भी जबाब देने के लिए तैयार है, हम भी उसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं तो हम केवल इतना अनुरोध करना चाहते हैं कि आज इस महत्वपूर्ण प्रकरण के सामने मान्यवर प्रश्न प्रहर चलाना उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन नहीं चलने देंगे, मैं सदन को स्थगित करता हूँ।

(श्री प्रदीप माथुर द्वारा सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

आप वापिस चलें।

मैं सदन को आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 04 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 34 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा हेतु कार्य योजना सम्बन्धी जानकारी

*1-श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश राणा, श्री संगीत सिंह सोम, श्री सन्तराम कुशवाहा, श्री संजय प्रताप जायसवाल एवं श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सुरक्षा हेतु प्रदेश सरकार ने कोई नई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय में महिला सहायता प्रकोष्ठ मुख्यालय स्थापित करते हुए पूरे प्रदेश के जनपदों को 05 जोन में विभक्त कर इनका पर्यवेक्षण पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रदेश के 75 जनपद मुख्यालय पर महिला थाने स्थापित किये गये हैं जिनमें महिला निरीक्षक/उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति है। महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की सूचना के प्राप्त होते ही तत्काल महिला थाने की महिला पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांचोपरान्त नियमानुकूल कार्यवाही की जाती है। प्रदेश के जनपदों में जिला प्रोबेशन अधिकारी नियुक्त हैं, जिनके द्वारा पीड़ित महिला से प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाती है। अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 के अधीन अपराधों के नियंत्रण हेतु पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को उनकी अपनी अधिकारिता के अन्दर विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को 'ट्रेफिकिंग' एवं महिला प्रकरणों के सम्बन्ध में जागरूक बनाने की दृष्टि से प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इन सर्विस कोर्सेज में 'ट्रेफिकिंग' एवं लैंगिक संवेदनशीलता जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार इन अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण किये जाने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रदेश के 24 जनपदों में एण्टी ह्यूमन 'ट्रेफिकिंग' यूनिट्स की स्थापना की गयी है। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा हेल्पलाइन नम्बर 1090 की शुरूआत की गयी है जिस पर तत्काल मदद उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी जनपदों में कन्ट्रोल रूम पर अवस्थित फोन नम्बर भी महिला हेल्प लाइन के रूप में कार्य कर रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं एवं इसकी रोकथाम के उपाय

*2-श्री सतीश महाना, डा0 मो0 अयूब एवं श्री लोकेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक प्रदेश में कितने साम्प्रदायिक तनाव की घटनायें घटित हुई हैं एवं इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मार्च, 2012 से लेकर 31 दिसम्बर, 2012 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में साम्प्रदायिक तनाव की कुल 27 घटनायें घटित हुयी हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

(1) 03 वृहद साम्प्रदायिक दंगे :-1-मथुरा (विविध), 2-बरेली (धार्मिक असहिष्णुता), 3-फैजाबाद-(धार्मिक असहिष्णुता)

(2) 07 साम्प्रदायिक घटनायें :-1-प्रतापगढ़ (यौन सम्बन्धी), 2-गाजियाबाद (विविध कारण), 3-प्रतापगढ़ (विविध कारण), 4-बरेली (धार्मिक असहिष्णुता), 5-सम्भल (विविध कारण), 6-बिजनौर (विविध कारण), 7-इलाहाबाद (धार्मिक असहिष्णुता)

(3) 17 साम्प्रदायिक तनाव की घटनायें :-1-बिजनौर (विविध कारण), 2-मेरठ (गोवध), (विविध कारण), 3-गाजियाबाद (धार्मिक असहिष्णुता), 4-मुजफ्फरनगर (यौन सम्बन्धी), 5-मेरठ (विविध कारण), 6-मुजफ्फरनगर (यौन सम्बन्धी), 7-मेरठ (गोवध), 8-लखनऊ (धार्मिक असहिष्णुता), 9-गाजियाबाद (गोवध), 10-कुशीनगर (विविध कारण), 11-सीतापुर (धार्मिक असहिष्णुता), 12-मुजफ्फरनगर (यौन सम्बन्धी), 13-बहराइच (यौन सम्बन्धी), 14-संत रविदास नगर (भूमि विवाद), 15-मुरादाबाद (धार्मिक असहिष्णुता), 16-कुशीनगर (धार्मिक) असहिष्णुता, 17-सम्भल (धार्मिक असहिष्णुता)

प्रदेश में साम्प्रदायिक विवादों/घटनाओं की रोकथाम के लिए उनका चिन्हीकरण करने एवं उनके निस्तारण के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु शासन द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिनांक 16-5-2012 एवं 9-01-2013 जारी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधवाओं की पेंशन राशि बढ़ाये जाने की मांग

*3-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप एवं श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश की विधवाओं की खराब दशा को देखते हुए बेहतर जीवन यापन हेतु उनकी पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरुण कुमारी कोरी)-

भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन) के अन्तर्गत रु0 300/-प्रतिमाह की धनराशि दी जा रही है। सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में पेंशन की राशि बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश पुलिस बल को आधुनिक तकनीकी आयुध तथा संसाधन एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने की मांग

*04-श्री मनीष असीजा एवं श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस बल के पास पर्याप्त दंगा-रोधी दस्ते एवं आधुनिक संसाधन हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों के पास तकनीकी एवं आयुध दृष्टि से पहले से अधिक संसाधन जुटा लेने के कारण प्रदेश के पुलिस बल को आधुनिक तकनीकी, आयुध संसाधन एवं प्रशिक्षण प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। प्रदेश में उ0 प्र0 पुलिस की नागरिक पुलिस शाखा/सशस्त्र पुलिस शाखा एवं पी0ए0सी0 आदि दंगा-रोधी दस्ते एवं आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं।

प्रदेश के पुलिस बलों के पास आधुनिक तकनीकी एवं आयुध संसाधन उपलब्ध हैं। प्रदेश पुलिस बल के सभी कर्मियों को पुलिस के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीकी आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कतिपय जनपदों की कचहरी में हुए बम ब्लास्ट के अभियुक्तों के मुकदमें वापस लेने के सम्बन्ध में जानकारी

*05-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2005-07 के बीच फैजाबाद, गोरखपुर तथा लखनऊ की कचहरी पर हुए बम ब्लास्ट के अभियुक्तों के ऊपर लगे आपराधिक मुकदमें वापस लेने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि इस प्रकार के निर्णयों से अपराधों को बढ़ावा मिलेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्णय पर पुनः विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वाद वापसी की कार्यवाही सी0आर0पी0सी0 की धारा-321 एवं एल0 आर0 मैनुअल में प्राविधानित व्यवस्था के तहत की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि वाद वापसी की कार्यवाही उक्त व्यवस्था के तहत एवं समय-समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि निर्णयज सिद्धान्तों के आलोक में न्यायहित एवं जनहित के दृष्टिगत विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कानून-व्यवस्था और पुलिस जांच व्यवस्था को अलग-अलग पूरे प्रदेश में लागू कराये जाने की मांग

*06-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिस जांच व्यवस्था को अलग-अलग करने हेतु कुछ चुनिन्दा जिलों में कोई प्रयोगात्मक कार्य योजना अपनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसके अच्छे परिणाम आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था को पूरे सूबे में लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के जनपद मेरठ में कानून-व्यवस्था और विवेचना पुलिस के पृथक्कीकरण की व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश के पांच महानगरों (आगरा, इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ एवं वाराणसी) में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू किये जाने का सतत् प्रयास चल रहा है।

विवेचना पुलिस को कानून-व्यवस्था से पृथक करने पर कार्य का दबाव कम होने के परिणामस्वरूप विवेचनात्मक कार्य विवेचकों द्वारा पूर्ण मनोयोग से किया जा रहा है। वादी/पीड़ित को तत्काल न्याय मिला है। विवेचकों को मुकदमें के पैरवी में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय में परामर्श हेतु पूर्ण समय मिलने के कारण अभियोजन पक्ष मजबूत हुआ है। विवेचनाओं के त्रुटि रहित पूर्ण होने के कारण अभियुक्तों पर दबाव बना है और अपराधों में कमी परिलक्षित हुई है। वादी/पीड़ित पक्ष को बार-बार थानों का चक्कर लगाने से निजात मिला है और पुलिस के प्रति निष्पक्ष कार्य करने का जनमानस में संदेश गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुसार नगर निगमों, नगर पालिकाओं को शक्तियां प्रदान करने का सरकार का दायित्व

*07-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद-243 (ब) के प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में संविधान की बारहवीं अनुसूची के सूचीबद्ध विषयों को नगर निगमों, नगर पालिकाओं को शक्तियां प्रदान करने, प्राधिकृत व उत्तरदायित्व सरकार प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

भारत के संविधान के 74वें संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय सूचीबद्ध हैं। संविधान के अनुच्छेद-243 (ब) में राज्य विधान मण्डल को विधि के माध्यम से नागर निकायों को शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान किये जाने का उल्लेख है जिसके क्रम में राज्य विधान मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-12 सन् 1994) के माध्यम से नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-114 एवं नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-7 के अन्तर्गत 12वीं अनुसूची के सूचीबद्ध विषयों को नागर निकायों के अनिवार्य कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा महानगर में बिना टेप नालों एवं फैक्ट्रियों का गन्दा पानी डालने से हो रहे प्रदूषण को रोकने की कार्य योजना

*08-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर में बिना टेप किये गन्दे नालों एवं फैक्ट्रियों का गन्दा पानी सीधा यमुना नदी में डालने से पानी प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रदूषण को रोकने के लिये कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगरा महानगर के 41 नालों में से 20 नालों को टेप किया गया है व शेष 21 नालों तथा 02 उद्योगों का पानी यमुना नदी में सीधे प्रवाहित हो रहा है।

जी हां। आगरा नगर में विभिन्न सीवर योजनायें निर्मित, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बांदा शहर के अनेक मुहल्लों को नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत में सम्मिलित कराये जाने की मांग

01-श्री दलजीत सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा शहर में पिछले 10 वर्षों से आबाद इन्दिरा नगर, जवाहर नगर, सर्वोदय नगर और शांति नगर मुहल्लों को कब तक नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत में सम्मिलित कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद बांदा शहर के इन्दिरा नगर, जवाहर नगर, सर्वोदय नगर एवं शांति नगर मुहल्लों को नगर पालिका परिषद् बांदा में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

02-श्री मनीष असीजा-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में व्यापारियों की सुरक्षा हेतु व्यापारी सुरक्षा सेल का गठन कराये जाने की मांग

03-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न एवं लूट-पाट की घटनाओं की रोकथाम के लिये 'व्यापारी सुरक्षा सेल' का गठन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में व्यापारियों की सुरक्षा हेतु प्रदेश की पुलिस द्वारा संवेदनशीलता के दृष्टिगत शापिंग मालों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पुलिस पिकेट द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है एवं संवेदनशील स्थानों पर सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मचारी मुश्तैदी से सतर्क दृष्टि रखते हैं ताकि व्यापारियों के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटित हो। समय-समय पर मुख्यालय स्तर से व्यापारियों की सुरक्षा हेतु प्रदेश के जनपदीय पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में घटित सामूहिक बलात्कार एवं हत्या की घटना में मृतक युवती के परिवार को घोषित आर्थिक सहायता दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

04-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 दिसम्बर, 2012 को दिल्ली में घटित सामूहिक बलात्कार एवं हत्या की घटना में मृतक युवती जो मूलरूप से बलिया उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, के परिवार को मुख्य मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक सहायता दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। रु0 20,00000 (बीस लाख) की आर्थिक सहायता, मृतक युवती के परिजनों को दिनांक 11-01-2013 को दे दी गयी है।

प्रदेश के पूर्व विधायकों को सरकारी खर्चे पर गनर उपलब्ध कराये जाने की मांग

05-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्व विधायकों को सरकारी खर्चे पर सुरक्षा हेतु गनर देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पूर्व विधायकों को सुरक्षा प्रदान कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1773/छः-पु0-2-2001-700 (1)/2001, दिनांक 25-4-2001 सपठित शासनादेश संख्या-1174/छः-पु0-2-2007-700 (1)/2001, दिनांक 30-7-2007 एवं शासनादेश संख्या-786/छः-पु0-2-2008-700 (1)/2001, दिनांक 05-05-2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के निर्वतमान विधायकों को औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय पर अथवा उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये गये व्ययभार के अनुसार अथवा उच्च स्तरीय समिति के विवेकानुसार निःशुल्क प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त विशेष जीवनभय होने पर जनपदीय सुरक्षा समिति से आख्या प्राप्त कर उच्च स्तरीय समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अतिरिक्त गनर/शैडो भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ नगर स्थित कल्याणपुर की शिवानी बिहार कालोनी की सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

06-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012 में लखनऊ नगर स्थित कल्याणपुर की शिवानी बिहार कालोनी से खुर्रम नगर तक सीवर डालने के पश्चात् मरम्मत न होने से बरसात में सड़कों के जगह-जगह धंस जाने से आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कहीं-कहीं सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

जी हां। अप्रैल, 2013 तक कार्य कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के गोमती नदी पर हनुमान सेतु एवं निशातगंज पुल के दोनों तरफ प्रवेश के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

07-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित गोमती नदी पर हनुमान सेतु एवं निशातगंज पुल के दोनों तरफ तत्कालीन नगर विकास मंत्री द्वारा चौदहवीं विधान सभा के कार्यकाल में तोरण द्वार/प्रवेश द्वार बनाये जाने का कार्य शुरू किया गया था, जो अब तक अधूरा है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

लखनऊ स्थित गोमती नदी पर निशातगंज एवं हनुमान सेतु के दोनों ओर प्रवेश द्वार का कार्य वर्ष 2006 में प्रारम्भ किया गया था, परन्तु मा0 उच्च न्यायालय में दायर एक पी0आई0एल0 में स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण उक्त कार्य को पूर्ण नहीं कराया जा सका। सम्प्रति मा0 न्यायालय द्वारा उक्त पी0आई0एल0 को निरस्त कर दिया गया है। अब उक्त कार्य को पुनः प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के शिब्बनपुरा में पूर्णतया क्षतिग्रस्त गुरूद्वारा रोड को बनवाये जाने की मांग

08-श्री सुरेश बंसल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के शिब्बनपुरा में गुरूद्वारा वाली रोड पूर्णतयाः क्षतिग्रस्त है, जिससे दर्शनार्थियों को गुरूद्वारा में आने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्य का आगणन रु0 9,95,000.00 का तैयार कराया गया है। स्वीकृति उपरान्त अगले वित्तीय वर्ष में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों की अवस्थापना सुविधायें सुधारने हेतु कार्य योजना सम्बन्धी जानकारी

09-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों की अवस्थापना सुविधायें सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के महानगरों में परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श में प्रदेश से 7 मिशन शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ व मथुरा में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की कुल 33 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनमें से चार परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। स्पष्टतः महानगरों की अवस्थापना सुविधाएं सुधारने के लिए पूर्व से ही जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्य दो कार्यान्शों बी0एस0यू0पी0 तथा आई0एच0डी0पी0 के तहत भी नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। आगरा में पेयजल की समस्या के स्थायी निदान हेतु आगरा पेयजल सम्पूर्ति (पलरा) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम, झील संरक्षण कार्यक्रम तथा नेशनल गंगा रीवर बेसिन ॲथारिटी के अन्तर्गत भी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अतिरिक्त नगर विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से वित्तपोषित नगरीय सीवरेज, नगरीय पेयजल एवं नगरीय जल निकासी योजना से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से भी कार्य योजनाएं स्वीकृत करायी जा रही हैं।

उक्त के अतिरिक्त जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत इन महानगरों की अवशेष क्षेत्रों की परियोजनाएं विरचित की जा रही है। इन परियोजनाओं को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अधीन प्रस्तावित अतिरिक्त पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जाना है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य एवं मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड एवं इण्टरलाकिंग रोड व सामान्य सुविधाएं की स्थापना की योजना

10-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की घोषणानुसार अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरी मोहल्लों एवं मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलॉकिंग रोड, नाली जल निकासी, पेयजल, मार्ग प्रकाश आदि की व्यवस्था वाराणसी सहित राज्य के किन-किन जिलों में की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों एवं मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण, जल निकासी, पेयजल, मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने के लिये ''सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना'' प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

11-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[दिनांक 21-2-2013 को अता0प्र0सं0-19 द्वारा उत्तरित]

12-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[दिनांक 20-2-2013 को अता0प्र0सं0-96 द्वारा उत्तरित]

जनपद रामपुर में आतंकियों द्वारा सी0आर0पी0एफ0 सेन्टर पर फायरिंग कर जवानों की हत्या में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण

13-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 2007 की रात रामपुर जनपद में आतंकियों द्वारा सी0आर0पी0एफ0 ग्रुप सेन्टर पर अंधाधुन्ध फायरिंग करके 07 जवानों और एक रिक्शा चालक की हत्या के लिए लश्करे तोयबा से जुड़े 08 आतंकियों तथा दो पाकिस्तानियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत घटना में संलिप्त पाये गये 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मु0अ0सं0-208/08 व 209/08 एवं 210/08 थाना सिविल लाइन, रामपुर में पंजीकृत होकर साक्ष्यों के आधार पर उनके विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-136 दिनांक 08-05-2008 को प्रेषित किया गया जो सम्प्रति मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के वायरलेस चौराहे से विकास नगर मोड़ तक सीवर लाइन के सड़क किनारे पड़े पाइप लाइन को हटवाये जाने की मांग

14-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित महानगर वायरलेस चौराहे से खुर्रम नगर (वाया) रहीमनगर होते हुए विकास नगर मोड़ तक सीवर के बड़े चौड़े पाइप सड़क के दोनों तरफ विगत 2 वर्षों से अस्त-व्यस्त पड़े हैं जिनका प्रयोग न होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे उपयोग में लाने या अन्यत्र हटवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां, प्रश्नगत स्थल पर पाइप एकत्र किये गये हैं, परन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

प्रश्नगत पाइपों को उसी स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। कार्य दिनांक 01-02-2013 से प्रारम्भ कर दिया गया है तथा कार्य पूर्ण कराया जाना जून, 2013 तक लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

15-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[3सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ के मझवारा चौकी को उच्चीकृत कर थाना बनाये जाने की मांग

16-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के थाना घोसी एवं मधुबन से 15 किलोमीटर की दूरी पर मझवारा क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार मझवारा पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर थाना के रूप में स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मऊ की पुलिस चौकी मझवारा को उच्चीकृत कर थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से आख्या/प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर यस्थास्थिति नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के निष्क्रिय हैण्डपम्पों को पुनः चालू कराये जाने की मांग

17-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-एच के फेज-1 में स्थापित कितने इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प ऐसे हैं जो जल स्तर नीचे चले जाने के कारण निष्क्रिय हो गये हैं ? क्या सरकार ऐसे हैण्डपम्पों को डीप बोरिंग कराकर पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जल स्तर काफी नीचे हो जाने के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-एच के फेज-1 में 08 हैण्डपम्प निष्क्रिय हो गये हैं।

जी हां। निष्क्रिय हैण्डपम्पों को नियमित रूप से रि-बोरिंग/ठीक कराया जाता रहता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के ओवरहेड टैंकों से पानी की आपूर्ति कराये जाने की मांग

18-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में विश्व बैंक बर्रा के सेक्टर-के में दो ओवरहेड टैंकों का निर्माण वर्ष 2010-11 में किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त ओवरहेड टैंकों से पानी की आपूर्ति स्थानीय जनता को की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक पानी की आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर पेयजल परियोजना फेज-II के अन्तर्गत कानपुर महानगर में विश्व बैंक बर्रा के सेक्टर 'के' में 200 कि0ली0/22 मीटर क्षमता का एक ओवर हेड टैंक वर्ष 2010-11 में निर्मित किया गया है।

दूसरे ओवर हेड टैंक का निर्माण विश्व बैंक बर्रा के सेक्टर 'के' में ही कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1985 में कराया गया था।

जी नहीं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत निर्मित ओवर हेड टैंक हेतु क्लीयर वाटर मेन फीडर बिछाये जाने के पश्चात् जलापूर्ति का कार्य सितम्बर, 2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में निवास कर रहे भूतपूर्व सैनिकों को अन्य राज्यों की भांति गृहकर माफ कराये जाने की मांग

19-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब व राजस्थान की भांति सरकार गृहकर माफ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश की नागर निकायें उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 में निहित व्यवस्थानुसार संचालित होती हैं जिसमें भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के स्वामित्व के भवनों पर गृहकर माफ किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। गृहकर नगरीय स्थानीय निकायों की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूतपूर्व सैनिकों का गृहकर माफ किये जाने से निकाय की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उपर्युक्तानुसार।

मेरठ नगर निगम द्वारा कूड़े की डम्पिंग की व्यवस्था हेतु कार्यवाही

20-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर निगम द्वारा शहर से निकलने वाले कूड़े को हापुड़ रोड, दिल्ली रोड, मवाना रोड, राधा गार्डन कालोनी एवं शहर की विभिन्न सड़कों के किनारे डालने से आस-पास की आवासीय कालोनियों में भयंकर बदबू फैल रही है तथा बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कूड़े के निस्तारण के लिये शहर में कूड़ा डम्पिंग की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

नगर निगम, मेरठ द्वारा शहर से निकलने वाले कूड़े को मात्र दिल्ली रोड स्थित मुख्य ट्रेंचिंग ग्राउन्ड पर डाला जा रहा है। हापुड़ रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउन्ड पर काफी समय पूर्व कूड़ा डालना बन्द कर दिया गया है। मवाना रोड पर कसेरू बक्सर व गंगानगर की ए,बी,सी ब्लाक की सफाई व्यवस्था

नगर निगम द्वारा की जाती है। इनके रास्तों पर कहीं भी कूड़ा नहीं पड़ा है। शेष मवाना रोड पर डिफेंस कालोनी व राधा गार्डन कालोनी व अन्य कालोनी की सफाई व्यवस्था एवं कूड़ा भण्डारण के कार्य का दायित्व मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा किया जाता है। इस रोड पर व शहर की अन्य सड़कों पर नगर निगम, मेरठ द्वारा कूड़ा नहीं डाला जा रहा है।

नगर निगम, मेरठ के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एवं कूड़ा निस्तारण का अनुबन्ध ए0टू0जेड0 कम्पनी को दिया गया था जिनके द्वारा दिनांक 1-8-2012 से कार्य बन्द कर दिया गया था। नगर निगम मेरठ तथा सम्बन्धित कम्पनी की आपसी सहमति के उपरान्त नगर निगम द्वारा अधिग्रहीत की गई गावडी स्थित भूमि पर उक्त कम्पनी द्वारा दिनांक 23-1-2013 से किला परीक्षितगढ़ रोड स्थित जलालुद्दीनपुर मसूदपुर उर्फ गावडी स्थित लैण्डफिल साइट पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील सदर में सभी विधवाओं को पेंशन दिलाये जाने की मांग

21-डा0 अरूण कुमार-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद की तहसील सदर क्षेत्र अन्तर्गत कितनी विधवा महिलाओं को पेंशन दी जा रही है तथा दिसम्बर, 2012 तक कितने आवेदन अनिस्तारित हैं ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2013-14 में (आवेदन किये) सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

बरेली जनपद की तहसील सदर क्षेत्र अन्तर्गत कुल 9608 महिलाओं को पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन दी जा रही है। माह दिसम्बर, 2012 तक 1373 आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

राज्य सरकार के शासनादेश सं0-248/60-1-13-1-ए0क्यू0/13, दिनांक 12-2-2013 द्वारा पात्र एवं अर्ह आवेदनकर्ताओं को नियमानुसार पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बरेली तथा विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के रामगंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के उपाय

22-डा0 अरूण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में रामगंगा नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु इसमें गिर रहे सीवर के पानी एवं फैक्ट्रियों के नालों पर प्रतिबन्ध लगाकर प्रदूषण रहित बनाने हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। घरेलू सीवेज के शोधन की व्यवस्था नेशनल मिशन क्लीन गंगा के अन्तर्गत प्रस्तावित है। जनपद बरेली के 12 जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में से 10 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र द्वारा उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत करके विभिन्न नदी/नालों के माध्यम से रामगंगा नदी में निस्तारित किया जाता है। 02 आसवनी इकाइयों में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था स्थापित है।

नेशनल मिशन क्लीन गंगा के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक गंगा नदी तथा उसकी सहायक रामगंगा व काली नदी में बिना शोधित अवजल प्रवाहित नहीं किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा क्षेत्र में दीवानी न्यायालय स्थापित कराये जाने की मांग

23-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के चौरी-चौरा क्षेत्र में दीवानी के बढ़ते हुए मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु दीवानी न्यायालय स्थापित कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पूर्ण नियंत्रण होता है। किसी न्यायालय स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त की जाती है। वर्तमान में प्रश्नगत न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का कोई अभिमत/संस्तुति प्राप्त नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर की ग्राम पंचायत निगोही को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने की मांग

24-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर की ग्राम पंचायत निगोही जिसकी आबादी लगभग 30 हजार है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत निगोही को नगर पंचायत का दर्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम पंचायत निगोही की कुल जनसंख्या 18526 है जो शासनादेश दिनांक 10 सितम्बर, 1986 द्वारा नगर पंचायत सृजन हेतु निर्धारित मानक जनसंख्या 20,000 से कम है।

जनपद बलिया के थाना चितबड़ागांव में फर्जी इन्काउन्टर के दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही

25-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना चितवड़ागांव जनपद बलिया में मु0अ0 संख्या-51237/24/10/ 08-09-ई0एफ0-डी0बी0-1/एफ0सी0 में हुए फर्जी इन्काउन्टर में मृतक नौशाद से सम्बन्धित मानवाधिकार आयोग द्वारा की गयी जांचोपरान्त संस्तुतियों के आधार पर दोषी पुलिस कर्मियों पर किसी प्रकार की कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मृतक नौशाद के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुति के आधार पर थाना कोतवाली जनपद बलिया में पंजीकृत मु0अ0सं0-61/09 की विवेचना सी0बी0, सी0आई0डी0 से कराई गई जिसमें पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया किन्तु साक्ष्य के अभाव में अभियोग चलाये जाने की सफलता की सम्भावना क्षीण पाये जाने के कारण अभियोजन स्वीकृति का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विरासत सम्बन्धी शस्त्र लाइसेन्स निस्तारण की नीति अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में इसके निस्तारण की मांग

26-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विरासत सम्बन्धी शस्त्र लाइसेन्स के निस्तारण के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? क्या यह सही है कि जनपद शाहजहांपुर में 100 से अधिक विरासत सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र अनिस्तारित पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका निस्तारण शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शस्त्र अधिनियम, 1959 एवं भारत सरकार, गृह मंत्रालय, IS-II डिजीवन/आर्म्स सेक्सन के परिपत्र संख्या-वी-11016/16/2009-आर्म्स, दिनांक 31 मार्च, 2010 के पृष्ठ-3 के प्रस्तर-III में निर्धारित सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निस्तारण किया जाता है।

जी हां।

यह एक सतत् प्रक्रिया है। निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ के तेलीबाग एरिया व राम भरोसे मैकूलाल इण्टर कालेज में पानी की निकासी हेतु नाला बनवाये जाने की मांग

27-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के तेलीबाग एरिया में नाला न होने से वर्षा ऋतु में सड़कों एवं विद्यालयों में पानी भर जाता है ? क्या यह भी सही है कि तेलीबाग के राम भरोसे मैकूलाल इण्टर कालेज में पानी भर जाने के बाद नगर निगम ने अगस्त-सितम्बर, 2012 में पम्पिंग सेट लगाकर पानी निकलवाया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या से निपटने के लिये उक्त नाला बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां, अधिक वर्षा होने के कारण प्रश्नगत क्षेत्र में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

जी हां, प्रश्नगत क्षेत्र का ले-आउट प्लान लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत न होने के कारण विद्यालय प्रांगण की समुचित जल निकासी नहीं हो पाती है। जल निकासी हेतु नगर निगम द्वारा सर्वे किया जा रहा है। समुचित जल निकासी सम्भव होने पर ही नगर निगम द्वारा नाला बनाने का कार्य किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के परतावल तथा पनियरा को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

28-श्री देवनरायन उर्फ जी0 एम0 सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महाराजगंज के सबसे बड़े कस्बे परतावल तथा पनियरा को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

29-श्री काली चरन सुमन-

[दिनांक 22-2-2013 को अता0प्र0सं0-27 द्वारा उत्तरित]

जनपद शामली में शस्त्र लाइसेन्स के लम्बित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही

30-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शामली में दिनांक 30 सितम्बर, 2012 तक आग्नेयास्त्र हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से कितने लाइसेन्स जारी किये गये तथा कितने लम्बित हैं तथा उन लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 30 सितम्बर, 2012 तक आग्नेयास्त्र हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से 212 शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये तथा 787 प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं। लम्बित प्रार्थना-पत्रों में से 208 प्रार्थना-पत्रों की जांच प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है। शेष 579 प्रार्थना-पत्र पुलिस एवं तहसील की जांच प्रक्रियाओं के अधीन हैं। इनके जांचोपरान्त यथास्थिति निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी। जिन प्रार्थना-पत्र की जांच प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है, उनके निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर में नालों की सफाई हेतु अवमुक्त धनराशि की जानकारी

31-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर शहर में नालों की सफाई हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में कितना धन अवमुक्त किया गया है तथा उक्त धनराशि से किन-किन नालों की सफाई करायी गयी है एवं कितने शेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि शेष की सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद मुजफ्फरनगर शहर में नालों की सफाई हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में शासन से कोई धनराशि रिलीज नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा मुख्यालय पर न्यायालय स्थापित कराये जाने की मांग

32-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी की धौरहरा तहसील मुख्यालय पर सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय न होने से गरीबों को न्यायिक प्रक्रिया में बहुत परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त न्यायालय स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पूर्ण नियंत्रण होता है। किसी न्यायालय स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त की जाती है। वर्तमान में प्रश्नगत न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का कोई अभिमत/संस्तुति प्राप्त नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में प्रकाश व्यवस्था की मांग

33-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में नगर मोहम्मदी के सभी खम्भों पर प्रकाश व्यवस्था न होने से आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? क्या सरकार इन खम्भों पर प्रकाश की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पालिका परिषद्, मोहम्मदी सीमान्तर्गत 1020 प्रकाश स्तम्भों में से 580 प्रकाश स्तम्भ प्रकाशित हैं। शेष प्रकाश स्तम्भों को धन की उपलब्धता के आधार पर प्रकाशित कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के भीमनगर में सीवर लाइन की व्यवस्था कराये जाने की मांग

34-श्री सुरेश बंसल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद व विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के भीमनगर में अभी तक सीवर लाइन नहीं डाली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुहल्ले में सीवर लाइन डलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के भीम नगर में सीवर लाइन डालने का कार्य 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित है। सीवर लाइन डालने हेतु निविदा की कार्यवाही दिनांक 05-01-2013 को निस्तारित करते हुए दिनांक 30-01-2013 को कार्य आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के कैला भट्ठा में नाले की सफाई कराये जाने की मांग

35-श्री सुरेश बंसल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र में कैला भट्ठा में नाले की सफाई व उस पर ढकाव का कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो शेष कार्य कब तक पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

धन उपलब्धता के आधार पर अवशेष कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के अनेकों एरिया में सीवर लाइन डालने व क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

36-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के यशोदानगर, गोपाल नगर, शंकराचार्य नगर, खाण्डेपुर, गांधीग्राम, सरनगवां, पटेल नगर आदि क्षेत्रों में सीवर लाइन डालने, क्षतिग्रस्त मुख्य मार्गों की मरम्मत एवं पूर्ण रूप से निर्माण की योजना नगर निगम, कानपुर द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में सड़कों को कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जल निगम द्वारा कानपुर नगर के सरनगवां एवं पटेल नगर क्षेत्रों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछायी जा रही है। सरनगवां एवं पटेलनगर क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने के उपरान्त काटी गयी सी0 सी0 रोड, खड़न्जा तथा बिटुमिनस सड़कों की पुनर्स्थापना का कार्य उ0 प्र0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है।

सीवरेज योजना डिस्ट्रिक-1 का प्राक्कलन राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत विरचित किया गया है जिसमें वार्ड गांधी ग्राम सम्मिलित है। प्राक्कलन की स्वीकृति एवं धन उपलब्ध होने पर गांधी ग्राम में सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में यशोदा नगर, गोपाल नगर, शंकराचार्य नगर, खांडेपुर आदि क्षेत्रों में सीवर बिछाने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है। भविष्य में इन क्षेत्रों में सीवर बिछाने हेतु राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत प्राक्कलन विरचित किया जाना प्रस्तावित है।

सीवर बिछाने में क्षतिग्रस्त हुए मार्गों का पुनर्निर्माण उ0 प्र0 जल निगम द्वारा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मुख्य मार्गों की मरम्मत एवं पूर्ण रूप से निर्माण की योजना नहीं है।

प्रश्नगत क्षेत्र प्राइवेट सोसाइटी के अन्तर्गत आते हैं जिनका ले-आउट विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है तथा उक्त क्षेत्र नगर निगम को हस्तान्तरित भी नहीं है। अतः प्राइवेट कालोनियों के विकास कार्य का दायित्व सम्बन्धित सोसाइटी अथवा कालोनी विकासकर्ता का है।

उपरोक्तानुसार।

37-श्री मनीष असीजा-

[दिनांक 20-2-2013 को अता0प्र0सं0-94 द्वारा उत्तरित]

जनपद बरेली में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट का कार्य आवंटित व व्यय धनराशि का विवरण

38-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन0ओ0सी0 जारी कराते हुए सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बरेली का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर कितना धन केन्द्र सरकार द्वारा तथा कितना धन प्रदेश सरकार द्वारा खर्च किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण प्लान्ट का संचालन रुका हुआ है।

अनापत्ति तथा प्राधिकार-पत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में लम्बित है। परियोजना के अन्तर्गत अधिष्ठापित प्लान्ट ट्रायल रन हेतु तैयार है। वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् प्रोसेसिंग प्लान्ट चालू कर दिया जायेगा।

बरेली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना के सापेक्ष रु0 1386.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिसके सापेक्ष रु0 1339.89 लाख का उपयोग किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के थानों को कम्प्यूटरीकृत बनाये जाने की योजना

39-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के जिन थानों को अभी तक कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया है, क्या सरकार की उन थानों को भी कम्प्यूटरीकृत बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। भारत सरकार की सी0सी0टी0एन0एस0 (क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम) योजना के अन्तर्गत उ0 प्र0 के सभी थानों को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है।

मई, 2014 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित कराये जाने की मांग

40-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 32000 सफाई कर्मचारी संविदा पर वर्ष 2006 से कार्यरत हैं जिसमें 200 से अधिक केवल शाहजहांपुर में हैं ? क्या सरकार सभी उक्त सफाई कर्मचारियों को नियमित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश की नागर स्थानीय निकायों में 34,400 संविदा सफाई कर्मचारी दिनांक 31 मार्च, 2011 तक कार्यरत थे। नगरपालिका परिषद् शाहजहांपुर में 187 सफाई कर्मचारी संविदा पर तैनात हैं।

वर्तमान में संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित किये जाने की कोई नीति निर्धारित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

41-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 21-2-2013 को अता0प्र0सं0-55 द्वारा उत्तरित]

42-श्री दलवीर सिंह-

[दिनांक 20-2-2013 को अता0प्र0सं0-98 द्वारा उत्तरित]

जनपद सोनभद्र के कब्रिस्तान तथा अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने की मांग

43-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में कब्रिस्तानों तथा अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी हेतु कुल कितने कब्रिस्तानों तथा अन्त्येष्टि स्थलों को चिन्हित किया गया है तथा उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त चहारदीवारी का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद सोनभद्र में कुल 201 कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थलों को चिन्हित किया गया है।

जिलाधिकारी, सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद सोनभद्र के चिन्हित कुल 201 कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की तहसीलवार संख्या क्रमशः राबर्ट्सगंज में 105, घोरावल में 66, दुद्धी में 18 तथा नगर पालिका राबर्ट्सगंज में 03 एवं नगर पंचायत घोरावल में 05, नगर पंचायत दुद्धी में 02, नगर पंचायत चोपन में 01, नगर पंचायत पिपरी में 01 है। जनपद के नगर पंचायत चुर्क, नगर पंचायत रेनूकूट एवं नगर पंचायत ओबरा में कोई कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल अवस्थित नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु जनपद सोनभद्र को रु0 54.64 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। चहारदीवारी का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से पूर्ण करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 वक्फ विकास निगम लि0 के कर्मचारियों को छठे वेतनमान तथा विभिन्न समस्याओं के निराकरण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

44-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0 के कर्मचारियों के छठवें वेतनमान तथा उनकी विभिन्न समस्याओं के निराकरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05-04-2012, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित एवं उनके पत्रांक सं0-53/एम0एस0/एम0एल0ए0/12, दिनांक 13 अप्रैल, 2012 द्वारा प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उपर्युक्त के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उ0 प्र0 वक्फ विकास निगम लि0 के कर्मचारियों को छठा वेतनमान अनुमन्य किये जाने का प्रकरण उ0 प्र0 वक्फ विकास निगम के स्तर पर अभी विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निकायों के लेखा संवर्ग का वेतनमान राजकीय विभागों के समान रखे जाने की वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू कराये जाने की मांग

45-श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन समिति (2008) के आठवें प्रतिवेदन में प्रदेश के नगर निकायों के लेखा संवर्ग के वेतनमान/संवर्गीय ढांचा राजकीय विभागों के समान रखे जाने के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 का पत्र सं0-8/512- 2110/22 लेखा/07, दिनांक 05-08-2011 जो प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

निदेशक, स्थानीय निकाय के पत्र दिनांक 05-08-2011 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में राजकीय विभागों के लेखा संवर्ग की भांति स्थानीय निकाय के लेखा संवर्ग के सम्बन्ध में वेतन समिति 2008 की प्राप्त संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने की कार्यवाही वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बैंकों में हो रही लूट की घटनाओं को रोकने की सुरक्षा नीति बनाये जाने की मांग

46-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के बैंकों में हो रही लूट की घटनाओं को रोकने के लिये नई सुरक्षा नीति बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में बैंकों की सुरक्षा हेतु बैंक के अधिकारियों एवं पुलिस के अधिकारियों के साथ सुरक्षा के दृष्टिगत समय-समय पर समन्वय बैठकें आहूत की जाती हैं, जिसमें विशेष रूप से बैंक के अन्दर आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग, बैंक के गेट को चैन से बांध कर रखना व एक ही व्यक्ति का प्रवेश, बैंक में लगे अलार्म को क्रियाशील रखने, बैंक में स्थापित सी0सी0टी0वी0 के सुचारु रूप से संचालन तथा सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण/सहायतार्थ टेलीफोन नम्बर्स बैंक में सहज दृश्य स्थान पर लगाये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाता है। बैंकों की सुरक्षा हेतु समय-समय पर पुलिस मुख्यालय स्तर से जनपदीय पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा खड्डा की ग्राम सभा सोहरौना में अधूरे पड़े पावर स्टेशन का निर्माण कराये जाने की मांग

47-श्री विजय कुमार दूबे-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा सोहरौना में विगत 4 वर्षों से निर्माणाधीन फायर ब्रिगेड स्टेशन आज भी अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद कुशीनगर के अग्निशमन केन्द्र, खड्डा के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 28-2-2010 द्वारा धनराशि रु0 193.47 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु0 64.49 लाख, द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश दिनांक 31-3-2012 द्वारा रु0 64.49 लाख तथा तृतीय किश्त के रूप में शासनादेश दिनांक 13-2-2013 द्वारा रु0 64.49 लाख अर्थात् पूर्ण धनराशि रु0 193.27 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। वर्तमान में प्रश्नगत अग्निशमन केन्द्र का 40 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

निर्माण कार्य 31-5-2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

48-श्री रोशन लाल वर्मा-

[दिनांक 22-2-2013 को अता0प्र0सं0-28 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा की ताज नगरी की मलिन बस्तियों के गरीब लोगों हेतु राजीव आवास योजना के कार्य कराये जाने की मांग

49-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताजनगरी (जनपद आगरा) की 13 मलिन बस्तियों में निवासरत हजारों गरीब लोगों के हालात को सुधारने के लिये राजीव आवास योजना (रे) के नाम से तैयार योजना में राज्य सरकार अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर विकास कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

ताज नगरी (जनपद-आगरा) की 13 मलिन बस्तियों में राजीव आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (आर0ए0वाई-II) नई दिल्ली के पत्रांक-एफ नं0 एन0-11013/02/2013-आर0ए0वाई0-II (एफ0टी0एस0 7644), दिनांक 23 जनवरी, 2013 द्वारा धनराशि रु0 3769.59 लाख की परियोजना स्वीकृत हुई है जिसमें केन्द्रांश रु0 1439.36 लाख एवं राज्यांश रु0 2330.23 लाख सम्मिलित है।

केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग

50-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में लालबाग चौराहे से डालडा फैक्ट्री स्टेट हाई-वे तक के अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग

51-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में लालबाग चौराहे से लेकर डालडा फैक्ट्री स्टेट हाईवे एन0एच0 24 पर दोनों ओर अतिक्रमण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं,

जनपद सीतापुर में लालबाग चौराहे से लेकर डालडा फैक्ट्री स्टेट हाई-वे एन0एच0-24 पर दोनों ओर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

निकाय क्षेत्र में राजनैतिक दलों एवं संगठनों द्वारा लगाये गये होर्डिंग्स पर टैक्स लगाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

52-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निकाय क्षेत्रों में विभिन्न राजनैतिक दलों एवं अन्य संगठनों द्वारा लगाये जाने वाले होर्डिंग्स से निकायों को कोई कर नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनसे टैक्स वसूलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-192 में विज्ञापन पर कर लगाये जाने का प्राविधान है जिसमें निम्नलिखित प्रकार के विज्ञापन या नोटिस पर कर लगाया जाना प्रतिबन्धित है :-

(क) सार्वजनिक सभाओं का या

(ख) किसी विधायिका संस्था या (निगम) के निर्वाचन का या

(ग) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में उम्मीदवारी का

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला की नगर पंचायत बड़हलगंज को नगर पालिका परिषद् का दर्जा दिलाये जाने की कार्यवाही

53-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला की नगर पंचायत बड़हलगंज को नगर पालिका परिषद् बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार नगर पंचायत बड़हलगंज को नगरपालिका कब तक बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर पंचायत बड़हलगंज को नगर पालिका परिषद् बनाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोरखपुर से अद्यतन प्रस्ताव मांगा गया है। नियमानुसार मानक और शर्तें पूर्ण होने पर नगर पंचायत बड़हलगंज को नगर पालिका परिषद् का दर्जा दिये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के उरूवा बाजार कस्बे को नगर पंचायत बनाये जाने की मांग

54-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के उरुवा बाजार कस्बे को नगर पंचायत बनाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार उरुवा बाजार को नगर पंचायत कब तक बनायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

मानकों के आधार पर परीक्षण करके उरूवा बाजार को नगर पंचायत बनाने पर विचार किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के हाटा बाजार कस्बे को नगर पंचायत बनाये जाने की मांग

55-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के हाटा बाजार कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार हाटा बाजार को नगर पंचायत कब तक बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

मानकों के आधार पर परीक्षण करके हाटा बाजार को नगर पंचायत बनाने पर विचार किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के विश्वविद्यालय में महिला पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने की मांग

56-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्राओं की सुरक्षा हेतु यू0जी0सी0 के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में महिला पुलिस चौकी की भांति क्या प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी महिला पुलिस चौकियां स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखनऊ विश्वविद्यालय में महिला पुलिस चौकी शासन द्वारा स्वीकृत नहीं है।

अस्थायी पुलिस चौकी की स्थापना जनपद प्रभारी शान्ति एवं कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार अपने स्तर से करते हैं।

जनपद पीलीभीत में गत वर्षों में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति वितरण में धांधली की जांच

57-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में वर्ष 2008-2009, 2009-10 एवं 2010-11 में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति का विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि वितरण में धांधली की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध जांच कराकर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद पीलीभीत में राज्य पोषित पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2008-2009, वर्ष 2009-2010 व वर्ष 2010-2011 में निम्नवत् छात्रवृत्ति वितरित की गयी है :-

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या	वितरित धनराशि
		पूर्वदशम् छात्रवृत्ति	
1	2008-09	25209	रु0 87.00 लाख
2	2009-10	35086	रु0 94.69 लाख
3	2010-11	33012	रु0 114.09 लाख
		दशमोत्तर छात्रवृत्ति	
1	2008-09	889	रु0 13.43 लाख
2	2009-10	1301	रु0 17.65 लाख
3	2010-11	1046	रु0 16.43 लाख

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के समस्त थानों को कम्प्यूटरीकृत कराये जाने की योजना

58-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में कितने थाने अभी तक कम्प्यूटरीकृत हुए हैं तथा कितने थाने कम्प्यूटरीकृत होने बाकी हैं ? क्या सरकार बाकी थानों को भी कम्प्यूटरीकृत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में क्रमशः चौरी-चौरा, झगहा एवं खोराबार कुल 03 थाने हैं। तीनों थानें अभी कम्प्यूटरीकृत नहीं हैं।

जी हां। भारत सरकार की सी0सी0टी0एन0एस0 (क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम) योजना के अन्तर्गत बाकी थानों को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है।

मई, 2014 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शहीद एवं वीर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता

59-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहीद होने वाले वीर पुलिस कर्मियों के आश्रित पत्नी एवं बच्चों के अतिरिक्त उनके बूढ़े मां बाप भी आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें भी आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पुलिस विभाग के कार्मिकों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर उनके परिवारों जिनमें शहीद पुलिस कर्मी के आश्रित माता-पिता भी सम्मिलित हैं, को अनुग्रह स्वरूप नियमानुसार विशेष आर्थिक सहायता दिये जाने के प्राविधान सम्प्रति प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के अनेकों एरिया में जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु योजना की जानकारी

60-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के यशोदानगर, गोपालनगर, शंकराचार्य नगर, खाण्डेपुर गांधीग्राम सरनगवां, पटेल नगर आदि क्षेत्रों में आगामी बारिश में पूर्व की भांति जल भराव न हो, इस हेतु नगर निगम द्वारा कोई तात्कालिक योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

यद्यपि प्रश्नगत क्षेत्र प्राइवेट सोसाइटी के अन्तर्गत हैं जोकि नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं फिर भी उक्त क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में जल भराव से रोकथाम हेतु विभागीय डीवाटरिंग पम्प लगाकर एवं कच्चे नाले खोदकर जल निकासी की व्यवस्था की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व थाना कोतवाली नगर बांदा के श्री बैजनाथ पुत्र प्रमोद कुमार प्रजापति के अपहरण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

61-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बैजनाथ के पुत्र प्रमोद कुमार प्रजापति के अपहरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-5/326846 दिनांक 19-12-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में दोषी अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी करके दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेख यादव-

जी हां।

श्री बैजनाथ का नाती प्रमोद कुमार उम्र 18 वर्ष दिनांक 2-9-2012 को बांदा शहर से लापता हुआ था, जिसके सम्बन्ध में आवेदक श्री बैजनाथ द्वारा दि0 5-9-2012 को थाना कोतवाली नगर बांदा में लापता प्रमोद कुमार के सम्बन्ध में गुमशुदगी दर्ज करायी गयी। उसके उपरान्त पता न चलने पर दि0 19-10-2012 को आवेदक श्री बैजनाथ द्वारा थाना कोतवाली नगर बांदा में मु0अ0सं0-587/12 धारा-364 भादवि बनाम सोनू आदि पांच नफर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। दि0 3-9-2012 को रेलवे पटरी के किनारे केन नदी के पास ट्रेन से कटा हुआ एक पैर बरामद हुआ था, जो जीन्स की पैंट सहित थी। उस जीन्स पैंट की शिनाख्त वादी मुकदमा द्वारा करायी गयी तो वादी द्वारा बताया गया कि उसके लापता नाती प्रमोद कुमार की पैंट नहीं है। उसके 2 माह बाद उसी स्थान से लापता प्रमोद कुमार की मोबाइल सिम एक सोनू नामक किशोर को मिली थी। उसके बाद उस स्थान की गहराई से निरीक्षण के दौरान एक चप्पल बरामद हुई थी, जिसको वादी ने देखकर शिनाख्त किया कि यह चप्पल उसके लापता नाती प्रमोद कुमार की ही है। नामजद अभियुक्तगणों के मोबाइल नम्बर सर्विलांस पर लगवाये गये, जिसके आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहे हैं। इस कारण अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गयी है। बरामद जीन्स पैंट के ब्लड से लापता प्रमोद कुमार के माता-पिता के ब्लड से डीएनए परीक्षण कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्राचार किया गया है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। मुकदमें की गहराई से विवेचना प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ एवं इलाहाबाद में अलविदा की नमाज उपरान्त उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ के विरुद्ध कार्यवाही

62-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17 अगस्त, 2012 को अलविदा की नमाज के उपरान्त जनपद लखनऊ एवं इलाहाबाद में उपद्रवियों द्वारा पार्कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर तोड़फोड़ कर एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की प्रतीक प्रतिमाओं को भी खण्डित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध रासुका लगाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 17-08-2012 को समय लगभग 15.30 बजे दारुल शफा विधान सभा के सामने अभियुक्तों द्वारा मारपीट करने, गाड़ी का शीशा तोड़ने, अनुमति से चल रहे धरने का मंच क्षतिग्रस्त कर देने व भगवान बुद्ध की तस्वीर तोड़ देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 354/12 धारा 147,323,427,295 भा0द0वि0 मोहम्मद रियाज पुत्र मोहम्मद मेराज अली निवासी 7/106 अचरामऊ, बक्शी का तालाब थाना बीकेटी, लखनऊ आदि 9 अभियुक्तों के विरुद्ध तथा दिनांक 17-08-2012 को समय 14.50 बजे परिवर्तन चौक से धरना स्थल तक अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर पुलिस आम जनता पर पथराव करने, दुकानों को क्षतिग्रस्त कर देने तथा सड़क पर बने डिवाइडर व लाइटों के तोड़ने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-355/12 धारा 147,148,427,356,332,353 भा0द0वि0 व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 7 सीएलए एक्ट मोहम्मद रियाज पुत्र मोहम्मद मेराज अली निवासी 7/106 अचराममऊ, बक्शी तालाब थाना बीकेटी, लखनऊ आदि 23 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 17-08-2012 को अलविदा की नमाज के उपरान्त थाना क्षेत्र चौक लखनऊ में उपद्रवियों द्वारा पार्कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर तोड़फोड़ कर साम्प्रदायिक सौहार्द की प्रतीक प्रतिमाओं को खण्डित किये जाने के सम्बन्ध में थाना चौक एवं वजीरगंज पर तीन मुकदमें पंजीकृत हुए थे।

विवेचना के मध्य 17 अभियुक्तों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में आरोप-पत्र मा0 न्यालय में प्रेषित किया गया है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका लगाने की कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है ना ही रासुका लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

जनपद इलाहाबाद में दिनांक 17-08-2012 को अलविदा की नमाज के उपरान्त उपद्रवियों द्वारा एकत्र होकर साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले नारे लगाते हुए, जान से मारने की नीयत से, ईंट पत्थर चलाते हुए, गाली गलौज करते हुए, खड़े वाहनों पर पत्थर मार कर क्षतिग्रस्त कर, साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दिये, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 249/12 धारा 147,148,153,302,323,332,336,342,353,427,504,506 भा0द0वि0 व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 7 सीएलए एक्ट बनाम जुल्फिकार उर्फ जुल्लू पुत्र इस्माइल निवासी 72/85 तुलसीपुर थाना करैली आदि 9 नफर व 4,5 सौ व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत

किया गया है। वाद में विवेचना से 15 व्यक्ति प्रकाश में आये, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, तथा 04 व्यक्ति 1-जुल्फिकार, 2-साबिर, 3-रिजवान अन्सारी, 4-अब्दुल रहमान के विरुद्ध एन0एस0ए0 की कार्यवाही की जा चुकी है। उक्त अभियोग में विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र सं0 169/12 दिनांक 14-10-2012 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की नगर पंचायत फतेहाबाद की अनुसूचित जनजाति की बस्तियों के रास्तों को पक्का बनाये जाने की मांग

63-श्री छोटेलाल वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत फतेहाबाद, जनपद आगरा की अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में कच्ची गलियों, रास्तों में पानी भरा होने से बीमारी फैलती है जिससे गरीबों के बच्चों की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कच्चे रास्तों को पक्का करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

नगर पंचायत, फतेहाबाद की सीमान्तर्गत अनुसूचित जनजातियों की कोई बस्ती नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

64-डा0 धर्मपाल सिंह-

[दिनांक 21-2-2013 को अता0प्र0सं0-54 द्वारा उत्तरित]

65-श्री जय प्रकाश निषाद-

[दिनांक 26-2-2013 को अता0प्र0सं0-70 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के कछरांचल के मधुपुर में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने की मांग

66-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के धुरियापाल पुल के पास का स्थान अति संवेदनशील होने एवं थाना कोतवाली बड़हलगंज मुख्यालय से दूर होने के कारण कछारांचल के मधुपुर में एक पुलिस चौकी की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद गोरखपुर के थाना बड़हलगंज के अन्तर्गत मधुपुरा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही सम्प्रति नियमानुसर प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की नगर पलिया परिषद् टूण्डला के जाटव बस्ती के निर्माणाधीन कम्युनिटी हाल का निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग

67-श्री राकेश बाबू-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका/परिषद् टूण्डला के अन्तर्गत आने वाली बस्ती कच्चा टूण्डला में जाटव बस्ती में निर्माणाधीन कम्युनिटी हाल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस0जे0एस0आर0वाई0) के अन्तर्गत जनपद-फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद्-टूण्डला की बस्ती-कच्चा टूण्डला में कम्युनिटी हाल का निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें छत पड़ चुकी है तथा खिड़की, दरवाजों एवं प्लास्टर आदि का कार्य प्रगति पर है। कार्य 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण कराया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

देश की सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर शहीद तथा पराक्रम दिखाने वाले सैनिकों को दी गयी धनराशि का विवरण

68-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हुये शहीद हुये मेजर रोहित शर्मा (अशोक चक्र), कैप्टन देविन्दर सिंह (कीर्ति चक्र), हवलदार हनुमान प्रसाद सिंह (शौर्य चक्र), सार्जेन्ट मुश्ताक अली (शौर्य चक्र), सिपाही ओम शिव शर्मा (शौर्य चक्र), मेजर दीपक यादव (शौर्य चक्र), नायक राम सिंह (शौर्य चक्र) एवं कई सैन्य अभियानों में अपने पराक्रम का परिचय देकर देश की रक्षा करने वाले मेजर डी0 श्री रामकुमार (अशोक चक्र), मेजर सुशील कुमार सिंह (कीर्ति चक्र), मेजर पुष्पेन्द्र सिंह (कीर्ति चक्र), ले0 अभिनव त्रिपाठी (शौर्य चक्र), कर्नल गौरव शर्मा (शौर्य चक्र), फ्लाइट ले0 विक्रम बहादुर सिंह (शौर्य चक्र), हवलदार बहरामार सिंह (शौर्य चक्र), कैप्टन संजीव सिरोही (शौर्य चक्र), मास्टर वारंट आफिसर रमेश चन्द्र (शौर्य चक्र), मेजर रमेश कुमार सिंह (शौर्य चक्र), मेजर विजयन्त चौहान (शौर्य चक्र), कैप्टन अमितेन्द्र कुमार सिंह (शौर्य चक्र), मेजर सलमान अहमद खान (शौर्य चक्र), मेजर सुनील यादव (शौर्य चक्र), ले0 कर्नल बी0आर0 कुशवाहा (शौर्य चक्र), मेजर सुनील सिंह (शौर्य चक्र) को प्रदेश सरकार द्वारा वीरता पुरस्कारों की धनराशि उक्त सैनिकों को जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो कब और कितनी-कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश संख्या-925/तीन-12-5 (1)/04टी0सी0-2, दिनांक 21 अगस्त, 2012 द्वारा प्रदेश के कुल 64 नागरिकों को प्राविधानित धनराशि रु0 1.25 करोड़ के सापेक्ष रु0 1,24,54.144/- (रु0 एक करोड़ चौबीस लाख चौव्वन हजार एक सौ चौवालिस मात्र) की धनराशि निर्गत की गयी, जिसमें शहीद ओम शिव शर्मा (शौर्य चक्र को रु0 2,33,596/-, मेजर दीपक

यादव (शौर्य चक्र), रु0 10,00000.0/- मेजर पुष्पेन्द्र सिंह (कीर्ति चक्र) को रु0 10,17,534/- ले0 अभिनव त्रिपाठी (शौर्य चक्र) को रु0 5,00,000/- ले0 विक्रम बहादुर सिंह (शौर्य चक्र) रु0 6,08,767/- मेजर विजयंत चौहान (शौर्य चक्र) को रु0 2,08,904/- कैप्टन अमितेन्द्र कुमार सिंह (शौर्य चक्र) को रु0 5,50,000/-, मेजर सुनील यादव (शौर्य चक्र) को रु0 50,000/-तथा कर्नल बी0आर0 कुशवाहा (शौर्य चक्र) को रु0 2,28,396/- की धनराशि निर्गत की गयी।

मेजर रोहित शर्मा (अशोक चक्र), कैप्टन देविन्दर सिंह (कीर्ति चक्र), हवलदार हनुमान प्रसाद सिंह (शौर्य चक्र), सार्जेन्ट मुश्ताक अली (शौर्य चक्र), नायक राम सिंह (शौर्य चक्र), मेजर डी0 श्रीराम कुमार (अशोक चक्र), मेजर सुशील कुमार सिंह (कीर्ति चक्र), कर्नल गौरव शर्मा (शौर्य चक्र), हवलदार बहरामार सिंह (शौर्य चक्र), कैप्टन संजीव सिरोही (शौर्य चक्र), मास्टर वारन्ट आफीसर रमेश चन्द्र (शौर्य चक्र), मेजर रमेश कुमार सिंह (शौर्य चक्र), मेजर सलमान अहमद खान (शौर्य चक्र), मेजर सुनील सिंह (शौर्य चक्र) को सम्बन्धित जिलाधिकारियों से चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013 में समयान्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण धनराशि निर्गत नहीं की गयी।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्डों में हैण्डपम्प स्थापित कराये जाने की मांग

69-श्री महावीर सिंह राणा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत विकास खण्ड सुढौली व मुजफराबाद के कतिपय गांव मल्टी सेक्टर हैण्डपम्प योजना के अन्तर्गत छूट गये हैं और वहां पर पेयजल की अत्यधिक समस्या है ? क्या जल निगम द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से हैण्डपम्प लगवाने हेतु रु0 2 करोड़ 65 लाख शासन से स्वीकृत भी हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास खण्ड सुढौली, कदीम व मुजफराबाद के अन्तर्गत उक्त गांवों में हैण्डपम्प अधिष्ठापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मल्टी सेक्टोरल योजना अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के लोगों को पक्का आवास, पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु मा0 प्रधान मंत्री जी द्वारा संचालित 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिला स्तरीय समिति गठित है। जनपद से उक्त समिति के अनुमोदनोपरान्त प्राप्त प्रस्तावों को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदित कराके स्वीकृति हेतु भारत सरकार प्रेषित किया गया था। तदोपरान्त अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत एवं प्राप्त धनराशि से जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड मुजफ्फराबाद एवं सढौली कदीम के कुल 56 अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामों में ही मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत स्वीकृत 577 हैण्डपम्पों की स्थापना की जा रही है। पेयजल की अत्यधिक समस्या के दृष्टिगत ही जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदित तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के उपरान्त हैण्डपम्पों के स्थापना की उक्त कार्यवाही की जा रही है।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड मुजफ्फराबाद एवं सढौली कदीम के कुल 56 अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामों में मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत स्वीकृत 577 हैण्डपम्पों की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। परन्तु रु0 265.00 लाख उक्त स्वीकृति से सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ शहर को मेट्रो शहर घोषित की सुविधा दिये जाने की मांग

70-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा मेरठ शहर को मेट्रो शहर घोषित किया गया है ? यदि हां, तो मेट्रो शहर को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं, जो मेरठ शहर को प्राप्त हो गयी हैं तथा कितनी शेष हैं तथा वह कब तक प्राप्त करा दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अधिसूचना संख्या-6453/नौ-7-06-67ज-95, दिनांक 30-11-2006 द्वारा नगर निगम मेरठ सहित अन्य क्षेत्रों को मेरठ महानगर क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र के विकास के लिये विकास योजना का प्रारूप तैयार किये जाने हेतु उ0 प्र0 महानगर योजना समिति (प्रक्रिया का विनियमन एवं उसके कृत्यों का क्रियान्वयन) नियमावली, 2011 बनाई गयी है। उक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत महानगर योजना समिति का गठन कर विकास योजना का प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय सचिवालय कालोनी महानगर लखनऊ में जल भराव के निकासी की समुचित व्यवस्था

71-श्री जाकिर अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में वर्षा ऋतु में सचिवालय के सी-टाइप के भूतल के आवासों में एक फुट से दो फुट तक जल भराव के कारण प्रतिवर्ष अध्यासियों का लाखों रुपये का सामान का नुकसान हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। महानगर सचिवालय कालोनी के सी0-टाईप आवासों के भूतल में पानी भर जाता था जिसका मुख्य कारण पीछे के मोहल्लों से आने वाला पानी है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत कपूरथला से इस नाले में आने वाले पानी की छन्नीलाल चौराहे पर ट्रेप करके डायवर्ट कर दिया गया है ताकि सचिवालय कालोनी को जाने वाले पानी की मात्रा कम हो सके एवं जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

उ0 प्र0 विधान सभा के भू0पू0 सदस्य, श्री काशीनाथ के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री काशीनाथ का 11 अक्टूबर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 60 वर्ष के थे। श्री काशीनाथ का जन्म 5 जनवरी, 1952 को हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री काशीनाथ वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र कादीपुर (अ0जा0), जिला सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री काशीनाथ एक कर्मठ सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री काशीनाथ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। माननीय श्री काशीनाथ के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतृप्त परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन की शोक संवेदनाएं शोकाकुल परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

[12.23 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04-03-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 15 सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री अजय मिश्र 'टेनी' की जनपद लखीमपुर में विश्वविद्यालय स्थापित कराने के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में कतिपय पुलों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के नानपारा विधान सभा क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट को देखते हुए 400 इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में है,

चौथी सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया में नये विद्युत कनेक्शन लेने पर विद्युत विभाग द्वारा किसानों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाये जाने के सम्बन्ध में है,

पांचवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल मझोला के सेवानिवृत्त 235 कर्मचारियों को ग्रेच्युटी न प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

छठी सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयत) सेवानिवृत्त लाभ (पेंशन) नियमावली में संशोधन कर लाभार्थियों को लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है,

सातवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसरॉय के अन्तर्गत ग्राम सभा सिकन्दरपुर में चन्द्रप्रभा नदी पर अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

आठवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर के निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के पसियन पुरवा मजरा ईरापुर, विकास खण्ड बेहटा को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

नवीं सूचना श्री दीपक पटेल की जनपद इलाहाबाद में मुख्य शहर में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मार्गों का चौड़ीकरण किये जाने के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है,

दसवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्रीमती पूजा पाल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिमी स्थित मीरापुर में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

बारहवीं सूचना श्री छोटेलाल वर्मा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में तहसील भवन में अधिकारियों हेतु आवास का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है,

तेरहवीं सूचना श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में बाढ़ नियंत्रण हेतु बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में है,

चौदहवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में सरकारी धान की खरीद में की गई हेराफेरी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

पन्द्रहवीं सूचना श्री गोरख पासवान की जनपद बलिया में सेवा मुक्त किये गये संग्रह अमीनों को पुनः सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईः-

श्री सुभाष पासी, श्री रामचन्द्र यादव, श्री विजय बहादुर यादव, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री संजय कपूर, श्री प्रदीप माथुर, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री काली चरन सुमन, श्री उमेश पाण्डेय, श्री मदन गोपाल वर्मा, श्री राधेश्याम जायसवाल एवं श्री भीम प्रसाद सोनकर ।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद लखीमपुर खीरी में विश्वविद्यालय स्थापित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

[महोदय,

जनपद लखीमपुर नेपाल राष्ट्र की सीमा से लगा जिला है। यहां की आबादी लगभग 40 लाख है। विद्यार्थियों की संख्या लगभग 12 लाख है। जिसमें स्नातक व उससे ऊपर शिक्षा प्राप्त करने वाले

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लगभग 4 लाख विद्यार्थी हैं परन्तु पूरे जिले में शासकीय व प्राइवेट मिलाकर महाविद्यालयों की संख्या 10 से कम है तथा यह सभी विद्यालय कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं।

गौरतलब है कि लखीमपुर जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों की दूरी कानपुर विश्वविद्यालय से 300 कि0मी0 से अधिक है। इस कारण जो महाविद्यालय हैं उनको भी शिक्षा, परीक्षा सम्बन्धी बहुत से कार्यों के लिए लम्बी भाग दौड़ करने के अलावा बहुत सी परेशानियां होती हैं। प्रबन्ध समिति, अध्यापकों व विद्यार्थियों को छोटे-छोटे कामों के लिये भी धन व समय का भारी अपव्यय होता है। जिले के लोगों की बहुत समय से तथा आवश्यक व उचित मांग है कि जनपद लखीमपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये। जिससे लोग अनावश्यक समस्याओं से बच सके।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए लखीमपुर खीरी में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में कतिपय पुलों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार लल्लू-

[महोदय,

मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर में जनता को आवागमन में पुलों के अभाव में आने-जाने में परेशानी हो रही है क्योंकि बांसी नदी के गौरी घाट पर इसी नदी के पिपराघाट के गोलाघाट तथा इसी बांसी नदी के टी0वी0 रोड पर पुल न होने के कारण लोगों का आवागमन बाधित रहता है। वर्षाकाल के दौरान नदी में बाढ़ आने पर स्थिति और भी अधिक भयावह हो जाती है। पुल के अभाव में लोगों का जहां आवागमन बाधित रहता है वहीं कृषि कार्य भी प्रभावित होता है। इससे इस क्षेत्र की गन्ने की फसल पूरी तरह से प्रभावित होती है जिसके कारण गन्ना किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही कभी-कभी गम्भीर रूप से बीमार लोगों की चिकित्सा के अभाव में मृत्यु भी हो जाती है। इन स्थानों पर पुल का निर्माण किये जाने हेतु काफी समय से जनता मांग करती रही है। इन स्थानों पर पुल न होने के कारण यहां के निवासियों में चिन्ता एवं आक्रोश व्याप्त है। इन स्थानों पर सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल निर्माण कराये जाने हेतु आगणन प्राप्त हो चुका है। आगणन की धनराशि को शासन द्वारा आवंटित किया जाना है। इस संदर्भ में शासन का पत्र सं0-90 नियम/23-10-2012-39 नियम/12 लो0नि0 अनुभाग-10, लखनऊ दिनांक 03-12-2012 एवं प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0 प्र0 लो0नि0वि0 लखनऊ का पत्रांक-635/मा0 जनप्रतिनिधियों गोरखपुर/सेतु-6/12, दिनांक 16-07-2012 के क्रम में मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, गोरखपुर के पत्रांक 2978/1 नाबार्ड-गो0क्षे0/13, दिनांक 27-02-2013 द्वारा उक्त कार्य हेतु आगणन प्रस्तावित कर धन स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः जनहित में इन तीनों पुलों को शीघ्र निर्माण कराये जाने के लिए प्राप्त आगणन के आधार पर शीघ्र धन आवंटित करने का कष्ट करें।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के नानपारा विधान सभा क्षेत्र में गंभीर पेयजल संकट को देखते हुये 400 इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी वर्मा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 283, सनानपारा, जनपद-बहराइच में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। पर्याप्त हैण्डपम्प क्षेत्र में न होने से जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2012 में हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प नहीं लगाया गया है। जबकि मेरे क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निदान हेतु 400 हैण्डपम्प इण्डिया मार्का-2 लगाये जाने की आवश्यकता है। पर्याप्त हैण्डपम्प न होने से गर्मियों में जनता पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकती रहती है। उक्त समस्या को लेकर क्षेत्र की जनता में काफी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार से कार्यवाही कर मेरे विधान सभा क्षेत्र में 400 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अविलम्ब लगाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया में नये विद्युत कनेक्शन लेने पर विद्युत विभाग द्वारा किसानों के साथ भेदभाव पूर्ण नीति अपनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर-

[मान्यवर,

मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद बलिया अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 2 के0वी0ए0 विद्युत कनेक्शन लेने में कामर्शियल रेट का भुगतान करना पड़ रहा है तथा विद्युत विभाग द्वारा यह कहा जा रहा है कि 5 के0वी0ए0 के कनेक्शन पर ही कृषि दर लगायी जायेगी जबकि पड़ोस के जनपद मऊ व गाजीपुर में इसी विद्युत विभाग द्वारा 2 के0वी0ए0 के कनेक्शन कृषि रेट पर दिये जा रहे हैं आखिर जनपद बलिया के साथ यह भेदभाव क्यों ?

महोदय, यदि 2 के0वी0ए0 का कनेक्शन मऊ व गाजीपुर की भांति कृषि रेट पर जनपद बलिया में भी देना शुरू कर दिया जाए तो हजारों कनेक्शन एक साथ तुरन्त हो जायेंगे तथा जो विद्युत की चोरी हो रही है वह भी रुक जायेगी।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर जनपद बलिया में भी अन्य जनपदों की भांति कृषि उपभोक्ताओं को 2 के0वी0ए0 कनेक्शन कृषि रेट पर दिये जाने हेतु शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल मझोला के सेवानिवृत्त 235 कर्मचारियों को ग्रेच्युटी न प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय,

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल मझोला काफी लम्बे समय से बन्द पड़ी हैं जिसमें कि लगभग 235 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जिनको वर्ष 2004 से ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हुआ है। कुल भुगतान लगभग 3 करोड़ रुपया अवशेष है। शासन द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त (बी0आर0सी0) के अन्तर्गत लगभग दिये जाने हेतु 27,91,00,000/-रु0 (सत्ताइस करोड़ इक्यानवे लाख) की धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी कतिपय को लाभ प्रदत्त भी कराया गया जिससे कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वरोजगार प्राप्त होता। इसी चीनी मिल में आदेश संख्या-91.19/680 दिनांक 19-8-1968 के द्वारा हेल्पर फिटर की सेवाएं अकारण एवं अवैध ढंग से निरस्त कर दी गयी जिन्हें कि अब तक बहाल भी नहीं किया गया है। जिसका कि श्रम न्यायालय के यहां वाद सं0-241/92 पंजीकृत है एवं विचाराधीन है। राज्यपाल उ0 प्र0 ने भी पत्र संख्या-पी-6835/जी0एस0 दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के द्वारा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग को नियमानुसार कार्यवाही का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्र 272/एम0एस0/पी0एम0 2009, दिनांक 22 जनवरी, 2009 तथा राष्ट्रपति सचिवालय से पत्रांक-10-3-2008, दिनांक 25 जनवरी, 2009 तथा मुख्य सचिव के पत्र संख्या-272/एम0एस0/पी0एम0/2009, इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि यथा आवश्यक अग्रेतर पृच्छा हेतु सम्पर्क करने का कष्ट करें परन्तु अब तक वांछनीय कार्यवाही सम्पन्न नहीं हुई है। इस प्रकार विलम्ब किया जाना न्योचित नहीं है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व की इस सूचना पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा की जाय तथा सम्बन्धित कार्यवाही कराने की भी मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीयत) सेवानिवृत्त लाभ (पेंशन) नियमावली में संशोधन कर लाभार्थियों को लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज-

[महोदय,

अवगत कराना चाहूंगा कि उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीयत) सेवा में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करने में वृद्धावस्था होने की वजह से भारी कठिनाइयों एवं असुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीयत) सेवा कर्मचारी पेंशन निधि का खाता केवल जिला मुख्यालय के स्टेट बैंक में होने के कारण जनपद के दूर-दराज नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वृद्धावस्था में भी लगभग 100 कि0मी0 तक की दूरी तय करके पेंशन लेने के लिए जनपद मुख्यालय जाना पड़ता है जो कि वहां से नगद रूप में प्राप्ति होती है। इस पेंशन प्राप्ति में अनेक असुविधा एवं कठिनाइयों का सामना वृद्धजनों को करना पड़ता है जबकि पेंशन की सुविधा सबसे नजदीक के स्टेट बैंक आफ इण्डिया बैंक से होनी चाहिए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यथाशीघ्र नियमावली में संशोधन की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा सिकन्दरपुर में चन्द्रप्रभा नदी पर अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-चन्दौली के मेरे विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा सिकन्दरपुर में चन्द्रप्रभा नदी पर एक अर्ध निर्मित पुल न बनने के कारण एक ओर से दूसरे ओर जाने के लिए 8 कि0मी0 की दूरी तय करना पड़ता है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक दुर्घटनायें आये दिन होती रहती हैं जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अतिशीघ्र उक्त पुल निर्माण की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के पसियन पुरवा मजरा ईरापुर, विकास खण्ड बेहटा को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[महोदय,

कृ0 अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के पसियन पुरवा मजरा ईरापुर, विकास खण्ड बेहटा जो अत्यन्त पिछड़ा तथा गरीब व कमजोर वर्ग की आबादी वाला गांव है। इस गांव के आने-जाने वाला मार्ग अत्यन्त कच्चा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। वर्षा के दिनों में ग्रामीणों को गांव में निकलना मुश्किल हो जाता है। अपनी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार हाट भी नहीं आ जा सकते ऐसी स्थिति में इस गांव के ग्रामीणों के सामने आवागमन में बहुत बड़ी कठिनाइयों व मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग को यथाशीघ्र निर्माण करवाने की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद में मुख्य शहर में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मार्गों का चौड़ीकरण किये जाने के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद में मुख्य शहर में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर मुख्य मार्गों का अतिक्रमण ध्वस्त करा दिया गया है। जबकि ध्वस्त किये गये

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्माण बहुत पुराने थे। इनमें से कुछ निर्माण तो 40-50 वर्षों से भी अधिक पुराने थे। बड़े पैमाने पर की गयी ध्वस्तीकरण की इस कार्यवाही से हजारों लोग बेरोजगार हो गये हैं तथा इनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। इनमें से कुछ दुकानें तो इलाहाबाद की पहचान भी थी। मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अतिक्रमण ध्वस्त कराने के साथ-साथ ध्वस्तीकरण से प्रभावित दुकानदारों को विस्थापित करके नयी दुकान देने का भी निर्देश दिया था किन्तु स्थानीय प्रशासन द्वारा दुकानें तो ध्वस्त करा दी गयी किन्तु पीड़ित दुकानदारों को विस्थापित नहीं किया गया और न ही विस्थापन के संदर्भ में कोई सकारात्मक आश्वासन दिया गया जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बड़ी संख्या में प्रभावित दुकानदारों को रोजी रोटी हेतु विस्थापित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में गंभीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 222 बबीना (झांसी) में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है और क्षेत्र में ग्राम नयाखेड़ा, खाड़ी, मानपुर, पुनावली, रक्सा में प्राचीन तालाब स्थित है जो गर्मियों में सूख जाते हैं। सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि बबीना क्षेत्र में जो तालाब स्थित है उनमें जल उपलब्धता की कमी है जिससे मनुष्य, पशु पक्षियों को पेयजल के लिए अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पानी की कमी के कारण बहुत से जानवर एवं पक्षियों की मौत हो जाती है। क्षेत्र में पेयजल की इस समस्या का निदान इन तालाबों के पास ही राजघाट नहर परियोजना संचालित है, इन तालाबों को इस नहर से गर्मियों में भरा जा सकता है। पानी की इस गम्भीर समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता में क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए साथ ही क्षेत्र में स्थित इन तालाबों को राजघाट नहर से भराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिमी स्थित मीरापुर में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती पूजा पाल-

[महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद इलाहाबाद की मेरी विधान सभा 261, इलाहाबाद पश्चिमी के अन्तर्गत मीरापुर जी0टी0 रोड फतेहपुर सम्पर्क मार्ग अशोक पाल एवं कालीचरन के आवास तक (लि0 लगभग 700 मीटर) सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त है, जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता के आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त मार्ग की मरम्मत करने हेतु बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन के अधिकारियों से भी कई बार अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सरकार द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत नहीं कर सकी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़क का यथाशीघ्र निर्माण किये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में तहसील भवन में अधिकारियों हेतु आवास का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटे लाल वर्मा-

[महोदय,

अवगत कराना है कि जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में कुछ वर्ष पहले नई तहसील भवन का निर्माण कराया गया था, परन्तु तहसील भवन में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारियों के आवासों का निर्माण नहीं कराया गया है जिससे अधिकारीगण रोजाना आगरा चले जाते हैं जिससे सरकार का लाखों रुपये खर्च गाड़ियों के डीजल व अन्य खर्चे का वहन करना पड़ता है और जनता को रात्रि में अधिकारियों के न रुकने के कारण जनता का कार्य समय से नहीं हो पाता और लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय लोगों में भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त तहसील में अधिकारियों के आवासों का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में बाढ़ नियंत्रण हेतु बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभुदयाल बाल्मिकी-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरठ में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है जिससे सैकड़ों गांव जल मग्न हो जाते हैं। इस बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं एवं इनको लाखों का नुकसान हो जाता है। तीन महीने बाद वर्षाकाल शुरू हो जायेगा इससे हजारों किसान भयभीत हैं यहां पर बना बांध बराबर बाढ़ के समय टूट जाता है। यह लोक महत्व के विषय हैं और जनहित से जुड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त बांध पर ठोकर बनाये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में सरकारी धान की खरीद में की गई हेरा-फेरी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत क्रय-विक्रय समिति उतरौला द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किसानों से धान न खरीद कर आढ़तियों एवं बिचौलियों से धान खरीद की गयी हैं जिससे क्षेत्रीय किसानों को अपनी धान की फसल औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे क्षेत्रीय किसानों में मायूसी एवं रोष व्याप्त है। यह प्रकरण लोक महत्व एवं जनहित का किसानों से जुड़ा विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकारी धान की खरीद में की गयी हेरा-फेरी, धोखाधड़ी करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जांच कराकर दण्डित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया में सेवा मुक्त किये गये संग्रह अमीनों को पुनः सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरख पासवान-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद बलिया में 1981 से लगातार सेवारत समायिक संग्रह अमीनों को पूर्व सरकार द्वारा 2010 में बिना कारण बताये ही सेवा मुक्त कर दिया गया जिससे वर्तमान समय में इनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर निकाले गये समायिक संग्रह अमीनों को पुनः सेवा में लिये जाने की मांग करता हूं।]

[12.45 बजे] उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, प्रमुख सचिव को तीन सूचनायें सदन को सूचित करने के लिए हैं। ये हो जांए उसके बाद आप अपनी बात शुरू कर दीजिए।

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से यह सूचित करता हूं कि-''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 के उप नियम-(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 नवम्बर, 2012 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 29 नवम्बर, 2012 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से यह सूचित करता हूं कि ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 के उप नियम-(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 27 नवम्बर, 2012 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 29 नवम्बर, 2012 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से यह सूचित करता हूं कि ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 के उप नियम-(1) के अन्तर्गत छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 27 नवम्बर, 2012 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनॉक 27 नवम्बर, 2012 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 29 नवम्बर, 2012 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

[12.28 बजे] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या- 4 व 5 में कुछ नहीं है। मद संख्या-6 में कार्य-मंत्रणा की सिफारिशें और सातवां मंत्री जी का वक्तव्य है। मौर्या जी, कार्य-मंत्रणा भी हो जाने दीजिए, उसके बाद आगे चलें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 फरवरी, 2013 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 04 मार्च, 2013 से दिनांक 22 मार्च, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 04 मार्च, 2013 को निधन का निर्देश लिया जाय।

2-दिनांक 04 मार्च, 2013 को आधा दिन वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा हो।

3-दिनांक 04 मार्च, 2013 को आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के उपरान्त असरकारी दिवस (आधा दिन) (दिनांक 08 मार्च, 2013 के स्थान पर) को लिया जाय।

4-दिनांक 04 मार्च, 2013 को निर्धारित वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या-11, 10, 14, 15, 22, 79, 45 तथा 16 की मदें अब दिनांक 08 मार्च, 2013 को ली जायं।

5-दिनांक 06 मार्च, 2013 को नियम-52 के अन्तर्गत ''कुम्भ मेले में श्रद्धालुओं के साथ घटित घटना'' के सम्बन्ध में डेढ़ घण्टे की चर्चा ली जाय।

6-दिनांक 11 मार्च, 2013 को वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी मद के उपरान्त विधायी कार्य लिया जाय।

7-दिनांक 12 मार्च, 2013 को नियम-52 के अन्तर्गत ''उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था'' पर डेढ़ घण्टे की चर्चा ली जाय।

8-तद्नुसार 04 मार्च, 2013 से 22 मार्च, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>मार्च, 2013</u>

04 सोमवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना। 2-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। (अन्तिम दिन) 3-असरकारी दिवस (आधा दिन) (दिनांक 08 मार्च, 2013 के स्थान पर)
05 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
06 बुधवार	1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-नियम-52 के अन्तर्गत ''कुम्भ मेले में श्रद्धालुओं के साथ दिनांक 10 फरवरी, 2013 को घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में'' डेढ़ घण्टे की चर्चा।
07 गुरुवार 08 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
09 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी।
11 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-''उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013'' पर विचार एवं उसका पारण।

मार्च, 2013

12 मंगलवार 1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-नियम-52 के अन्तर्गत ''उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में'' डेढ़ घण्टे की चर्चा।

13 बुधवार, 14 गुरुवार } वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

15 शुक्रवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

16 शनिवार, 17 रविवार } बैठक नहीं होगी।

18 सोमवार, 19 मंगलवार, 20 बुधवार } वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

21 गुरुवार 1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-3.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

22 शुक्रवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश भर में बेमौसम भयंकर पाला, बारिस, ओलावृष्टि एवं तूफान के कारण किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 को मैं स्थगित करता हूं।

[12.33 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव पहले लेता हूं। कार्य-स्थगन की पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्या, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री सुरेश बंसल, श्री अमर पाल शर्मा, श्री राजबली जैसल, श्री शमशेर बहादुर शेरू भईया, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री उमाशंकर सिंह, श्री बब्बन, श्री लोकेश दीक्षित, श्री जय प्रकाश निषाद 2-श्री हुकुम सिंह, 3-श्री प्रमोद तिवारी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह की दिनांक 2-3-2013 को जनपद प्रतापगढ़ के कुण्डा तहसील अन्तर्गत हथिगवां थाने स्थित वलीपुर गांव में अराजक तत्वों द्वारा ग्राम प्रधान एवं उनके भाई तथा उपपुलिस अधीक्षक, कुण्डा की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में।

दूसरी सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के पडरौना स्थित जे0एच0बी0 शुगर लिमिटेड चीनी मिल का वर्ष 2012-13 में उद्घाटन किये जाने के उपरान्त भी फैक्ट्री चालू न किये जाने, मजदूरों एवं गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में।

तीसरी सूचना श्री जन्मेजय सिंह की दिनांक 31.1.2013 को निखिल तिवारी के अपहरण के उपरान्त उसकी हत्या करने वाले मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न किये जाने एवं पुलिस की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में।

शेष श्री सतीश महाना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, साध्वी निरंजन ज्योति, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, श्री उमाशंकर सिंह, श्री मुकेश श्रीवास्तव, श्री फेरनलाल अहिरवार, श्री अगयश राम सरन वर्मा की सूचनाएं अस्वीकार की गईं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मुझे भी इस पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी वैसे तो नियम-311 में सूचना थी लेकिन इस पर बोल लीजिएगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी जनपद प्रतापगढ़ के कुण्डा तहसील अन्तर्गत हथिगवां थाने में वलीपुर के ग्राम प्रधान व उनके भाई के साथ ही साथ सी0ओ0 कुण्डा की जो निर्मम हत्या हुई है यह केवल दिल दहलाने वाली ही नहीं है बल्कि बहुत ही जघन्य अपराध है वीभत्स घटना है जितनी भी निन्दा की जाय उतनी कम है साथ ही साथ इस घटना ने कानून को बिल्कुल चुनौती दे रखी है, उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती दे रखी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्योंकि प्रतापगढ़ में जिस तरीके से बराबर गोली-बारी घन्टों चलती रही और मान्यवर तीन तो हत्याएं हुई हैं और दर्जनों वहां पर लोग घायल भी हुए हैं। और जिस तरीके से बर्बर अत्याचार और नंगा नाच हुआ है, यह कानून राज्य की धज्जियां उड़ाने के लिये एक जीता जागता नमूना है। नित्य प्रति उत्तर प्रदेश की तमाम इस प्रकार की घटनाएं जब कभी विपक्ष सरकार के संज्ञान में लाता है सरकार हमेशा यही कहती है कि कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुरत है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के इस उदासीन रवैये से अपराधियों के हौसले बुलन्द होते जा रहे हैं और मान्यवर, ग्राम प्रधान की हत्या, उसके भाई की हत्या और फिर पुलिस उपाधीक्षक की हत्या इस बात को साबित करती है कि आज न जनप्रतिनिधि सुरक्षित हैं, न कानून के रखवाले सुरक्षित हैं। जब कानून का रखवाला खुद सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश की आम जनता कैसे सुरक्षित होगी ? यह अपने आप में एक सवालिया निशान छोड़ के जाता है। मान्यवर, यह वही प्रतापगढ़ है जहां कुछ दिन पहले घटी अस्थान की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोरने का काम किया था और तब से लगातार नित्य प्रति कोई न कोई इस प्रकार के हादसे वहां होते रहते हैं। 2 मार्च, 2013 को वलीपुर के ग्राम प्रधान उनके भाई एवं सी0ओ0 कुण्डा की हत्या की घटना जहां आज पूरे प्रदेश के क्षेत्रवासियों को ही नहीं बल्कि इस घटना से पूरा उत्तर प्रदेश हिला है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भय और दहशत के वातावरण में जीने के लिये मजबूर हो रहे हैं। यही नहीं मान्यवर, वह पुलिस उपाधीक्षक नौजवान था अभी 30-31 साल का लड़का था और जिस तरीके से उसको वहां गोलियों से भूना गया तो स्वाभाविक रूप से आम जनता का विश्वास पुलिस से उठेगा, कानून से उठेगा और उनके दिल में यह बात उठेगी कि जब पुलिस उपाधीक्षक की हत्या हो रही है, सी0ओ0 की हत्या हो रही है और सारी की सारी पुलिस वहां तमाशबीन है तो मान्यवर, यह बात कई प्रश्न छोड़कर जाती है जब पुलिस उपाधीक्षक अपने तमाम हमराहियों के साथ में स्थानीय थानाध्यक्ष के साथ में, कोतवाली कुन्डा के पुलिस कर्मियों के साथ में जब 40-45 की संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था तो उसकी हत्या कैसे हो गई ? यह बहुत सामान्य बात नहीं है। क्या कारण है जब गांव में दोनों पक्षों में गोली बारी हो रही है और बीच बचाव करने के लिये वह नौजवान पुलिस उपाधीक्षक हिम्मत करके आगे जाता है तो उसके और साथी, सहयोगी पुलिसकर्मी क्या कारण है कि वह पीछे हो जाते हैं ? कोई भाग जाता है, कोई गेहूं के खेत में छिप जाता है, कोई बैरंग वापस हो जाता है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं स्थानीय थानों की पुलिस भी इस घटना में उन अपराधियों के साथ सांठ-गांठ में लिप्त रही है और मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है, अविलम्बनीय है क्योंकि पुलिस उपाधीक्षक की लाश अभी भी नहीं दफनायी गई है। उसकी विधवा पत्नी परवीन आजाद अभी भी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को ले करके देवरिया में हजारों की हुजुम के साथ में धरने में बैठी है कि मैं अपने पति को तब तक नहीं दफनाऊंगी जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। मान्यवर, एक ओर जन प्रतिनिधि मारा जाता है उसमें भी नामजद एफ0आई0आर0 हुई है और दूसरी ओर पुलिस उपाधीक्षक की पत्नी ने भी नाजमद एफ0आई0आर की है। तो जब नामजद एफ0आई0आर0 हो चुकी है तो अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, यह सिलसिला लगातार चल रहा है आज हम कुण्डा प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हम नहीं जाना चाहते हैं लेकिन यह वही प्रतापगढ़ है,

जहां नित्य प्रति इस प्रकार की घटनायें चल रही हैं। दो तारीख की यह घटना है कल जेठवारा थाने के नौबस्ता गांव में एक मुस्लिम लड़के को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। अभी एक हफ्ता पहले मैंने इसी प्रतापगढ़ सिटी के चेयरमैन अशोक मौर्या की हत्या का प्रकरण उठाया था यानि इस तरह से लगातार सिलसिलेवार जो प्रतापगढ़ में हादसा हो रहा है नित्यप्रति घटनायें हो रही हैं जुल्म ज्यादती अत्याचार हो रहा है। बड़ी-बड़ी घटनायें हो रही हैं यह मान्यवर, यह एक केवल नमूना है, मिसाल है मान्यवर,पूरा उत्तर प्रदेश इसी दहशत के वातावरण में जी रहा है, इसलिए भी अविलम्बनीय है, क्योंकि अभी उन तीन लोगों ने दो की तो मान्यवर अन्त्येष्टि क्रिया हो गई लेकिन उस शहीद नौजवान हिम्मत वाला बहादुर पुलिस कर्मी जो पुलिस उपाधीक्षक था, सी0ओ0 कुण्डा, की अभी अन्त्येष्टि नहीं हुई है उसका दफन नहीं हुआ है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी पत्नी की मांग है कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम अपने पति की लाश को दफनायेंगे नहीं। आज इस पंचायत में इस बात का निर्णय होना है कि अपराधियों की तुरन्त गिरफ्तारी होनी चाहिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के नीचे हम कोई बात मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि आज पूरा उत्तर प्रदेश इस घटना से शर्मसार है भयभीत है आक्रोशित भी है साथ ही यह पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोरने वाली घटना है पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाने वाली घटना है। ऐसी वीभत्स घटना पर मान्यवर, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। सरकार का जवाब आना चाहिए,अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ ही साथ .....

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह तो अभी एक पक्ष है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन मान्यवर, इसमें दूसरा पक्ष यह है कि वह पुलिस कर्मी, जिन्होंने अपने सी0ओ0 को दगा दिया है, विश्वासघात किया है, उसको आगे करके, खुद पीछे हटे हैं, इस प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए और ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ, जो वह पुलिस उप अधीक्षक की हत्या में जिम्मेदार हैं उनकी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम समझते हैं कि यह सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई है इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके संरक्षण में न्याय जरूर मिलेगा।

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, घटना बहुत दुःखद है, नेता प्रतिपक्ष ने अभी विस्तार से बात को रखा। कई बिन्दु सामने आते हैं, प्रधान की हत्या हुई प्रधान के भाई की हत्या हुई। निश्चित रूप से तनाव गांव में बहुत पहले से चल रहा था। जमीन का विवाद था। इतनी बड़ी घटना एकदम नहीं होती है, इतनी बड़ी घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। आखिर, जिला प्रशासन कहां था ? जिला प्रशासन का दायित्व है कि अगर कहीं किसी गांव में तनाव है किसी घटना को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हैं तो उनको कार्यवाही कर देनी चाहिए थी। जहां तक मेरी जानकारी है मान्यवर 15-20 दिन से उस गांव में तनाव की स्थिति चल रही थी। अगर जिला प्रशासन को जानकारी नहीं थी, तो जिला प्रशासन कितना निकम्मा हो सकता है इसका अनुमान आप लगा लीजिए। अगर जानकारी थी तो जानकारी के बावजूद भी जिला

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है तो जिम्मेदारी से भागने वाली बात हुई या नहीं हुई ? अगर समय रहते जिला प्रशासन ने कदम उठा लिए होते, उन दो व्यक्तियों की निर्मम हत्या न होती तो शायद यह कांड न हुआ होता। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार अपने स्तर से जांच कराये या कोई और जांच कराये इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इतने दिन से तनाव चलता रहा। कि इतने दिन से तनाव चलता रहा, उसको रोकने की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

मान्यवर, अब घटना पर आते हैं। प्रधान और प्रधान के भाई की हत्या हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सामान्य बुद्धि का भी कोई व्यक्ति होगा, कोई अधिकारी होगा, उसको लगेगा कि गांव में तनाव है, दो आदमियों की हत्या हो चुकी है, क्या उसके शव को दोबारा गांव में ले जाया जायेगा ? क्या वहां से सीधा पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाना चाहिए था, मान्यवर ? कुण्डा में जिलाधिकारी भी बैठे हुए हैं, कुण्डा में एस0पी0 भी बैठे हुए हैं, एडीएम भी हैं, एसडीएम भी हैं, बाकी अधिकारी भी हैं, कहां विवेक खो दिया ? कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है, सामान्य रूप से भी कभी ऐसी घटना हो जाए, दुर्घटना भी हो जाए, बस का एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी प्रयास किया जाता है, धरना-प्रदर्शन भी हो जाए, गॉव वालों को समझा-बुझाकर यह प्रयास किया जाता है कि सीधे-सीधे वहां से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। लेकिन सीधा गॉव में ले जा करके, प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? मान्यवर, इसके लिए वहॉ का जिला प्रशासन जिम्मेदार है। जो हमलावर थे, उनके घरों को जलाने की बात हुई, पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस अकेली नहीं है, अकेले सी0ओ0 नहीं हैं, एस0ओ0 भी साथ में हैं, पुलिसकर्मी और भी साथ में हैं। मान्यवर, क्या यह सवाल नहीं है कि जो थाने का इंचार्ज है, क्या कारण है कि वह बीच में रुक जाता है, जाने की जुर्रत नहीं करता है और एक बहादुर नौजवान अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़ता है कि मैं पुलिस का अधिकारी हूं मुझे आगे जाना चाहिए। आगे जाता है और गोली का शिकार होता है, पिटाई का शिकार भी होता है, उसको घसीटा भी जाता है और शर्म की बात है, 800 मीटर पर 25 पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, अधिकारी खड़े हैं, टार्च जलाकर तमाशा वहां देख रहे हैं, आगे बढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। मान्यवर, आज हमारी सुरक्षा की पोल खुल गई, हमें गनर मिलता है, उसके पास भी गनर था, जाकर गेहूं के खेत में छिप गया, मान्यवर, उन पर निर्भर कर रही है, हमारी सुरक्षा, जिसके बारे में न्यायपालिका न जाने क्या-क्या टिप्पणी करने से थकती नहीं है। आज उस गनर ने दिखाया, कितनी प्रतिबद्धता थी उसमें, कितना समर्पणभाव था, जिस अधिकारी के प्रति उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। मान्यवर, घण्टों यह तूफान चला, कहीं दूर का मामला नहीं है और घण्टों के बाद भी उसकी डेडबाडी पड़ी रही, अगर घटना के बाद समय के अन्दर उसको वहां से उठा लिया होता तो शायद उस नौजवान की जान बच जाती। लेकिन न किसी के दिल में रहम आया और न किसी ने हिम्मत की। जहां इतने साहसी पुलिसकर्मी हों, क्या उनकी ट्रेनिंग हुई होगी, क्या सौगंध खाकर वह आये होंगे, जिन्होंने अपने ही अधिकारी को अपनी ही आंखों के सामने गंवा दिया। मान्यवर, यह प्रकरण इतना गंभीर हो गया, इसमें हम जितने विस्तार में जाते हैं, उतना ही मन दुखी होता है। उसकी जवान पत्नी, सम्भवतः एक साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, बीडीएस की वह विद्यार्थी है, उसको बताया गया कि उसका पति घायल हो गया है, मान्यवर, ऐसे ही खबर दी भी जाती है। इसके बाद में वह जाती है, तब उसको सारी जानकारी मिलती है।

मान्यवर, जो अगला प्रकरण है, वह घूमना शुरू होता है, एफ0आई0आर0 हुई, एक मंत्री का नाम आया, 120 बी में। मान्यवर, मंत्री का नाम क्यों आया, विषय यह है। चूंकि मैं 10 बजे तक टीवी देख रहा था, स्थानीय लोगों का आक्रोश भी दिखाया जा रहा है, पब्लिक भी खड़ी दिखायी जा रही है, यह भी दिखाया जा रहा है कि आम जनता में बहुत ज्यादा रोष है। मान्यवर, उसकी पत्नी एफ0आई0आर0 देती है, समाचार पत्र में एफ0आई0आर0 की प्रति छपी है, उसने लिखा है कि फलां मंत्री के कारण भड़काया गया। मंत्री वहां हैं नहीं, उनका नाम क्यों आया, क्या इसके पहले कोई घटना हुई थी, क्या पुलिस को इसकी जानकारी थी और मेरे सामने यह भी प्रश्न है कि यह कोई राजनैतिक महिला नहीं है, वह महिला मेडिकल कालेज में पढ़ने वाली पढ़ी-लिखी महिला है। उसके दिमाग में क्यों बात आयी। आप अब क्या किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकेंगे कि किसी अपोजीशन वाले ने नाम ले दिया। नाम आया तो आखिर क्यों आया और अगर नाम आया तो कार्रवाई क्या हुयी। मैं किसी के व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता लेकिन सामान्य रूप से हमारे सामने यह प्रश्न तो आएगा। तीन आदमियों के नाम हैं दो जेल में हैं। मैं नहीं कहता कि श्री रघुराज प्रताप सिंह को अरेस्ट किया जाये। यह मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन यह जरूर है कि प्रदेश की जनता के सामने यह बात आयी है तो इंसाफ तो बराबर का ही होता है। जिसका कोई रखवाला नहीं उसको आप जेल भेज देंगे। अगर घटना की जांच होनी थी तो पूरी घटना की जांच होने के बाद कोई जेल जाना चाहिए था और अगर कार्रवाई हुयी है तो समान कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं कोई पक्षपात की बात नहीं करता लेकिन इन सवालों का जवाब आना चाहिए कि नाम क्यों आया, अगर गलत आया तो क्यों आया। यह भी एक सवाल है कि वहां पर खड़े होकर वरिष्ठ अधिकारियों ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है उस टिप्पणी के बारे में भी जांच होनी चाहिए कि क्या अगर किसी को कोई बहुत बड़ा औहदा मिल गया तो वह लगातार किसी के बारे में कोई टिप्पणी करता है तो यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां जाकर टिप्पणी तो कर दी न्याय तो किसी को नहीं दिला पाये।

दूसरी बात मान्यवर, संभवतः वह अधिकारी देवरिया के थे, आज उनके पिता का फोटो भी निकला है बुजुर्ग आदमी हैं उनकी भी वेदना साफ नजर आ रही है और वह उसके शव को दफनाने के बजाये लेकर के बैठे हुए हैं। एक नौजवान और जिसकी चर्चा चारों तरफ थी, कहते थे कि बहुत डायनेमिक अधिकारी हैं, कहते थे कि जहां भी उसकी जरूरत पड़ती है वर्दी की इज्जत करना जानता है उस अच्छे अधिकारी ने अपनी शहादत दी है और वह शहादत उन परिस्थितियों में दी है जिन परिस्थितियों का जन्म वहीं पर हुआ है। उन अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की वजह से हुआ है। जनता को दोष तो बाद में देंगे। एक आदमी पकड़कर पीटा जा रहा है कम से कम किसी को तो दया आनी चाहिए थी कि एक पुलिस अधिकारी को पकड़कर उसके सामने ऐसी भयंकर घटना हो रही है कोई उसकी मदद को नहीं आता। यह हमारे समाज की मनःस्थिति बन गयी कि न्याय के साथ खड़े होने वाले कितने आदमी रह गये हैं। कितने अपने जीवन को खतरे में डालने वाले आदमी रह गये। मान्यवर, दो-चार प्रश्न मैंने आपके सामने रखे इन दो-चार प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए। विधान सभा तो चलती रहेगी पहले भी चली है आगे भी चलती रहेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया कि कैसे हम ऐसे प्रशासन पर विश्वास कर लें, कैसे हम ऐसे पुलिसकर्मियों पर विश्वास कर लें, कैसे कानून-व्यवस्था पर हम विश्वास कर लें। आज हम इस बात को उठा रहे हैं। कार्रवाई नहीं

होगी, दो-चार महीने में यह ठण्डे बस्ते में चला जाएगा। वह पुलिसकर्मी चला गया। दो-चार लाख रुपये आप उसके घर में दे आयेंगे। इन दो-चार लाख रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बड़ी शहादत हुयी है और इस शहादत के बाद बहुत गंभीरता के साथ विचार करने के बाद इसका निराकरण होना चाहिए इसका समाधान होना चाहिए। यह पुलिसकर्मी इनको लेकर के कहां चले जायेंगे। मान्यवर, अगर कल पाकिस्तान से लड़ाई हो जाये और यही पुलिस के जवान हमारे साथ में हों तो यह तो हम सबको मरवाकर चले आयेंगे। ऐसी स्थिति इनकी है। मान्यवर, मैं एक सैनिक रहा हूं मुझे पता है कि एक सैनिक अपने अधिकारी के साथ में कैसे खड़ा होता है। उसको बचाने के लिए अपने प्राण दे देगा। और यह पुलिस के जवान हैं, इनका कमांडर मर रहा है, गोली चल रही है, पिटाई हो रही है और यह गेहुं के खेत में छुप रहे हैं। मान्यवर, क्या इस पुलिस बल के आधार पर आप प्रदेश की सुरक्षा कर पायेंगे। अगर इसका समाधान नहीं होता तो बेकार में क्यों कार्रवाई हां ना में कराकर समापन करना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है कि आज इन बिन्दुओं पर चर्चा भी हो और समाधान भी हो तब हमें संतोष होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आपका 311 में है और नियम-56 में श्री प्रमोद तिवारी जी का है। पहले प्रमोद तिवारी जी बोल लें फिर आप बोलेंगे।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन में जितना दुःख और पीड़ा है मान्यवर, मैंने बहुत कम देखी है। दलों से ऊपर उठकर लोग अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे हैं और जिस किसी ने मान्यवर, आज टेलीवीजन देखा होगा, उस बेवा की तस्वीर देखी होगी, उस बेवा का बयान सुना होगा, कहीं अगर दिल में इन्सानियत है तो सब शर्मसार हुए होंगे, दुःखी हुए होंगे । मान्यवर, मेरा एक सवाल है आपसे और आपके माध्यम से इस सरकार से, क्या ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को इनाम की जगह सिर्फ पुलिस की गोलियां मिलेंगी। क्या ईमानदार अधिकारियों को अपने कर्तव्य पालन में इस बेरहमी के साथ मारा जायेगा। मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा न कह कर दो-तीन बिन्दु मेरे दिमाग में हैं और मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को सीधे सम्बोधित करते हुए, लैटिन की एक कहावत कहना चाहता हूं, जिस पर पूरी न्यायपालिका आधारित है और जो हमारे यहां पर अधिवक्ता बन्धु होंगे, वह मुझसे सहमत होंगे। मान्यवर, लैटिन की कहावत है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि यह दिखना चाहिए कि न्याय हुआ और आज आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है और इस सवाल का जवाब आपको इस सदन में देना ही पड़ेगा कि कैसे आप हमको संतुष्ट करते हैं कि न्याय हुआ या नहीं हुआ। यही मुख्य सवाल है। जो बातें मौर्या जी ने कहीं मैं उससे सहमत हूं, जो बातें भाई हुकुम सिंह जी ने कही मैं उससे भी सहमत हूं, मैं दोहराना नहीं चाहता फैक्ट और दुर्घटना को, लेकिन दो-तीन चीजें मैं कहना चाहता हूं।

मान्यवर, शुरूआत मैं करना चाहता हूं, उस गांव से जो गंगा किनारे है, अकेला गांव है, गरीबों का गांव है, बलीपुर। उसके प्रधान का गुनाह क्या था ? वह सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा कर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा था, ग्राम समाज की जमीन की रक्षा कर रहा था, इसीलिए उसे गोलियों से भून दिया गया, गरीब था, अपनी हिफाजत नहीं कर पाया। कोई अपनी जमीन के लिए लड़ रहा हो, एक गांव के प्रधान का कर्तव्य पालन, मान्यवर उसे क्यों गोलियों से भूना गया । मान्यवर, इल्जाम आप पर लगता है, कुछ लोग लगा देते हैं, मैं भी सहमत हूं, पिछलें पांच दिनों में, पांच-छः महीने, सात-आठ महीने में जब से आपकी सरकार आई है, इक्तफाक से जितने लोग मारे गये हैं, प्रधान मारे गये है, नाम गिनाऊं तो दुःख होगा, सबके आगे यादव लगा हुआ है। मान्यवर, मरने वाले की जाति नहीं होती, मारने वाले की जाति नहीं होती, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मान्यवर मेरा एक सीधा सा सवाल है कि जब सरकार बदली तो चुनिन्नदा मा0 मुख्य मंत्री जी मैं आपसे इस सवाल पर चाहता हूं, खास मुलाहिजा, चुन-चुन कर बदनामशुदा अधिकारियों को प्रतापगढ़ क्यों लाया गया, इसलिए कि वह कानून न माने, फेहरिस्त है, मंगाइये, देखिये कि किन-किन को आपने दोबारा वहां भेजा । जिस किसी को भेजा, एक एस0पी0 भेजा, पुलिस मैनुअल में तो यह है कि सामान्यतः एक एस0पी0 को दोबारा उस जिले में नहीं भेजा जाता है, एक एस0ओ0 को दोबारा उस थाने पर नहीं लगाया जाता है जब तक बहुत अपरिहार्य परिस्थितियां न हों। एक एस0पी0 गये, 56 घर जलवा कर चले आये। मजबूर होकर आपको सस्पेण्ड करना पड़ा। जरा देखिये इस घटना में जो शामिल हैं, कहीं यह वह तो नहीं हैं जिन्हें खास किसी के कहने पर आप लाये थे और अगर इण्डिपेण्डेन्ट होते तो शायद अपने कर्तव्य का पालन करते। मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, जवाब दें। मान्यवर, सब यहां जनता से चुनकर आये हैं, मान्यवर पुलिस की वर्दी देख लेने के बाद साधारण गांव वाला घर में घुस जाता है, अपने न्याय की बात नहीं कह पाता है सिपाही से, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, अन्याय सह लेता है। अरे यह तो सिपाही नहीं था, दरोगा नहीं था, इन्स्पेक्टर नहीं था, सी0ओ0 था इलाके का। बाहर से नहीं आया था, जिसे लोग नहीं पहचानते थे, सी0ओ0 था, सी0ओ0। अकेला भी नहीं था। ये दो-दो एस0ओ0 20, 25 लोग ले के गये थे, उनके साथ गया था। वसूली करने नहीं गया था, जलते हुये घरों को बुझाने गया था और लाशें न गिरें, उसे रोकने गया था। कुछ लोग कहते हैं कि क्रास फायरिंग में मारा गया। मैं इस दलील को खारिज करता हूं। अगर क्रॉस फायरिंग में मारा गया। मैं इस दलील को खारिज करता हूं। अगर क्रॉस फायरिंग में मारा जाता तो मान्यवर, उसको एक गोली लगती। उसके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जिसे कूचा नहीं गया है लाठियों से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगा के पढ़ लीजिये, एक-एक हड्डी तोड़ी गयी उसकी। किसी इंकाउण्टर में, किसी मुठभेड़ में गिरा के पहले लाठियों से नहीं मारा जाता। उसके पैर में गोली मारी गयी जिससे वह बेबस तड़पता रहे, भाग भी न सके फिर उस पर लाठियां चलती रहें और फिर तीसरी गोली सीने में उतारी गयी है। किसी पेशेवर शूटर का काम था, जो जानता था कि अगर यहां गोली चलायी जायेगी तो उसके जिगर को पार कर जायेगी, वह जिन्दा नहीं बचेगा। इरादा मार डालने का था, इरादा छोड़ने का नहीं था। मान्यवर, मैंने सुना है, मैं नहीं जानता, शायद इलाहाबाद के मुस्लिम बोर्डिंग हाउस का रहने वाला था। बीवी का बयान है कि शादी के बाद दो या तीन बार गया। सण्डे को ड्यूटी से हटा भी नहीं, कल से चार दिन की छुट्टी उसने बमुश्किल ली थी। उसका इरादा आई0ए0एस0 बनने का था, मुझे किसी ने बताया कि प्रीलिमनरी में आ भी गया था। बुझा दिया गया वो रोशन चिराग जो शायद इस मुल्क के लिये एक मजबूत आधार बनता।

मान्यवर, सरकारें जनता से बनती हैं। सरकारें भावनाओं से चलती हैं और अगर आज इस सरकार ने उस बेवा की आवाज़ को नहीं सुना तो याद रखियेगा कि नहीं मिलेगी माफी इस सरकार में बैठे हुये सभी लोगों को। दीजिये, इंसाफ उसको और ऐसा इंसाफ दीजिये, उसके साथ-साथ जो वो पुलिस वाले थे, वो पुलिस वाले जो उसके साथ गये थे, अगर अब तक वर्दी पहनें हों तो वर्दी उतरवा लो और जेल के अन्दर डाल दो। वो कायर हैं, बुज़्दिल हैं जिस पुलिस फोर्स में रहेंगे, उस पुलिस फोर्स के लिये बदनुमा दाग रहेंगे। मारा जाता रहा तुम्हारा कमाण्डर और तुम पास भी नहीं गये। पास चले गये होते तो बच जाता। मान्यवर, मैं तो सिर्फ आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं कोई जांच की मांग नहीं करता। मैं आपसे किसी तरह की जांच की मांग नहीं करता। मुझे आप पर भरोसा है, मैं कह रहा हूं, इस खुले सदन में कह रहा हूं, आलोचना जिसको करनी हो कर ले। मुझे आप पर अब भी भरोसा है। उठाइये कदम और राष्ट्रधर्म का पालन करिये। जो लोग उसमें जिम्मेवार हों, उनको सजा दीजिये, मुझे बस इतना कहना है।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, इस सरकार के इतिहास में जितने दिनों से यह सरकार बनी है। 02 मार्च सबसे काला दिन होगा जिस दिन एक प्रधान और उसके भाई के साथ एक पुलिस अफसर को गोलियों से भून दिया जाता है और जिस पुलिस बल के ऊपर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था चलती है, उसी पुलिस के अफसर को कुछ संगीन अपराधी गोलियों से भून देते हैं। वो पुलिस आम जनमानस की सुरक्षा क्या करेगी जिसकी सुरक्षा खुद नहीं हो पा रही है। वो नौजवान डी0वाई0एस0पी0 ज़िया-उल-हक जिसे नियत से क्योंकि वह किसी का कहना नहीं माना करता था, अपनी फोर्सेज़ के साथ जब बलीपुर गांव में घुसा और उन जलती हुयी झोपड़ियों को बचाने के लिये गया तो उसको पहले लाठियों से मारा जाता है, लोहे के सरियों से मारा जाता है और इतनी बेदर्दी से मारा जाता है कि कोई भी आम आदमी उसे देखता तो खुद बिफर जाता। उसका शरीर गोलियों से छनली कर दिया गया। इतना तो कोई विरोधी, कोई हत्यारा भी नहीं करता जिस उद्देश्य को लेकर उसकी हत्या कर दी गयी। उसकी बेवा का बयान देखिये, उसके घर वालों की स्थिति देखिये और मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस का वह इण्टेलीजेंस डिपार्टमेण्ट कहां गया। पूरे प्रदेश में सियासत और राजनीति से कानून व्यवस्था कण्ट्रोल की जा रही है। जब इतना असलहा वहां बरामद हुआ। जब वहां इतनी हालत खराब थी तो क्यों नहीं जिला प्रशासन की इण्टेलीजेंस ने अवगत कराया प्रशासन को, शासन को कि इतनी गम्भीर स्थिति है और फिर जिस तरह से वर्तमान प्रधान की हत्या होती है। फिर उसके भाई की हत्या होती है, फिर उस एस0पी0 की हत्या होती है, और मूक दर्शक बने वह सिपाही जो खेतों में छुप गए थे, वह क्या कर रहे थे और अभी सही कहा हुकुम सिंह जी ने कि हम सब लोग गनर और जिप्सिज को लेकर घूमते हैं, क्या गारंटी है, हम सब लोगों की सुरक्षा की, जब आम आदमी जब सुरक्षित नहीं है, जब पुलिस सुरक्षित नहीं है और जंगलराज है पूरे प्रदेश में। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं मा0 मुख्य मंत्री जी से, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी से कि आज प्रदेश में कानून का जंगलराज हो गया है। हम बात करते हैं बड़ी-बड़ी, यह मुद्दा नहीं है कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे। हम कैसे करेंगे जब पुलिस फोर्सेस सुरक्षित नहीं हैं। मान्यवर, यह अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इस पर जो नामजद लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और यदि उसमें भी कोई दोष दिखता हो, तो

सी0बी0आई0 की जांच होनी चाहिए। स्थिति यह है कि मामला इतना गंभीर है कि आम जनमानस का विश्वास उठ गया है और अभी तो एक साल भी पूरा नहीं होने को आया है। यह हालत है इस सरकार की। गंभीर मामला है ,मान्यवर, और यह अविलंबनीय अति लोक महत्व का है, इस पर आप बिल्कुल कार्यवाही करिए और जांच कराकर दण्डात्मक कार्यवाही करवाइये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(श्री तेजपाल सिंह के खड़े होने पर)

आपने नोटिस नहीं दिया है, इसलिए आप नहीं बोलेंगे। आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। यह नेता का भाषण थोड़ा है। जो नोटिस दिए हैं, वहीं बोलेंगे, यह नेता के आधार पर नहीं, नोटिस के आधार पर सुना जाता है, इसमें सुनने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री अखिलेश प्रताप सिंह एवं श्री तेजपाल सिंह के खड़े रहने पर)

आप की कोई नोटिस नहीं है। आप की जब कोई नोटिस नहीं है तो कैसे आएगा बताएं। नहीं, नहीं यह नहीं चलेगा, आप नियमों में चलिए आप तो सिनियर हैं, आप तो मिनिष्टर भी रहे हैं, अब बैठें।

(अखिलेश प्रताप सिंह के खड़े रहने पर)

अखिलेश जी, आप की नोटिस इसमें नहीं है। आप इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके नोटिस में हस्ताक्षर नहीं हैं, आप लोगों ने नोटिस नहीं दिया, जिन दलों ने नोटिस दिया है, उनके नेता बोल दिए हैं।

*श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इस पर चर्चा करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों की कोई नोटिस नहीं है। अब आप अखिलेश जी बैठ जाएं। आपको क्या बोलना है, जब आप नोटिस ही नहीं दिए हैं, तो आप बैठ जाइये। बैठ जाइये।

श्री तेज पाल सिंह-

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट क्या, क्या यह कोई जनरल डीवेट है, जब इस पर जो निर्णय होगा डीवेट का, तो उसमें जो बोलना होगा बोलिएगा। आप भी अखिलेश जी बैठिए। आप नियम तो पढ़ो, नियम नहीं है, जिन्होंने नोटिस दिया उनको बोलने का अवसर दिया, उन्होंने तथ्य रखा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं..

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप जितना महत्वपूर्ण बात रखना चाहें, आपने नोटिस क्यों नहीं दिया, आपको नोटिस देनी चाहिए थी, आपने जब नोटिस नहीं दी, तो कैसे बोलेंगे। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप घटना जानते हैं तो बता दें। बैठ जाइये।

(श्री रघुराज प्रताप सिंह के बोलने के लिए हाथ उठाने पर)

मा0 रघुराज प्रताप सिंह जी, सरकार का जवाब आ जाए तो आप अपना स्पष्टीकरण दें। यह है कि आपका नाम नहीं आया है, मा0 हुकुम सिंह जी ने आपका नाम लिया है। आपको स्पष्टीकरण देने का अवसर आएगा आपका नाम उन्होंने लिया और आपका कहना है कि वह उसमें अभियुक्त बनाए गए और किन परिस्थितियों में बनाए तो उसमें सरकार का मत आ जाए तभी अपना स्पष्टीकरण दें, यह बेहतर होगा या आप पहले देना चाहते हैं, तब सरकार का आए। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप जब बोल लेंगे तब वह अपना स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि उनका नाम आ गया है, नाम न लिया गया होता तो शायद इनको जरूरत नहीं थी।

* संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह केवल प्रकरण नहीं है, बल्कि एक ऐसा हादसा है, जिसमें हम सरकार के पक्ष के लोग, या सरकारी लोग, मुख्यमंत्री जी, बतौर संसदीय कार्यमंत्री मैं और दूसरे मंत्रि-मण्डल के साथी और पक्ष के विधायक और तमाम विपक्ष के नेता, नेता प्रतिपक्ष और सभी सदस्य सबकी भावनाएं जिस तरह आई हैं और सभी ने जिस तरह निंदा की है, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से भी सरकार दुःखी भी है, परेशान भी है, परेशानी केवल यह नहीं है कि दो हत्याएं, तीन हत्याएं बल्कि परेशानी इससे है कि जो एक मिजाज बना है ला-कानूनियत का, गैर-जिम्मेदारी का, हैवानियत का और दुनिया वालों के साथ-साथ, आसमान वाले के निजाम से बगावत का मान्यवर, इसकी इन्तिहा क्या होगी। हम दहशत का, वकार का, अपने दबदबे का और शोहरत में रहकर फायदा उठा लें। माननीय हमारे सदन में एथ्सिट नजरिया के लोग नहीं है। धर्म को मानने वाले बैठे हुए हैं धर्म और मजहबों को मानने वाले लोग बैठे हुए हैं। मान्यवर, किसी सरकार ने पट्टा नहीं ले लिया है, किसी राजनीतिक दल ने पट्टा नहीं कराया है वह कब तक रहेंगे ।

मान्यवर, 40-40, 50-50 वर्षों तक केन्द्र और राज्यों पर वर्चस्व रखने वाले लोग भी आज सिमट कर रह गये हैं। हमने भी कोई दावेदारी नहीं की है, न ही समाजवादी पार्टी या यह सरकार यह समझती है कि कोई हमेशा सत्ता में रहेंगे। सत्तायें आयेंगी और चली जायेंगी। मान्यवर, आज विपक्ष में बैठे हुए लोग कल यहां बैठे थे। यह कोई नहीं जानता है कि कल क्या होगा। जब हम जनता के बीच काम करते हैं तो लोगों के आंसुओं को पोछते हैं, कोई भूखा है तो उसके मुंह तक रोटी पहुंचाते हैं, कोई कमजोर है, लाचार है, बीमार है, उसका इलाज करवाते हैं । हम राजनीति करने वाले लोग यह समझते हैं कि यह हमारा हमदर्द हो जायेगा, और हमें वोट करेगा, हमारी सरकार बनेगी या वापस आयेगी। लेकिन प्रतापगढ़ का यह वाक्या इन तमाम चीजों से बहुत अलग है। मैं सरकार को बचाने के लिए यह नहीं कह रहा हूँ, प्रशासन को बचाने के लिए यह नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि आम आदमी में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो राय बनती है वह यह सदन तय नहीं करता है अगर इस सदन ने भी यह तय किया होता तो सत्ता में बैठे हुए लोग ही हमेशा सत्ता में रहते। यह तय करते हैं बाहर के लोग। लेकिन जो कुछ हुआ है, उसके लिए निन्दा शब्द भी नहीं हैं कि अपराध की निन्दा भी किन शब्दों में की जाय। अगर यह साजिश है तो बहुत घटिया है, बहुत गिरी हुई और जलील साजिश है। अगर यह बुझजिली है, तो विचार इसमें हमारा भी है कि मान्यवर, जिन पुलिस कर्मियों ने अपने कमाण्डर को मरवा दिया हो। उन्हें किस तरह से नौकरी में रहने का हक नहीं है, उनकी बर्खास्तगी ही इसका हल है। । लेकिन आप कानूनी बंदिशों से वाकिफ हैं अगर यहां बर्खास्तगी की घोषणा होगी तो कानून के दायरे में नहीं आयेगी। लेकिन यह सरकार का उत्तर ही नहीं है बल्कि यह निर्णय है कि इस मामले को सख्ती से जैसे कि एक दिन पहले कहा था इबरतनाक सजा हो ताकि देखने वाले लोगों को जैसा प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि इंसाफ नजर आना चाहिए कि इंसाफ हुआ है। इस मामले में इंसाफ नजर आये इसके लिए जरुरी होगा कि पक्ष के साथ विपक्ष दोनों मिलकर खड़े हों । क्योंकि यह ट्रेंड अगर चल गया, यह दहशत का ट्रेंड चल गया और इस तरह से लोग मारे जाने लगें तो यह सरकार ही नहीं फिर कोई सरकार नहीं बचा पायेगी। इतने लोग इतने पुलिस कर्मी मौजूद थे और छोड़कर भाग जायें और उसे मरने दें। घंटों तक लाश पड़ी रही उसे उठाने की कोई हिम्मत न करे इसके लिए पुलिस के आला जिम्मेवार लोगों को भी सोचना होगा । मान्यवर तीन-चार दिन पहले जब गृह विभाग के सवालों पर ब्रीफिंग हो रही थी तभी यह दो सवाल मैंने किये थे कि सरकार का इकबाल कैसे लौटकर वापस आये यह तय सरकार नहीं खुद गृह विभाग और पुलिस प्रशासन के लोग तय करेंगे। एक अजीब गलतफहमी हो गयी है अफसरान में और सरकार बदलने के बाद यह बात अक्सर हमें सुनने को मिली कि सरकारें, राजनैतिक दल, मंत्री और चुने हुए लोग तो आते और जाते रहते हैं, हमें रहना है, इस गलतफहमी के एहसास को टूटना चाहिए उसकी शुरूआत हम कर सकें इसके लिए हमें आपकी जरूरत होगी।

चुनाव बहुत दूर हैं अभी, कई वर्ष हैं अभी चुनाव में, यह वाक्या बहुत पहले का है आने वाले चुनाव से, 2014 के चुनाव में भी अभी एक वर्ष से ज्यादा है। हमने देखा है कि एक जवान औलाद की मौत जिसका बोझ हिमालय पहाड़ के वजन से ज्यादा होगा, बाप अपने कांधे पर उठाता है और तीसरे दिन बाप खाना भी खाता है और किसी बात पर हंस भी देता है। यह कुदरत का निजाम है अगर सदमा ठहर जाय तो इंसान जी नहीं सकता। यह सदमें के दिन गुजर जायेंगे लेकिन हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस सदमें के दिन से सबक भी लें और गुनाहगारों को इबरतनाक सजाएं भी मिल सकें। मैं इसमें सिर्फ इतना ही आश्वासन दिला सकता हूं कि बहैसियत एक राजनैतिज्ञ नहीं, बहैसियत एक इंसान के मैं उस बेवा के लिए उसके बूढ़े बाप के लिए दुआ कर सकता हूं, हमदर्दी कर सकता हूं, जिन्दगी वापस नहीं आ सकती, 20 लाख रुपया एक इतने बड़े आफिसर की जिन्दगी का मुआवजा नहीं है, 20 करोड़ भी मुआवजा नहीं है, पूरी दुनिया की दौलत तौल दी जाय तब भी उस बेवा के आंसुओं की कीमत नहीं है, निन्दा करता हूं और आपको यकीन दिला सकता हूं क्योंकि जो कार्यवाही अब तक हुई है वह कार्यवाही भी इत्मिनानबख्श न हो, सही हो सकता है, आगे कार्यवाही हो उसके लिए कुछ लम्हों की जरूरत तो होगी, बस इतना ही आपसे निवेदन कर सकता हूं। एक बार फिर यकीन दिला सकता हूं कि सरकार बहुत दुःखी है इस हादसे से। खुद समाजवादी पार्टी उसके

कार्यकर्ता और इस तरफ बैठे हुए सभी लोग आपके साथ उससे कम दुःखी नहीं है जितने आप दुःखीं हैं और जिस वर्ग ने यह अफसर खोया है उसका दुःख बहुत अलग का है क्योंकि उसका कोई रिजर्वेशन नहीं है। 21 वर्ष के बाद एक पी0सी0एस0 आफिसर आया है, 21 वर्ष के बाद, ऐसे हालत में एक इतने बड़े अफिसर की जघन्य हत्या हो जाना उत्तर प्रदेश में रहने वाले करोड़ों उन बेकसूर, बेसहारा लोगों के लिए सवालिया निशान है कि वह कैसे जियेंगे। लिहाजा सरकार और स्वयं पार्टी और मैं खुद इसे तमाम कमजोरों और बेगुनाहों के लिए एक चैलेन्ज समझते हैं और इसे चैलेन्ज समझते हुए इस जुर्म के खिलाफ और इस जघन्य अपराध के खिलाफ सरकार आपके साथ खड़ी होगी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष-

आप स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, विधान सभा ने इनको मुल्जिम नहीं बनाया है, इसलिए इनके स्पष्टीकरण का यहां कोई औचित्य नहीं है। मान्यवर, जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हमारी मांग है और साथ ही साथ यही मांग हमने सरकार से भी की है, यही मांग उप पुलिस अधीक्षक की पत्नी भी कर रही है, उसने अपने शौहर की लाश को दफन नहीं किया है और साथ ही साथ यहां किसी इंडीविजुअल को इंगित भी नहीं किया गया है। इसलिए इंगित जब किया जाता है तब उसके बाद बात आती।

श्री अध्यक्ष-

आपने नहीं किया लेकिन माननीय हुकुम सिंह जी ने उनका नाम लिया और कहा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैने नाम इस संदर्भ में लिया था कि नाम आया क्यों।

दूसरी बात, मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरे भावावेश में अपनी बात रखी, उनकी सिन्सयरिटी पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वह बताये तो सही कि इन दो दिन में क्या किया। यह दो तारीख की घटना है और आज हम 4 तारीख को बैठे हुये हैं, ऐसा सनसनीखेज वाकया हो जाये और हम इसे सदन में उठायें और अब तक हमें यह जानकारी न हों कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दो दिन हो गये, उसके बाद तीन तारीख और आज तीसरा दिन है, आखिर अब तक जांच में क्या प्रगति हुयी, हम कहां तक पहुंचे हैं। अगर ऐसे केस में हम महीनों जांच में लगायेंगे और सदन भी उठ जायेगा और यह मामला दबकर रह जायेगा । इसलिये हमें यह बतायें कि अब तक क्या हुआ, क्या जांच हुयी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सिलसिले में दो मुलजिमान जो कि नामजद हैं, मुलजिमान तीन हैं । मुकदमा संख्या-18/13 धारा-302 व 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट, थाना हथिगवां में दो अभियुक्त एक राजीव सिंह पुत्र हरी सिंह, दूसरे संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र हरी सिंह निवासी ग्राम वलीपुर गिरफ्तार कर लिये गये हैं। शेष की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। एफ0आई0आर0 की कापी है मेरे पास। मैं इसे पढ़ देता हूं। थानाध्यक्ष, कुण्डा, हथिगवां, प्रतापगढ़। सेवा में, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थिनी परवीन

आजाद पत्नी स्वर्गीय जियाउलहक, सी0ओ0, कुण्डा मेरे पति स्वर्गीय जियाउलहक सी0ओ0, कुण्डा थे, दिनांक 2-3-2013 को रात करीब 8 बजे के आस-पास ग्राम वलीपुर में दो गुटों में फायरिंग की सूचना पाकर मेरे पति अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां पर नन्हें लाल यादव, ग्राम प्रधान तथा उनके भाई सुरेश यादव को गोली लगी थी, जब मेरे पति वहां पहुंचे तो मेरे पति को दुर्भावनापूर्वक पकड़ लिया गया और कहा कि तू बहुत बड़ा पुलिस वाला बनता है, अब हम लोग तुम्हें जिन्दा वापस नहीं जाने देंगे। इस पर गुलशन यादव, चेयरमैन, कुण्डा, हरीओम, रोहित सिंह, गुड्डू सिंह जो कि यह सब लोग राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह, मंत्री के गुर्गे हैं और रघुराज प्रताप सिंह के कहने पर मेरे पति को जान से मारने की नीयत से पहले लाठी, डंडा, सरिये से मारा, जब मेरे पति गिर गये तो उनको तमन्चे से गोली मार दिया। जब मेरे पति कुण्डा, सी0ओ0 पद पर तैनाती के लिये आये थे तब से वह सारे लोग उनको डराते धमकाते थे, जिसकी चर्चा अक्सर मेरे पति मुझसे किया करते थे। अतः मेरे प्रार्थना-पत्र पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि प्रार्थिनी को न्याय मिल सके। धन्यवाद, प्रार्थिनी, परवीन आजाद, पत्नी स्वर्गीय जियाउलहक, सी0ओ0, कुण्डा।

मान्यवर, इसमें दो मुलजिमान की गिरफ्तारी हुयी है जैसे मैनें आपसे अर्ज किया और एक हमारे मंत्रि-परिषद् के साथी रघुराज प्रताप सिंह जी का जिसमें नाम लिया गया है, उनका त्याग-पत्र हो गया है, उन्होनें अपना पद त्याग दिया है, यह तीन कार्यवाहियां सदन के समक्ष हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री रघुराज प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री रघुराज प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी...

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

सच्चाई सामने आवे, अब इससे क्या डरना ।

श्री अध्यक्ष-

जब उनका नाम एफ0आई0आर0 में है तो उनके स्पष्टीकरण से आपको क्या दिक्कत है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, वह तो न्यायपालिका तय करेगी, कहीं किसी व्यक्ति का किसी एफ0आई0आर0 में नाम है तो न्यायपालिका तय करेगी और जिस चीज को न्यायपालिका को तय करना है, वह यहां नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम देख लो, उन्हें स्पष्टीकरण देने का अधिकार है।, आप नियमावली देख लो ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रकरण न्यायपालिका में जाना है, जिसमें न्यायपालिका में बहस होना है और जिस पर निर्णय जज को देना है, उस पर यहां बहस नहीं हो सकती ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

वहां वह देंगे, लेकिन यहां उनको स्पष्टीकरण देना चाहिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिये, यह हमारी मांग है।

श्री अध्यक्ष-

वह अलग बात है, आप मांग करिये कि गिरफ्तारी होनी चाहिये। लेकिन जिस व्यक्ति का नाम आया, उन्होनें मंत्री पद से इस्तीफा दिया और एफ0आई0आर0 में नाम है ....

श्री अध्यक्ष-

उनके ऊपर चार्ज लगाया गया, तो सदन में जब वह चार्ज पढ़ा गया तो सदन में उन्हें स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। ऐसा नियमों में है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर किसी का नाम एफ0आई0आर0 में है तो उसका स्पष्टीकरण न्यायपालिका में जायेगा, उसका स्पष्टीकरण हम नहीं मांग रहे हैं। यहां किसी भी विरोधी पार्टी ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मांगा है और न ही किसी भी विरोधी पार्टी ने अपनी ओर से उनको अभियुक्त बनाया है।

श्री अध्यक्ष-

आपने नहीं मांगा है लेकिन यहां क्यों पढ़ा गया। एफ0आई0आर0 में उनका नाम आया, अगर एफ0आई0आर0 न पढ़ी गयी होती तो आपका चार्ज ठीक था। लेकिन चूंकि एफ0आई0आर0 पढ़ी गई उसमें इनका नाम था और उसे सदन में पढ़ा गया तो सदन में इन्हें स्पष्टीकरण देने का अधिकार है, आप नियमावली पढ़ लो ना।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने उनका नाम इंगित नहीं किया है बल्कि एफ0आई0आर0 की कापी पढ़ी है और वह एफ0आई0आर0 सदन की कार्यवाही का हिस्सा है इसलिए मान्यवर, गिरफ्तारी की मांग है।

श्री अध्यक्ष-

गिरफ्तारी की मांग करना आपका अधिकार है लेकिन उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने का अधिकार है।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

आप डर क्यों रहे हैं सच्चाई से ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जो संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब है, वह कार्यवाही का हिस्सा है उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता, उन्होंने सरकार के जवाब में एफ0आई0आर0 की कापी को पढ़ने का काम किया है, उन्होंने

जानबूझकर किसी को इंगित करने की मंशा से नहीं कहा है बल्कि एफ0आई0आर0 की कापी पढ़ी है, इसमें मान्यवर, अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अगर यही एफ0आई0आर0 आप पर होती कि माननीय मौर्या जी की जानकारी में उनकी साजिश से यह हुआ और उसे सदन में पढ़ा जाता तो क्या आप उसका स्पष्टीकरण नहीं देते, देते ना।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर हम लोग या कोई भी विरोधी पार्टी किसी को अभियुक्त नहीं बना रही है। मेन चीज जो आज की परिस्थितियां हैं उसके अनुसार क्या कार्रवाई हुई यह जवाब सरकार से मांगा गया था। माननीय नेता भाजपा श्री हुकुम सिंह जी ने केवल संसदीय कार्य मंत्री जी से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है उसकी प्रगति आख्या मांगी थी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने केवल अपनी प्रगति रिपोर्ट बताई थी न कि किसी को इंगित किया था। न तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने किसी को इंगित किया है और न ही किसी विरोधी पार्टी ने किसी को इंगित किया।

श्री अध्यक्ष-

आप किसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ? आप किसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उसका नाम बताइये। इसमें स्पष्टीकरण देने का पूरा अधिकार नियमों में है, आप ही बताइये आप जिसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं उसे अपनी बात कहने का अधिकार है या नहीं है। आप स्वयं तर्क कर लीजिए आप जिसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं उसको यहां पर अपनी बात कहने का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारी ओर से किसी को इंगित नहीं किया गया और न ही हमने किसी को अभियुक्त ही करार दिया है। हमारी केवल इतनी मांग है कि जो लोग नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने यहां न किसी व्यक्ति विशेष को इंगित किया है और न ही किसी को अभियुक्त बनाया है और न ही हम किसी को अभियुक्त बनाने वाले हैं। यह तो पुलिस उपाधीक्षक की पत्नी ने जो एफ0आई0आर0 लिखी है जिसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पढ़कर सुनाया है कि सी0ओ0 की पत्नी की ओर से एफ0आई0आर0 है तो यहां पर किसी को इंगित नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

यह एफ0आई0आर0 सदन की प्रापर्टी हुई कि नहीं। जब सदन की प्रापर्टी हो गई, सदन के एक व्यक्ति के खिलाफ अभियोग लगा है एफ0आई0आर0 में और वह व्यक्ति यहां पर मौजूद है तो स्पष्टीकरण देने का अधिकार नियमों में है।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी ने कह दिया तो आपका निर्णय सर्वोपरि है।

(माननीय सदस्य श्री कमाल अख्तर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कमाल साहब, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बात शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

कृपया संक्षेप में कहियेगा।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, बहुत संक्षेप में कहूंगा। पहली बात तो आपका आदेश, आपका निर्देश सर्वोपरि है, विधान सभा के 20 साल के कार्यकाल में मैंने यही जाना है। दूसरी बात कि अगर कोई आदमी सच कह रहा है तो उससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बात सुन लीजिए, निर्णय आपका अपना है। श्रीमन्, बहुत ही दुःखद घटना है, मैं अपने साथ अपने नेता माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय आजम खां साहब, माननीय शिवपाल जी, सभी लोग और नेता प्रतिपक्ष के आदरणीय हुकुम सिंह जी, सी0एल0पी0 लीडर श्री प्रदीप माथुर साहब और जितने भी लोग बोले उनके साथ अपने आपको सम्बद्ध करके उस वृद्ध दुःखी लाल यादव जिसके दो पुत्र मार दिये गये और मरहूम सी0ओ0 उनके परिवार को दुःखद घटना को सहने की शक्ति और क्षमता प्रदान करे। श्रीमन्, चूंकि यह मेरा क्षेत्र ही नहीं है, मेरे गांव से लगे हुए गांव की घटना है। नन्हे लाल यादव की हत्या होती है, नन्हें लाल यादव मोहद्दीनगर ग्राम सभा का प्रधान है वलीपुर ग्राम सभा नहीं है, वलीपुर एक मजरा है। नन्हें लाल यादव वहां के प्रधान थे उनकी हत्या हुई। तुरन्त आनन-फानन में गांव के लोग उसको लेकरके गये। जो लोग इलाज कराने के लिए गये जब अस्पताल में पहुंचे तो डाक्टर ने कहा कि इनके बचने की सम्भावना नहीं है, यह मृत हो चुके हैं। यह कुण्डा पुलिस की कमी जरूर है कि उसको वहीं से पोस्ट-मार्टम के लिए भेज देना चाहिए था लेकिन बॉड़ी जब वापस आ गयी, प्रधान जी का मृत शरीर गांव वापस आ गया, गांव में रखा गया तो भीड़ जुटने लगी और भीड़ ने आक्रोश में जो विपक्षी थे, जिनके ऊपर यह आरोप है कि उसने गोली मारी उसमें कामता पाल और उसका पुत्र अजयपाल है, उनके घर को फूंक दिया। मौके पर सी0ओ0 कुण्डा, इंस्पेक्टर कुण्डा और एस0ओ0 हथिगवॉ ये तीन अपने फोर्स के साथ पहुंचे। एस0ओ0 हथिगवां की ड्युटी लगायी गयी कि वहॉ जो और घर हैं वह न फूंके जांए। कामता पाल और उनके साथ जो सह अभियुक्त हैं उनके घर न फूंके जांए। इतना करने के बाद इंस्पेक्टर और सी0ओ0 कुण्डा अपने हमराही फोर्स के साथ वहां पहुंचे। अभी दूसरा कत्ल नहीं हुआ है, दूसरा व्यक्ति सुरेश यादव अभी जीवित है। जब ये लोग पहुंचते हैं, पहुंच करके इंस्पेक्टर कुंडा ने कहा कि बॉडी यहां कैसे रखे हो ? इसको पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। मान्यवर, प्रायः हम देखते हैं कि हत्या हो जाती है उसके पीछे आक्रोश होता है, घरवाले यह मांग करते हैं कि पहले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो तब शरीर उठने देंगें, इस तरह की मांग आती है। उनको मनाया जाता है, समझाया बुझाया जाता है। बात बढ़ती गयी, इतने में इंस्पेक्टर कुंडा ने फायर कर दिया। यहां जितने भी माननीय विधायक हैं उस गांव को, उस मजरे को मुझसे बेहतर नहीं जानते हैं। मैं गया भी था। चार दिन से मुझको बुखार था, उसके बावजूद मैं कल गाड़ी में लेटकर गया हूं। जब यह घटना हो गयी रात को मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को, चूंकि मुझको बुखार था, स्टाफ कार वगैरह रवाना कर चुका था। माननीय मुख्य मंत्री जी से फोन पर नहीं सम्पर्क हो पाया, घर पर (विक्रमादित्य मार्ग पर) मैंने फोन मिलाया, रात में साढ़े नौ से दस बजे के बीच में मैं आपके पास गया। गेट पर मुझसे पूछा गया कि

आपने समय लिया है कि नहीं, तो मैंने कहा कि समय नहीं लिया है लेकिन इमरजेंसी है, मैं मिलना चाहता हूं। गाड़ी अंदर गयी पांच या 10 मिनट के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी आये। उनको हमने पूरा वृतान्त बताया कि वहां पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच में गोली चल रही है, अभी कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है लेकिन सम्भवतः किसी पुलिस वाले को गोली लगी है और लोग ऐसा कह रहे हैं कि सी0ओ0 कुण्डा को गोली लगी है। इसकी आप पुष्टि करायें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे सामने डी0जी0पी0 को और ए0डी0जी0 लॉ-एण्ड-आर्डर को फोन किया। उनको इस घटना की जानकारी नहीं थी और रात में निर्देश दिया कि तुरन्त जाओ और वहां पर कड़ी कार्यवाही करो। अब रही अफसरों की तैनाती की बात तो श्रीमन्, इसमें इंस्पेक्टर, कुण्डा तब से तैनात चले आ रहे हैं जबसे ब0स0पा0 का शासन था, वह हमारे तैनात कराये हुए नहीं हैं। अभी इंगित किया गया कि मैंने तैनात करावाया। दूसरी बात, सी0ओ0 कुण्डा बहुत ही शांत स्वभाव, बहुत ही मृदुल स्वभाव के अधिकारी थे उनसे किसी को कोई शिकायत हो ही नहीं सकती थी। लगभग 7-8 महीने की पोस्टिंग में दो बार मुलाकात हुई थी, एक बार वह मिलने आये थे जब नई-नई पोस्टिंग हुई थी और दूसरी बार एक घटना हो गयी थी, एक मौर्या की डेथ हो गयी थी तो उस घटनास्थल पर। श्रीमन्, अगर मैं इस सरकार में मंत्री हूं और मैं किसी सी0ओ0 से इस हद तक नाराज हूं कि मैं उसकी हत्या करवा सकता हूं या हत्या के बारे में सोच सकता हूं तो इससे ज्यादा आसान यह है कि मुख्य मंत्री जी से कह करके उसका स्थानान्तरण करा देंगे। हर हत्या के पीछे कोई न कोई मोटिव होना चाहिए, कोई न कोई कारण होना चाहिए। अकारण कोई किसी की हत्या नहीं करा देता है। बहुत बड़ी कोई रंजिश हो, तब आदमी हत्या तक पहुंचता है और सी0ओ0 बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। जब इंस्पेक्टर, कुण्डा ने फायर कर दिया तब उधर से भी फायर होने लगा। एक तो प्रधान की लाश सामने पड़ी हुई थी और उधर फायर हो गया। जिसमें सी0ओ0 के गोली लगी फिर सी0ओ0 के हमराही ने फायर किया जिसमें सुरेश यादव की मृत्यु हुई उसके बाद दोनों तरफ से 15 से 20 राउण्ड गोली चली। सारे पुलिस वाले भाग खड़े हुए कोई यह कहने को तैयार नहीं था कि सी0ओ0 को गोली लगी। सी0ओ0 का मोबाइल बन्द था। सारे पुलिस वाले भाग खड़े हुए एक बड़े अधिकारी ए0डी0जी0 स्तर के यहां से भेजे गए थे जांच के लिए बड़ी गाली गलौज उन्होंने की बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया एक तरफ से सबको गाली दी लेकिन उन हमराहियों का क्या हुआ जो अपने कमाण्डर को छोड़कर चले आए थे उनका फर्ज था उस सी0ओ0 की हिफाजत करना हमराही का तो काम ही होता है अपने सुपीरियर का अंगरक्षक के रूप में काम करना। श्रीमन् घटना बहुत ही घृणित है बहुत ही निन्दनीय है अब आ जायं इस घटना के पीछे जो राजनीति हो रही है रात तक सब कुछ सही था एम0एल0सी0 अक्षय प्रताप सिंह रात को ढाई बजे पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे। ढाई बजे से लेकर सुबेरे आठ बजे तक क्योंकि तीन शरीर थे तीनों के पोस्टमार्टम उन्होंने करवाए उन्होंने वहीं पर चाय मंगवाई कि जो लोग चाय पीना चाहें उनको चाय पिलवाई। इस तरह से 8-9 बज गए। साढ़े नौ बजे के बाद से इसमें राजनीति होने लगी। एक सभासद जो एक पार्टी विशेष से सम्बंधित हैं अपने साथ 15-20 लोगों को लेकर आए उन्होंने नारा लगाना शुरू किया कि मंत्री को गिरफ्तार करो। अब मंत्री को गिरफ्तार करो तो मंत्री कहां से बीच में आ गए जब यह पूरी घटना हो गई तो उन्होंने यह तहरीर दी जो आदरणीय आजम खां साहब ने आपको पढ़कर सुनाई। श्रीमन जिनका यह परपज था कि मैं मंत्री पद से हट जाऊं उनका यह निमित्त तो पूरा हो गया

जिनकी यह इच्छा थी और उनकी ऊर्जा इसी पर लगी हुई थी कि यह मंत्री पद पर न रह जाएं वह अपने इस कार्य में सफल हो गए इसमें कोई दो राय नहीं है और मेरे कारण समाजवादी पार्टी की सरकार की बदनामी हो यह मैं सोच भी नहीं सकता यह खून पसीने से बनाई हुई सरकार है।

आदरणीय नेता जी हमारे आदर्श थे, हैं और हमेशा रहेंगे आदरणीय मुख्य मंत्री जी इसी तरह से लोकप्रियता के पायदान पर चढ़ते रहें यह हमारी हार्दिक इच्छा है लेकिन श्रीमन् एक गलती कर गए लोग जिन्होंने एफ0आई0आर0 कराई राजा भैया की शह पर हत्या उसमें जो नाम दिए गए थे उससे वह एफ0आई0आर0 इतनी कमजोर हो गई कि अब कभी उस बहादुर सी0ओ0 के हत्यारे को कोर्ट में किसी भी अदालत में कोई सजा नहीं होगी यह मैं आज यहां पर कहे दे रहा हूं पूरे सदन में। उसका कारण है कि जिन पांच लोगों के नाम लिखाए गए वह एक तरफ से वही नाम हैं जो बसपा शासनकाल में हम लोगों के ऊपर लिखाए जाते रहे हैं। इसमें हरिओम शंकर श्रीवास्तव हमारा प्रतिनिधि है। वह किडनी और लिवर की बीमारी से पीड़ित है। 10 मिनट चलता है तो बैठ जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया ।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। रोहित सिंह जो हमारा निजी चालक है वह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद था मुख्य मंत्री जी को उसने प्रणाम किया है मुख्य मंत्री जी ने स्वयं देखा है वहॉ के सी0सी0टी0वी0 कैमरे में है। जिसको बता रहे हैं कि सी0ओ0 के ऊपर गोली चलाकर हत्या कर दी। श्रीमन् अब प्रश्न यह है कि आगे क्या होगा। आदरणीय हुकुम सिंह जी ने और नेता कांग्रेस ने जो मांग करी है और कल मैं जब अंत्येष्टि में गया था दुखी लाल यादव के दोनों पुत्रों की वहां पर इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और लखनऊ के आए हुए पत्रकारों ने कहा कि उनका परिवार सी0बी0आई0 जांच की मांग कर रहा है मैं उस मांग को दोहराता हूं और आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमने कभी आपसे या माननीय नेता जी से कुछ मांगा नहीं है और मांगा इसलिए नहीं है कि बिना मांगे मुझको सब कुछ मिला है। इस घटना की सी0बी0आई0 जांच होनी ही चाहिए इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्रीमन् सी0ओ0 की दर्दनाक जो हत्या हुई है उसकी एफ0आई0आर0 पहले ही लिखी जा चुकी है। एक एफ0आई0आर0 जब उसी घटना की लिखी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आपने जो अपने बारे में स्पष्टीकरण दिया है वह सफीसिएंट है। अब यह एफ0आई0आर0 कौन पहले लिखी गई कौन बाद में यह कोर्ट तय करेगा। अब खत्म करें।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

श्रीमन् मैं समाप्त कर रहा हूं। जो लोग सत्य से भयभीत हैं हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिये हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं । हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। सच्चाई से आप भयभीत न हुआ करिये और रही बात जेल जाने की तो अगर सरकार की

छवि पर, सरकार की इमेज की बात है तो रघुराज प्रताप सिंह एक बार नहीं 10 बार जेल जाने के लिये तैयार हैं। जेल वेल से डरते नहीं। अगर अभी कह दें मुख्य मंत्री जी तो यहां से घर नहीं जाऊंगा, सीधे जेल जाऊंगा। (मेज थपथपाई गई) इस चक्कर में न रहिये कि जेल से डरते हैं।

श्री अध्यक्ष-

बस-बस अब हो गया। खत्म करिये।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

(नेता प्रतिपक्ष के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप क्या बोलेंगें मौर्या जी। अब हो गई बात। अब आगे लेने दीजिये ना।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय सदस्य को इस बात के लिये मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यह राजनीति का विषय नहीं है। जो गम्भीर हादसा हुआ है इस पर राजनीति करने के लिये कोई विपक्ष ने इस सूचना को यहां पर प्रस्तुत नहीं किया है। इसकी गम्भीरता का संज्ञान ले करके तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के लिये ही यह मान्यवर, आपसे अनुरोध किया था सुबह। इसीलिये प्रश्नकाल स्थगित हुआ। प्रश्नकाल हम लोगों का, विपक्ष के लोगों का होता है लेकिन विपक्ष ने अपने प्रश्नकाल को इसके लिये आहूत कर दिया था जिससे कि सरकार इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसमें कार्यवाही सुनिश्चित कर सके। रही जहॉ तक बात सदस्य रघुराज प्रताप सिंह जी ने जैसा कहा। यह जानते हैं कि आज तक इनके खिलाफ जो इन्होंनें इंगित किया बसपा की ओर। एक भी प्रार्थना-पत्र इनके खिलाफ मेरे कलम से नहीं है, मेरे हाथ से नहीं है और यह क्या करते हैं, कानून उसको देखता है। इसलिये उस विषय पर हम नहीं जाना चाहते लेकिन जो इन्होंने उसको राजनीतिक विषय बनाने का मुद्दा बनाने की कोशिश की है। यह राजनीतिक विषय नहीं है। इसलिये मैं इस पर इतना ही कहना चाहता हूं कि..

श्री अध्यक्ष-

अरे बहुत लोगों ने इस पर कहा, खत्म हो गई बात।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अब मुझको इंगित किया गया है तो मैं भी कह लूं।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। आपने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैंने माननीय मौर्या जी को नाम लेकर इंगित नहीं किया, न ही बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया नम्बर एक। मौर्या जी हमारी विधान सभा के निवासी हैं, हमारे मतदाता हैं, मुझसे बड़ा स्नेह रखते हैं। श्रीमन्, जहां तक जो मैंने कहा एक राजनैतिक दल विशेष के लोग वहां पर जा करके जिन्दाबाद मुर्दाबाद करने लगे उसकी फुटेज है, मंगा लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

हो गई। अब आ गई बात आपकी।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जिस राजनैतिक दल के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने यह मांग शुरू करी, स्वतः स्पष्ट हो जायेगा। इसमें तो कोई चोरी-छिपे वाली बात नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, बात खत्म हो गई। मैंने माननीय मौर्या जी को सुना, माननीय हुकुम सिंह जी को सुना, माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना, आपके नेता कांग्रेस दल, माथुर साहब को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरी विस्तार से बात बताई और माननीय रघुराज प्रताप सिंह ने ..

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, दो विषय हम लोगों के द्वारा उठाये गये थे। एक तो प्रधान। मतलब यहां कुल तीन लोग हैं। एक तो प्रधान और उसके भाई की हत्या। वलीपुर के गांव का जो प्रधान है, नन्हे लाल यादव और सुरेश कुमार यादव।

श्री अध्यक्ष-

क्यों बार-बार कह रहे हैं। बात आ चुकी है। अब क्या कहना चाहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हम यह कहना चाहते हैं कि यह रिपोर्ट जो आपने एफ0आई0आर0 पढ़ी थी यह तो वह जो उप पुलिस अधीक्षक की पत्नी जी हैं उनकी तरफ से है। उस पर कार्यवाही बताया था लेकिन जो नन्हें लाल यादव प्रधान और उसके भाई सुरेश कुमार यादव की हत्या हुई थी, उसमें जो नामजद अभियुक्त हैं उसमें कितनी गिरफ्तारी हुई और पुलिस उपाधीक्षक के प्रकरण में जो नामजद अभियुक्त हैं उसमें कितनी गिरफ्तारी हुई, यह स्पष्ट आ जाए उत्तर मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसमें जैसे जो नन्हे लाल यादव प्रधान और उसके भाई मारे गये, उसमें जो एफ0आई0आर0 हुई उसमें कुछ गिरफ्तारी हुई और इसमें जो नामजद रिपोर्ट हुई इसमें कुछ गिरफ्तारी हुई ? उसकी जानकारी चाहते हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, जो लोग रह गये हैं मुलजिमान उनकी गिरफ्तारी का प्रयास बराबर जारी है, दबिशें जारी हैं। फरार हैं, अतः अभी हाथ नहीं आ सके हैं। क्योंकि मामला बहुत ही गम्भीर है, बहुत सम्वेदनशील है और किसी भी तरह से किसी तरह की कोई कमजोरी, या कोई लापरवाही नहीं हैं। जल्दी ही रिजल्ट आयेंगें, बहुत जल्द आयेंगें। इसका आश्वासन दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब क्या है मौर्य जी ? अब हो गई बात।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

चूंकि उप अधीक्षक कुन्डा की जो बेवा पत्नी है अभी भी अपने पति के शव का दफन कार्य नहीं किया है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, पूरी सरकार बैठी हुई है और आज भी वह वहॉ पर हजारों लोगों के साथ इस मॉग और अनुरोध के साथ बैठी है.....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होगी मैं अपने पति को दफन नहीं करूंगी।

श्री अध्यक्ष-

उसकी मांग अलग है आप भी उसी बात को दोहरा दिए अब यह सरकार का काम है आप बैठ जाएं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

देखिए मौर्य जी, आपने जो-जो बातें कहीं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया, जो गिरफ्तार नहीं हैं, उनकी गिरफ्तारी की बात आप कर रहे हैं, जो एफ0आई0आर0 में नाम आ गया, रघुराज प्रताप सिंह का, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सी0बी0आई0 की जांच की मॉग की, अब इसमें बचा क्या ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या-

मा0 अध्यक्ष जी, दो चीजें हैं मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक की पत्नी जो भुक्त भोगी है अगर वह सी0बी0आई0 की जांच की माग करती है तब तो बात समझ में आती है और साथ ही साथ प्रधान और उसका भाई जो मारा गया, अगर भुक्तभोगी सी0बी0आई0 की जांच की मांग करते हैं तब तो समझ में आता है। लेकिन जब नामजद अभियुक्त हो गए हैं तब हम समझते हैं कि सी0बी0आई0 की जांच भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, इसमें दो-दो एफ0आई0आर0 हैं उसकी तफ्तीश विवेचना हो जाने दो, तीन-चार दिन की बात है। आपने अपनी बात कह ली, आपको पूरा अवसर दिया गया।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष, नेता भारतीय जनता पार्टी हुकुम सिंह जी, कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर जी, मा0 सदस्य प्रमोद तिवारी जी और हमारी सरकार के पक्ष में संसदीय कार्य मंत्री जी मा0 आजम साहब और माननीय सदस्यगण रघुराज प्रताप सिंह जी ने बात रखी। मान्यवर दो तारीख की घटना जो ग्राम वलीपुर, थाना हथिगवां में हुई बहुत ही गम्भीर घटना थी। हमारी सरकार और मैं अपनी तरफ से भरोसा दिला सकता हूं केवल हम लोग ही दुखी नहीं हैं बल्कि जिस तरह की बातचीत सदन में हुई है मैं समझता हूं उन घटनाओं को लेकर पूरा सदन दुखी है प्रधान के परिवार के दो सगे भाईयों की हत्या हुई और जो गांव में घटना घटित हुई, रोकथाम करने के लिए, कानून-व्यवस्था को बनाने के लिए, नौजवान सी0ओ0 पहुंचा और उसकी हत्या हो गई। यह गम्भीर पहलू हैं, गम्भीर घटनायें हैं, मैं अपनी सरकार की तरफ से, पूरे सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि कार्यवाही निष्पक्ष

होगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। एफ0आई0आर0 दर्ज हो चुकी हैं, प्रधान जो वहां के थे उनके भाई जो एक्सपायर हुए, उनके परिवार वालों की तरफ से एफ0आई0आर0 है, सी0ओ0 की पत्नी की तरफ से है, क्योंकि घटनायें अलग-अलग हैं एफ0आई0आर0 अलग-अलग दर्ज हुई हैं, सदन की तरफ से मैं आश्वासन दे सकता हूं जो एफ0आई0आर0 हैं, बिना किसी दबाव के, जो कोई भी दोषी होगा, कड़ी कार्यवाही होगी। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा, जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि गांव में लोग अभी भी यह कह रहे हैं कि दफनायेंगे नहीं, और बहुत सी मांगे लेकर बैठे हुए हैं, मैं अपनी तरफ से सरकार की तरफ से और सदन के सभी मा0 सदस्यों की तरफ से निवेदन करूंगा कुण्डा के सी0ओ0 जियाउल जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नी से, उनके परिवार से, कि हम सब दुखी हैं, इस दुख में हम सब उनके साथ हैं हमारा यही निवेदन है कि जिस रीति रिवाज के साथ दफनाया जाता है दफनायें और जो दोषी लोग हैं, घटना में किसी तरह से दोषी पाए जाएंगे सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष होकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी और अगर किसी तरह से अगर कोई और जांच का विषय आएगा तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। अगर जांच का विषय दूसरी तरफ भी जायेगा और अगर किसी और तरह से जांच की मांग की जायेगी तो सरकार उसे करायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय मुख्य मंत्री जी, जांच आप करायेंगे, वह आप कराइये, मैंने आप पर भरोसा जताया। राजेन्द्र यादव के परिवार को आर्थिक सहायता, चूंकि मैंने नहीं सुनी है, आप सदन में कर दें। दूसरा मान्यवर, जो सी0ओ0 थे, 20-25 लाख एक अफसर के लिए कुछ होता नहीं है। मैं चाहता हूं, कम से कम अपने दल की ओर से मैं मांग करता हूं कि उनकी पत्नी को, उनके परिवार को उसी की अनुकम्पा के आधार पर उन्हें जिस सेवा में समायोजन हो सके, मुझे जहां तक अखबारों में पढ़ने को मिला है, वह बीडीएस हैं, डाक्टर हैं, पढ़ रही हैं, पूरा करने पर उन्हें समायोजित किया जाए और मान्यवर, उनके परिवारजनों को एक करोड़ रुपये दिया जाए, इसकी मैं मांग करता हूं और मैं समझता हूं कि इस स्थिति में देना उचित होगा। मैं चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी सदन में अगर इसकी घोषणा कर सकें तो अच्छा होगा।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, सुरेश कुमार यादव की मृत्यु सर्विस रिवाल्वर की गोली लगने से हुई है और यह बात जांच में आ गई है,। मेरा निवेदन है कि उनके परिवार को भी जो बहुत गरीब परिवार है, आर्थिक सहायता देने पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, सरकार उस पक्ष में है कि मदद हो परिवार की, हालांकि हम लोगों ने जो बात सदन में रखी, सदन में कही, लेकिन टी0वी0 पर और इस तरीके से हम लोगों ने, सरकार ने फैसला ले लिया है। जो ग्राम प्रधान नन्हे यादव और उसके बड़े भाई सुरेश की हत्या हुई, उनके बारे में फैसला ले लिया गया है, सरकार ने फैसला लिया था, मदद का, हम

उनकी मदद करेंगे। लेकिन अभी सदन में कहना उचित नहीं होगा क्योंकि आज सदन का वह माहौल नहीं था कि इन सब चीजों पर चर्चा हो, बात हो।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय मौर्य जी को सुना, माननीय हुकुम सिंह जी को सुना, माननीय तिवारी जी को सुना, माथुर साहब को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी को सुना। चूंकि इस पर सारी बातें आ गयी हैं, दोनों तरफ से बातें स्पष्ट हो गयी हैं, यह सब जांच का विषय है और अगर कोई गहन चर्चा करनी होगी तो कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा लगी है, उसी में यह भी चर्चा हो जायेगी, इसे मैं अग्राह्य करता हूँ।

मद संख्या-7 पर माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को मैंने स्थगित कर दिया हैं।

मुख्य मंत्री जी, अब आप बजट की चर्चा का उत्तर देंगे ? चूंकि यह आइटम आ गया है, इस लिए कह रहा हूँ। अगर शाम को उत्तर देना हो तो संकल्प पर चर्चा करायें।

(श्री राजेन्द्र सिंह राणा कुछ बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए, आप मंत्री हैं। माहौल शान्त हुआ है, आप फिर खड़े हो गए। आप बैठिए।

माननीय मुख्य मंत्री जी, कितने बजे आप इस चर्चा का उत्तर देंगे ?

श्री अखिलेश यादव-

चर्चा अभी शुरू कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, अजय कुमार 'लल्लू' जी हैं, आप इस पर बोल लीजिए।

*श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुशीनगर जनपद पूरा गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में कुशीनगर जनपद में पडरौना चीनी मिल, जिसका नाम जे0एच0बी0 शुगर लि0 चीनी मिल हैं, पिछले 1997-98 से लगातार वह चीनी मिल बन्द थी। वह चीनी मिल बड़े प्रयासों के बाद, जनान्दोलनों के बाद, माननीय आर0पी0एन0 सिंह जी जो वर्तमान में भारत सरकार में मंत्री हैं तथा मैं खुद 17 दिन गोरखपुर जेल में रहा। एक भुल्लन नाम के व्यक्ति के मरने के बाद वह चीनी मिल वर्ष 2007-08 में चली और फिर 2007-08 में उस चीनी मिल में किसानों का बकाया लगभग 11 करोड़ रूपया और मिल के मजदूरों का बकाया 4 करोड़ रूपया था। फिर 2011-12 में बड़े प्रयास और आन्दोलनों के बाद वह चीनी मिल चली और किसानों का बकाया 4 करोड़ रूपया और मजदूरों का बकाया 1 करोड़ रूपया रहा। मान्यवर, इस साल 2012-13 में उस चीनी मिल का जिलाधिकारी द्वारा संचालन शुरू किया गया और वह चीनी मिल एक-दो दिन चली और उस चीनी मिल को बंद कर दिया। वहां का पूरा इलाका गन्ने पर आधारित है वहां बच्चों की शिक्षा-दीक्षा और शादी सब गन्ने पर निर्भर है। इस समय उस चीनी मिल को वहां के मालिक लोग बेचना चाहते हैं। पूरा जनपद उस चीनी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिल पर आधारित है। इस स्थिति से वहां के किसानों के लिए बड़ी गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। उस इलाके में अगर चीनी मिल को बेच दिया गया तो उस इलाके के लोग खाने-खाने को मोहताज हो जायेंगे। वहां के बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। ऐसे में आपसे मांग करता हूँ कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये और उस चीनी मिल को बंद करने की जो योजना है उसे न बेचा जाये और जो गन्ना किसानों का 15 करोड़ और मिल मजदूरों का 05 करोड़ रुपया बकाया है उसे अविलम्ब किसानों और मजदूरों को देने की, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, श्री अजय कुमार 'लल्लू' ने पडरौना चीनी मिल को बंद करने के बारे में उठाया है इनकी मांग है कि उसे चालू कराया जाये और गन्ने का भुगतान किया जाये।

मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पूरे प्रकरण को दिखवायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

बस ठीक है, हो गयी बात।

*श्री जन्मेजय सिंह-

मान्यवर, दिनांक 31 जनवरी, 2013 को निखिल तिवारी पुत्र काशीनाथ तिवारी आयु 15 वर्ष निवासी राम गुलाम टोला जनपद देवरिया को उनकी पान की दुकान से विकास तिवारी बताने वाले युवक एक दवा कम्पनी में नौकरी दिलाने के बहाने से लेकर गया। अगले दिन 01 फरवरी, 2013 की रात 8.30 बजे से 9.15 बजे के बीच तीन बार बात की और पुत्र के अपहरण की जानकारी दी और 12 लाख रुपये मांगा तथा काशीनाथ तिवारी से उनके लड़के की बात करायी। 4 दिन का समय देकर बैंक एकाउंट से पैसा लेने की बात कही। 07 फरवरी को स्टेट बैंक के एकाउंट नं 30807788569 अभिषेक तिवारी के नाम से पैसा भेजने को कहा। इसी बीच थाना कोतवाल को 01 फरवरी, काशीनाथ ने सूचना दे दी। उसके बाद उक्त एकाउंट नम्बर पर 35000/-रूपये प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देवरिया के सामने भेज दिया। जिसे उसने 07 फरवरी, को दो बजे तक महराजगंज जिला सीवान के ए0टी0एम0 से निकाला और लड़के को 03 बजे तक घर भेजने की बात की। इधर पुलिस जांच के दौरान थाना सिसवन, जिला सीवान प्रान्त बिहार को अज्ञात लाश मिली जिसकी पुष्टि काशीनाथ के पुत्र निखिल कुमार तिवारी के रूप में हुयी। पुलिस छः लोगों को पकड़कर लाई जिसमें चार को छोड़ दिया और दो को जेल भेजने की बात कही। परन्तु मुख्य आरोपी को आज तक नहीं पकड़ सकी। यदि पुलिस ने संवेदनशीलता दिखायी होती तो काशी नाथ के पुत्र की हत्या न होती। तो मान्यवर, आपसे आग्रह है जिस कोतवाल ने अपने सामने बैग में पैसा जमा किया तो उस कोतवाल के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय सुनिश्चित एवं तात्कालिक घटना पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आपका कहना है कि अपहरणकर्ताओं को रुपया दिया और एक लड़का मार भी दिया गया। एक मुख्य आरोपी नहीं गिरफ्तार है। उसको दिखवा लें।

मोहम्मद आजम खां-

जी मान्यवर।

[1058 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

श्री अध्यक्ष-

अब वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर चर्चा प्रारम्भ करते हैं।

श्री सलिल विश्नोई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह बताने का प्रयास किया है कि 5 साल से पिछड़ी सरकार को प्रगति के पथ पर लाने के लिए यह बजट पेश किया गया। लेकिन इस दस्तावेज को पढ़ने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रदेश की जनता को प्रगति के सोपानों का कोई स्वाद चखने को मिलेगा। पिछली सरकार ने जिस तरह से अपनी सारी ताकत पत्थरों और मूर्तियों के ऊपर खर्च कर दी थी, उसी तरह से यह सरकार भी सरकार के बजट का जो प्रमुख हिस्सा है वह अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए, अपने मतदाताओं को खुश करने के अन्दाज में बनाया गया है। वर्तमान सरकार ने भी लोक सभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, मतदाताओं को आर्थिक रूप से प्रलोभित करने का प्रयास किया है। अनुत्पादक मदों पर ज्यादा खर्चा हुआ है, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सड़क और नागरिक सुरक्षाओं पर कम ध्यान दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-2014 के प्रस्तुत बजट का आकार 02 लाख 21 हजार 201 करोड़ 19 लाख रुपया है, इसमें प्रदेश के विकास की नई 219 योजनाओं के लिए मात्र 7,787 करोड़ 87 लाख रुपये का ही प्राविधान किया गया है, जो कि सम्पूर्ण बजट का 03 प्रतिशत से भी कम है। मा0 अध्यक्ष जी, बजट का बाकी 97 प्रतिशत अधिकारियों और मंत्रियों की अनुकम्पा और अनुत्पादक मदों पर खर्च होगा। विकास के लिए मात्र 03 प्रतिशत का प्राविधान किया गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि अगर सरकार के अन्दर विकास और प्रगति की कोई चाहत है तो इस राशि को बढ़ाया जाय और प्रदेश की जनता को कुछ राहत दी जाय, अगर 97 प्रतिशत बजट अनुत्पादक मदों पर खर्च हो जायेगा तो यह प्रदेश की सरकार का प्रदेश की जनता के साथ एक समाजवादी धोखा साबित होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का, उनके द्वारा बजट में घोषित उनकी सरकार के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। मुख्य मंत्री जी ने लखनऊ की बढ़ती आबादी को विश्वसनीय पब्लिक ट्रान्सपोर्ट देने की आवश्यकता बताते हुए मैट्रो रेल परियोजना सौगात में देने का वादा करते समय प्रदेश के सबसे बड़े महानगर कानपुर को नजरन्दाज कर दिया है। कानपुर की आबादी लखनऊ से तीन गुनी है और लखनऊ से छः गुना ज्यादा राजस्व कानपुर देता है। शायद मुख्यमंत्री जी को और

† दिनांक 26 फरवरी, 2013 की कार्यवाही से।

उनके अधिकारियों को यह नहीं पता होगा कि कानपुर महानगर के अन्दर मैट्रो रेल का इन्फ्रास्ट्रेक्चर भी मौजूद है। कानपुर शहर की बन्द पड़ी बड़ी-बड़ी मीलों को पहले कच्चा माल लाने और ले जाने के लिए रेलवे की लाइनें अभी भी पड़ी हुई हैं, पटरियां पड़ी हुई हैं। न तो कानपुर में मैट्रो चलाने के लिए जमीन की आवश्यकता है, न कानपुर में मैट्रो रेल चलाने के लिए रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता है, सिर्फ उन्हीं पटरियों को सुधार कर के कानपुर में मैट्रो रेल चलाई जा सकती है। जहां कहीं भी थोड़ी असुविधा महसूस हो, वहां भूमिगत लाइनें डाली जा सकती हैं। कानपुर शहर में आधी से भी कम लागत पर मैट्रो रेल चलाई जा सकती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, महामहिम राज्यपाल नें पेज नं0-13 में आवास एवं विकास शहरी नियोजन के अन्तर्गत लखनऊ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम 117 एकड़ भूमि में निर्माण कराने का उल्लेख किया है। इस परियोजना में 400 करोड़ की लागत आयेगी। इस परियोजना के लिए एक कन्सल्टेण्ट का भी चयन हो गया है, जबकि मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। मा0 राज्यपाल के अभिभाषण और मा0 मुख्य मंत्री के बजट भाषण इन दोनों में बहुत अन्तर है, मान्यवर, इस बात की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना है, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि लखनऊ शहर में स्टेडियम चाहे जब बनवाइयेगा, लेकिन कानपुर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है, उसको सरकारी अफसरशाही से मुक्त करा दीजिए और वहां जिस तरह से पहले हिन्दुस्तान में पांच मैच हुआ करते थे, उसमें एक कानपुर में टेस्ट मैच हुआ करता था, वह अब पिछले 10 वर्षों से समाप्त हो गया है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम को फिर से वही पुराना गौरवशाली स्थान दिलाया जाय। मान्यवर मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि इन परिस्थितियों में भी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, आपने मुझे मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ । मान्यवर, कोई भी बजट उस प्रदेश के विकास की रूप-रेखा को सुनिश्चित करता है। बजट वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य हैं सरकार के, उसको कैसे प्राप्त करेंगे, उसको इंगित करता है।...

परन्तु मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है यह नोग्रोथ बजट है। इसमें विकास कहीं भी इंगित नहीं है कि किस तरह से प्रदेश का विकास होगा। 10.5 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही गयी है। यह वृद्धि इन बाता ें को देखते हुये कि सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, यानि कि वेतन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, मुद्रा स्फीति बढ़ रही है तो यह नगण्य हो जाता है। इसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। मुझे इस बात का भी दुख है कि जहां केन्द्र सरकार में वित्त मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, उसमें प्रारम्भ से ही महिलाओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। महिलाओं के विषयों पर फोकस किया गया और एक महिला बैंक, राष्ट्रीय महिला बैंक के गठन के साथ-साथ निर्भया के नाम से एक फण्ड भी बनाया गया ताकि एक ओर महिलाओं की आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो तो दूसरी ओर उनकी रक्षा की जा सके, उनको सुरक्षा दी जा सके। परन्तु हमारी इस सरकार ने 6 या 7 लाइनों में महिला एवं बाल कल्याण को समाप्त कर दिया। केन्द्र सरकार ने एक लाख सत्तर हजार करोड़ रूपये राष्ट्रीय स्तर पर महिला एवं

बाल कल्याण के लिये रखा है लेकिन हमारी इस सरकार ने दो-दो साड़ी देने का वादा किया है। दो-दो साड़ी देने के बजाय अगर वृद्धा पेंशन बढ़ा दी गयी होती, अगर प्रशिक्षण के लिये अलग आई0टी0आई0 खोल दी गयी होतीं तो महिलाओं को उसका लाभ निश्चित रूप से होता। सबसे बड़ी बात कि महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रखने के लिये कोई प्रावधान और कोई आश्वासन नहीं दिया गया। मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसे आपने अतारांकित में डाल दिया। मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या यू0जी0सी0 के निदेशानुसार महिलाओं की सुरक्षा के लिये हर विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में महिला पुलिस की नियुक्ति होनी चाहिये। सरकार का जवाब आ गया कि न तो हम ऐसा कर रहे हैं और न करने का कोई विचार है, आवश्यकतानुसार करेंगे। यू0जी0सी0 की गाइड लाइंस को स्वीकार नहीं किया। मैं बधाई देना चाहूंगी केन्द्र सरकार को कि उन्होंने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 10 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये पुलिस में आरक्षित कर दिये गये हैं। क्या हम इस तरह का आरक्षण महिलाओं की पुलिस में नहीं कर सकते थे ? क्या हम महिलाओं की स्कूलों में, कालेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में सुरक्षा के लिये व्यवस्था नहीं कर सकते हैं ? ये बड़े दुख की बात है। 3 करोड़ रुपये में एक महिला वृद्धाश्रम की बात की गयी है। आप मथुरा चले जाइये, आप वाराणसी चले जाइये, आप वहां विधवाओं और वृद्धाओं की संख्या देखिये, उनके हालात देखिये। तीन करोड़ रुपये में क्या होता है लेकिन सिर्फ इतना है कि एक जरा सा कुछ देकर आपने इसको दिखाने का प्रयास किया कि हम महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि महिलाओं के पक्ष में यह बजट बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। आपने कहा कि हम लड़कियों की फीस माफ करेंगे तो कितने प्रतिशत महिलायें यूनिवर्सिटीज या हायर एजूकेशन में जाती हैं। शायद 15 प्रतिशत भी नहीं तो जो शेष महिलायें बचती हैं, उनके लिये क्या है, उनकी आर्थिक सुदृढ़ता के लिये क्या है ? इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी। जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है तो उसमें आज ही बड़ी गम्भीर चर्चा हुयी है। मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया।

हम तो यह देखना चाहेंगे कि महिलाओं के साथ-साथ हर नागरिक इस प्रदेश का सुरक्षित हो और इसके लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे ? इस पर क्या आप ध्यान देंगे ? आपका ओपनिंग कमेण्ट (टिप्पणी) था कि हमारे विकास की पहुंच सुदूर बैठे हुये गरीब को भी मिलेगी। हर एक के आंसू हम पोछेंगे। लेकिन क्या दिया आपने पूर्वांचल को ? क्या दिया आपने बुन्देलखण्ड को ? मैं समझती हूँ कि हास्यास्पद है जो धनराशि आपने आवंटित की है।

(इस समय 2 बजकर 8 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।)

इन क्षेत्रों के विकास के लिये। आपने बुनकरों के लिये कहा कि हमने क्लस्टर्स की व्यवस्था की है। ये क्लस्टर्स तो सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट की स्कीम है। यह केन्द्र सरकार की स्कीम है लेकिन बुनकरों के लिये अन्य क्या प्रावधान आपने किये ? किस तरह से आप उनके जीवन को बचायेंगे, उसकी कोई चर्चा नहीं है ? अगर किसानों की बात करें तो आपने उनके बिजली माफी की बात की है। आपको भी पता है, कि 3 प्रतिशत के ब्याज पर जो छोटे और मँझोले किसान हैं वो बड़े किसानों से बिजली खरीदते हैं तो बिजली की माफी का फायदा किसको मिलेगा ? बड़े किसान को मिलेगा। आपने ऋण माफी की है उसका लाभ किसको मिलने जा रहा है ? मेरा साफ कहना है कि जिस तरह का बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें जो मार्जिनल फार्मर हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको कोई ज्यादा फायदा (बेनिफिट) मिलने वाला नहीं है।

कृषि क्षेत्र में मूल्यांकन अध्ययन के लिए कहीं कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। गन्ने का आवंटन आप करते हैं कि किस किसान का गन्ना किस मिल में जायेगा, लेकिन वह आपकी अपनी डिस्क्रिएशन होती है। क्या आपने कभी कोई सेटेलाइट सर्वे करवाया ? साइंसटिफिक मैप बनवाया ? क्यों नहीं आप प्रयास करते कि सेटेलाइट से एक वैज्ञानिक मानचित्र बने, जिससे पता चले कि किस किसान का गन्ना कहां जाना चाहिए, किस मिल को जाना चाहिए। गन्ना किसानों का इतना बकाया है, आपने कहा कि हम बकाये नहीं रहने देंगे, हम घटतौली नहीं होने देंगे, सरकारी मिलों में, कोआपरेटिव की मिलों में, लेकिन जो निजी मिलें हैं, उनसे आप कैसे किसानों को सुरक्षित करेंगे, इस पर भी कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला गया है। अन्य सदस्यों ने जो बोला है, उनकी बातों से मैं भी सहमत हूँ, कि बहुत-सारी कमियां हैं, चाहे एम्प्लाइमेंट को लेकर हो, चाहे पर्यावरण को लेकर हो, चाहे खेल-कूद को लेकर हो, अन्य विषय हो, लेकिन मुझे एक बात पर आश्चर्य है। जो हम बात कर रहे हैं लैपटाप्स की। इन लैपटॉप्स की कनेक्टिविटी का क्या होगा ? इंटरनेट कनेक्शन की खर्च कौन उठाएगा ? उसका सलाना खर्च कहां से आएगा ? बिजली नहीं मिलती तो चार्ज, रिचार्ज कैसे होगा ? मैंने सुना है कि आप इन लैपटॉप्स के रिपेयरिंग के लिये स्पेशल सेन्टर्स खोलेंगे ? क्योंकि कहीं और वह रिपेयर नहीं हो पायेगा, उसकी मरम्मत नहीं हो पाएगी। थाने तो आपसे चल नहीं रहे, स्वास्थ्य केन्द्र तो चल नहीं रहे, लैपटॉप्स को बनाने के लिए केन्द्र आप कैसे चलायेंगे, इस पर कहीं कोई स्पष्टीकरण, कोई 'किल्यरिटी' इस सरकार की नहीं है।

अब आ जाइये हमारे बजट में इंगित जी0एस0डी0पी0 जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसमें उसका 30 प्रतिशत तो केवल ऋण में जाने का भार है इस सरकार के ऊपर। 2 लाख 40 हजार करोड़ का ऋण का प्रोजेक्शन आपने बजट में दिया है, अगर इसका इन्टरेस्ट जोड़ा जाए, तो इन्टरेस्ट कैपीटल रिफण्ड को इन्टरेस्ट देने में 35.5 हजार करोड़ रुपये होता है। अब आप अपने स्थायी खर्च देख लीजिए, वेतन पर 35 प्रतिशत आपके बजट का खर्च है, पेंशन पर 12 प्रतिशत वेतन व पेंशन ऋण पर 10 प्रतिशत, यह कुल हो गया 60 प्रतिशत। 10 प्रतिशत आप रख-रखाव का मान लीजिए, हो गया 70 प्रतिशत और 25 प्रतिशत आपका ऋण अदायगी में जायेगा। तो फिर आप प्रदेश के ग्रोथ के लिये क्या देंगे ? उसके विकास में देंगे ? मुझे लगता है कि यह 'नो ग्रोथ' बजट है। यह तो चुनावी बजट है, लैपटॉप देंगे, साड़ी देंगे, कम्बल देंगे। आपके पंचवर्षीय लक्ष्य क्या हैं, आपकी वार्षिक योजना का लक्ष्य क्या है, उसकी अभी पूर्ति होती नजर नहीं आती है। मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि आपने जो यह दिखाया है कि हमारे राजस्व की आय में वृद्धि होगी, कैसे होगी हमारे समझ में नहीं आता। आजतक यहां पर जो भी बजट पेश किए गए हैं, राजस्वी आय 16 प्रतिशत से अधिक कभी नहीं बढ़ी है। आपने 20 प्रतिशत का आंकड़ा दे दिया है कि हम 20 प्रतिशत वृद्धि कर देंगे। वर्ष 2012-13 में कुल 8 हजार करोड़ रूपयों की वृद्धि की थी। इस बार आप सोच रहे हैं कि वृद्धि दोगुनी होगी। तो सीधी-सी बात है कि जो भी बजट आपने पेश किया है उसमें हो सकता है कि यह आंकड़े की 'जगलरी' हो लेकिन अगर यर्थाथ में देखा जाए तो जो आपने 'बजटरी प्रोविजन' किए हैं, जो बजट में प्रावधान किए हैं, वह कहीं भी ग्रोथ-ग्राफ को इंगित नहीं करता है कि किस ओर से इम्प्लायमेंट का ग्रोथ होगा ? किस तरह से इन्फ्रास्ट्रेक्चर का ग्रोथ होगा ? किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे ? मैं तो यह समझती हूँ कि यह बजट बिल्कुल 2014 के चुनाव के दृष्टिगत बनाया गया है और

इसके दुष्परिणाम आगे नजर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करती हूं और निश्चित रूप से यह चाहूँगी कि विभिन्न प्रावधानों पर यह सरकार गंभीरता से विचार करे।

*श्री वीरपाल राठी-

आदरणीय, अधिष्ठाता महोदय, आपने सरकार द्वारा रखे गए बजट के विरोध में मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, सरकार का 2 लाख, 21 हजार 201 करोड़ 19 लाख रूपये का कुल आकार बजट का है। इसमें अलग-अलग विभागों को यह आवंटित किया गया है। चिकित्सा विभाग को 10 हजार करोड़, कृषि के लिए 17 हजार करोड़ और शिक्षा के लिए 32 हजार करोड़ ऐसे विभागों का बंटवारा किया है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अगर इस बजट का ईमानदारी के साथ लगा दिया जाए। मान्यवर, इतने बड़े आकार का बजट प्रदेश को मिला है मैं मानता हूं कि यह काफी है अगर सभी जिलों में यह बराबर-बराबर बांट दिया जाय, तो मैं समझता हूँ कि यह सरकार की सफलता होगी। मान्यवर, अभी मा0 रीता बहुगुणा जोशी जी कह रहीं थी कि यह बजट 2014 के चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है तो वह बात साबित हो जायेगी। क्योंकि अभी सरकार ने जो विकास के गांव लिए हैं 672 गांव उन्होंने विकास के रखे हैं पूरे प्रदेश के अन्दर, और मेरठ मण्डल को 32 गांव मिले हैं। मेरठ जिले को एक भी गांव नहीं दिया है। मान्यवर, मुझे महसूस होता है ऐसा कि बजट को कुछ गांवों से वंचित रखने का प्रयत्न किया गया है। जिसमें मेरा छपरौली विधान सभा क्षेत्र बागपत भी है। मान्यवर, जिला योजनाओं में 22 करोड़ रूपये की योजना सड़कों के लिए दी गयी हैं वहां एक करोड़ भी नहीं भेजा गया है। पिछले वर्ष बजट का 20 प्रतिशत धन वहां पर विभागों को नहीं दिया गया है।यह जो बजट का पैसा है, यह कुछ जिलों विशेष के लिए है कुछ नेताओं के लिए बजट है, लेकिन पूरे प्रदेश के लिए नहीं है। मान्यवर इसमें 400 करोड़ रुपये का बजट गन्ना किसानों के लिए रखा गया है। मान्यवर आप यदि आंकड़ों को देंखें तो पता चलेगा कि गन्ना किसानों का कितना पेमेण्ट बाकी है। मान्यवर, 400 करोड़ रूपये में गन्ना किसानों का क्या भला होगा। मान्यवर अभी भी जो आंकड़े हैं 65 प्रतिशत भुगतान अवशेष है।

मान्यवर, 1994-95 से लेकर 2011-2012 तक आप आंकड़ा देंखें तो पता चलेगा कि कुल 12929.71 लाख रुपये बकाया है भुगतान के लिए। मान्यवर इसमें चीनी मिले हैं आनन्द नगर, गौरी बाजार, पडरौना, कठकुइयां, गागलहेड़ी, मझावली, न्योली, गोपी, कमलापुर, कप्तानगंज, नवाबगंज, सरदार नगर इन पर 1994-95 से 2011-12 तक पेमेण्ट बाकी है। मान्यवर, इसी तरह से पेराई सत्र 2012-2013 का 22 करोड़ रुपया शेष है। मान्यवर इस तरह से सरकार सच्चाई को छुपा नहीं सकती है। हमारे यहां भी चीनी मिल मल्कापुर है वहां पर एक अरब बत्तीस करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। यानी 11 दिसम्बर,2012 तक कुल पेमेण्ट 32 प्रतिशत किया गया है। तो यह सरकार में बैठे लोग और सरकार कैसे कहती है कि यह किसानों की सरकार है। मान्यवर, इस बकाये धनराशि से बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि यह सरकार किसानों की कहां सरकार है। यह गन्ना किसानों को पेमेण्ट भी नहीं दिला सके हैं। हम तो मानते हैं कि यह किसानों की सरकार नहीं है। मान्यवर, गन्ना किसानों का बकाया 65 प्रतिशत का भुगतान यह सरकार कराने का काम करे। मान्यवर, यहां पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ने लैपटाप देने की बात कही और अस्पतालों में एम्बूलेंस लगाने की बात कही हम कहना चाहते हैं कि क्या जरूरत है एम्बूलेंस की। आप व्यवस्थाओं को बदले और परिवर्तन कीजिए। ऐसी व्यवस्था बनायें कि इस एम्बूलेंस की जरूरत ही न पड़े। सड़कों पर एक्सीडेंट ही न हों डॉक्टर आपके पास हैं नहीं आप अस्पतालों का निरीक्षण कीजिए, वहां आपको पशु बधें हुए मिलेंगें तो फिर यह बजट किस बात का। मान्यवर, शिक्षा की बजट की बात है मैं मानता हूँ कि यहां पर एक बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठते हैं उन्होंने कुछ व्यवस्था बदली है और कुछ काम किया है। ईमानदारी के साथ काम किया है इसलिए मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, आज अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, राजकीय कालेजों में बजट दिया गया वहां पर बैठने के लिए फर्नीचर नहीं, वहां पर कोई अध्यापक नहीं तो फिर बजट किस बात का दिया जा रहा है। मान्यवर, इस बजट को जो बिना मतलब का बजट है विभागों को दिया जा रहा है वह मात्र अधिकारियों के घर जायेगा न कि किसी विभाग में लगेगा। मेरा निवेदन है कि ऐसे बजट को न दिया जाय वहॉ पर बजट का यूज किया जाय, जहॉ पर जरूरत है, जिस विभाग को जरूरत है । कृषि मंत्री जी अभी बैठे थे, चले गये। उन्होंने खाद बीज के लिए बजट प्रस्तुत किया है कि खाद बीज हम देंगे किसानों को शंकर मक्का देंगे, आप पूछ लीजिए जब यह शंकर मक्का का बीज होगा, जब ज्वार का बीज बटेगा तो कितने किसानों का भला हुआ है ? वह कौन लोग बीज लेकर के जाते हैं, अधिकारियों से जिनकी साठगांठ होती है वह लोग बीज लेकर के चले जाते हैं और आम आदमी तक बह नहीं पहुंचता। मान्यवर, ट्रैक्टर की घोषणा की और बार-बार की जाती है कि एक जिले के अन्दर 5-6 ट्रैक्टर दिये जायेंगे वह किन लोगों को कि पहले आओ-पहले पाओ यह नीति है सरकार की लेकिन हमें इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए और जांच भी कर लेनी चाहिए कि किन-किन लोगों को ट्रैक्टर मिला है उन लोगों को ट्रैक्टर मिलता है जिनकी साठगांठ होती है। इसके साथ ही एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं-

मेरी आशियां की तू गम न कर,
वह जल रहा है जला करे।
लेकिन आप इन हवाओं को रोकिये
सवाल सारे चमन का है।।

जय हिन्द, जय भारत।

श्री फेरन लाल-

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, जो 2013-14 का बजट पेश किया गया इससे मुझे और जनता को बहुत आशाएं थी। चूँकि बजट पुस्तिका में पहले ही पृष्ठ पर इसमें लिखा हुआ है माननीय मुख्य मंत्री जी ने कि जो पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की अपेक्षा पीछे चला गया है इसको हमें आगे लाना है लेकिन, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बजट को पढ़ने के बाद ऐसा कुछ भी बजट में नजर नहीं आता है जो पिछली सरकार की अपेक्षा आप बेहतर कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के बगैर, उद्योग के बगैर, कृषि के बगैर प्रदेश को विकसित करने की बात अगर कोई कहे तो यह समझ लीजिए कि प्रदेश के साथ छलावा है, धोखा है। जो बजट में

माध्यमिक शिक्षा के बजट में 10,367 करोड़ की व्यवस्था की गयी है इसमें केवल दो राजकीय इंटर कालेज, एक उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल से इंटर कालेज और एक सैनिक स्कूल खोलने की व्यवस्था की गयी है जबकि माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऐसे प्रदेश के कई विधान सभा क्षेत्र हैं जहां 20-20, 25-25, 30-30 कि0मी0 के बीच में डिग्री कालेज तो छोड़िये, इंटर कालेज तो छोड़िये, हाई स्कूल नहीं है। मेरा एक मेहरोनी विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जिसमें एक धौर्रा क्षेत्र है जो मुख्यालय से 30 कि0मी0 की दूरी पर है वहॉ एक भी हाई स्कूल नहीं है। मेरी आपसे मांग है कि मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, एक धौर्रा क्षेत्र है जहां पर एक इंटर कालेज खुलवा दिया जाय। जहां पर दूरांचल के लगभग 30-35 गांव उससे लगते हैं वहां के छात्रों के लिए कक्षा 8 पास करने के बाद नौवीं में एडमीशन के लिए कोई विद्यालय नहीं है। एक दूसरा क्षेत्र बालावेट है जो मुख्यालय से 40 कि0मी0 दूर है वहां आज तक भी एक सरकारी इंटर कालेज नहीं है वहां पर भी एक सरकारी इंटर कालेज इस बजट में जोड़ दिया जाय। एक कैलगवां है जो मुख्यालय से 40 कि0मी0 दूर है वहां पर एक इंटर कालेज बनवा दिया जाय। एक महावरा जो ब्लाक मुख्यालय है वहां पर एक डिग्री कालेज इस बजट में जुड़वा दिया जाय।

माननीय अधिष्ठाता जी, दूसरी बात, ग्रामों का विकास करने के लिये जो सरकार ने डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना चलाई है, यह नाम कोई भी हो, हमारी सरकार में डा0 अम्बेडकर समग्र ग्राम विकास योजना चलाई गयी थी, जिसमें उसकी तुलना में आपने जो बजट दिया है, उसके संबंध में मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि केवल 20 लाख रुपये सी0सी0 रोड बनाने के लिये बजट दिया गया है, उससे तो मात्र 600-700 मीटर सी0सी0 रोड ही बनाया जा सकता है, यह पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात जो ग्रामों का चयन है, ग्रामों के चयन का न तो कोई मानक है और जो ग्राम डा0 अम्बेडकर के नाम पर चयन किये गये थे, उन्हीं ग्रामों को इस योजना में चयनित कर लिया गया है, अब जो पुराने सी0सी0 रोड बने थे, मुझे तो लगता है कि उन्हीं पर आप अपना बोर्ड लगाकर यह दिखा देंगे कि यह सी0सी0 रोड हमने बनवाये हैं।

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे क्षेत्र महरौनी विधान सभा में बालावेट क्षेत्र है । बालावेहट क्षेत्र दो नदियों से घिरा हुआ है, एक सोर नदी और दूसरी नरेन नदी, जब यह दोनों नदियां बरसात में बाढ़ में आती हैं तो महीनों यह क्षेत्र मुख्यालय से कट जाता है तो मेरी आपसे मांग है कि सोर नदी पर एक पुल बनवा दिया जाय ताकि 25-30 गॉव के लोगों का सम्पर्क बरसात में जब मुख्यालय से कट जाता है, उस समय चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं की दिक्कत होती है, तो वह उनका संबंध न टूटे, इसलिये सोर नदी पर एक पुल इस बजट में जोड़ दिया जाये। दूसरा पुल राजनम नदी पर एक नीलकंठ घाट है, जहां मकर संक्रान्ति के टाइम पर मेला लगता है, वहां उस नदी में हमेशा पानी रहने की वजह से मेले में आने वाले दर्शनार्थियों को कपड़े सिर पर बांध करके नदी में तैर कर पार जाना पड़ता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि इस नदी पर भी एक पुल बनवा दिया जाये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनपद ललितपुर से मध्यप्रदेश को जोड़ने वाले दो मार्ग हैं। एक वाया बानपुर होता हुआ टीकमगढ़ को जाता है, उस पर एन0टी0पी0सी0 प्लांट लग रहा है उस प्लांट के लिये ट्रक जाते हैं, उन ट्रकों की वजह से वह रोड किलोमीटरों तक गढ्ढों में तब्दील हो गया है,

कहीं डामर के नाम पर कोई चीज दिखाई नहीं देती है, मेरी आपसे गुजारिश है कि यह अन्तर्जनपदीय ही नहीं अन्तर्राज्यीय मार्ग है, इसको बनवा दिया जाये ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। दूसरा ललितपुर से वाया महरौनी होते हुये सागर को जो मार्ग जाता है, यह स्वीकृत है लेकिन इसका अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि यदि यह स्वीकृत है तो शीघ्र इसका काम शुरू करवा दिया जाये । अगर स्वीकृत नहीं है तो इस बजट में इसको जुड़वा करके इसको पूरा करा दिया जाये । इन्हीं मांगों के साथ, आपने मुझे अपनी बांतों को रखने का मौका दिया और मेरा समय भी समाप्त हो गया, कहने के लिये तो बहुत कुछ था, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, धन्यवाद।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के संशोधन पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह सरकार का बजट घाटे का बजट है और माननीय मुख्य मंत्री जी का यह बजट आशंकायें ही प्रस्तुत करता है, यह विकास कर ही नहीं सकता यह सिद्ध है कि घाटे का बजट विकास नहीं करता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 हजार 81 करोड़, 37 लाख घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। मान्यवर, जब इतने बड़े घाटे का बजट प्रस्तुत हो तो उत्तर प्रदेश की जनता का भला हो ही नहीं सकता । चारवाक की पंक्तियां याद आती हैं -

<u>यावत जीवेत सुखम् जीवेत, ऋणम् कृत्वा, घृतम् पीवेत।</u>

यानि जब तक जियो, सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो तो मान्यवर, यह सरकार विकास के बारे में पूरी तरह से फेल हो चुकी है और मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता की तकदीर को ग्रहण लग गया है। ग्रहण इस उम्मीद में लग गया कि जब जनता ने बसपा सरकार से ऊबकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी और प्रचंड बहुमत दिया, जनता को उम्मीद थी और जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने श्री अखिलेश यादव जी को मुख्य मंत्री की सीट पर बैठाया तो जनता को बड़ी अपेक्षाएं थीं। जनता चाहती थी, जनता के मन में सोच थी कि एक युवा सोच का मुख्यमंत्री निश्चित रूप से कुछ नया परिवर्तन करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता जो मकड़जाल में फंसी है, मकड़जाल किस चीज का भ्रष्टाचार का, मंहगाई का, गरीबी का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का, माननीय अखिलेश यादव माननीय मुख्य मंत्री जी इस मकड़जाल से उत्तर प्रदेश की जनता को निजात नहीं दिला पाये। जनता का भ्रम टूट गया सरकार 11 माह में ही फेल हो गई, विकास उत्तर प्रदेश का अवरुद्ध है और भ्रष्टाचार में यह सरकार आकंठ डूबी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय यह बात हम नहीं कह रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी कई बार कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ठीक काम नहीं कर रही है और मान्यवर, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, माननीय कृषि मंत्री जी पर उनके सहयोगी राज्यमंत्री कह चुके हैं कि माननीय कृषि मंत्री जी भ्रष्टाचार में डूबे हैं। किसानों की खाद, बीज, डीजल, बिजली सारी चीजें बेच दी। किसानों को उपलब्ध न होने पायें तो मान्यवर, प्रदेश का किसान क्या करेगा। मान्यवर, जब प्रदेश की जी0डी0पी0 की बात आती है तो मान्यवर, जी0डी0पी0 आयेगा कहां से, मान्यवर, किसी प्रदेश का जी0डी0पी0 आंका जाता है वहां के उत्पादन से, नम्बर-1 वहॉ का उत्पादन कैसा है, नम्बर-2 उसकी आय कैसी है, नम्बर-3 उसका व्यय कैसा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उत्पादन है ही नहीं, आय है ही नहीं केवल व्यय ही व्यय है तो मान्यवर, यहां

का जी0डी0पी0 सकल घरेलू उत्पाद कैसे बढ़ेगा। बजट में आगरा समिट की बात कही गई थी, आगरा समिट में बहुत सौभाग्य से उत्तर प्रदेश को यह अवसर मिला था। माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा समिट में विदेशी पूंजी निवेशकों के और घरेलू निवेशकों के सामने ठीक से अपना पक्ष नहीं रख पाये। उन्होंने रखा कि उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, यह देश के अन्य प्रदेशों से बड़ा प्रदेश है, मान्यवर, इससे संदेश गया कि यहां का जो बेरोजगार नौजवान है, वह आर्थिक संसाधनों पर भारी रहेगा तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विदेशी पूंजी निवेशक आयेगा नहीं, घरेलू निवेशक पूंजी निवेश करेंगे नहीं और करेंगे क्योंकि मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सड़कें खराब हैं, कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है, बिजली की स्थिति खराब है, इन 11 महीने में उत्तर प्रदेश में कोई नया उद्योग नहीं लगा। इस तरीके से मान्यवर, अभी बजट में बहुत सारी बातें कही गई हैं।

मान्यवर, बजट में कुछ दिखाया भी नहीं गया। मान्यवर, इन्होंने 2013-14 के बजट में 7 हजार 787 करोड़ 80 लाख रुपए की 219 नई योजनाएं सम्मिलित की हैं लेकिन मान्यवर, इन्हें बजट तो दिया ही नहीं है, इनमें काम कैसे होगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस सरकार को कानून-व्यवस्था ठीक करने के लिए माह में 12 स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। मान्यवर, जिस प्रदेश की कानून-व्यवस्था खराब हो तो क्या उसमें विकास हो पायेगा, कोई निवेशक अपनी पूंजी निवेश नहीं करेगा। तो मान्यवर, इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश का किसान भारी संकटों से गुजर रहा है। उसकी कोई सुनता नहीं है, खेती में काम आने वाली सारी चीजें मंहगी हैं और खेती का उत्पादन सस्ता है उसका माल बिकता नहीं है। अभी मान्यवर, इन्होंने कहा है कि हमने गन्ना किसानों के लिये बजट में 4 सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मान्यवर, प्रदेश के गन्ना किसानों को 4 हजार करोड़ रुपया बकाया है और इन्होंने बजट में 4 सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की है तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसानों को किस तरीके से गन्ने का भुगतान मिल पायेगा। मान्यवर, बिजली बिल्कुल आ ही नहीं रही है। इस तरीके से किसान संकटों से गुजर रहा है, खाद, पानी, डीजल, बिजली प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है, यह सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। मान्यवर, गांव के गरीब लोगों के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छे काम करने वाले को बधाई देना चाहिए, बेसिक शिक्षा मंत्री जी इस पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन बेसिक शिक्षा पर अभी और ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं और अगर प्राथमिक विद्यालय हैं तो वहां अध्यापक नहीं हैं, अध्यापकों का अभाव है और जो अध्यापक हैं भी, वह पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, अन्य कामों में लगे रहते हैं। मान्यवर, इस तरीके से प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि आपने संकेत कर दिया है तो मैं अपनी आंवला विधान सभा पर आना चाहता हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विशेष महत्व है। उत्तराखंड अलग हो जाने से पर्यटन के सारे स्थल उत्तराखंड में चले गये, हमारे पास पर्यटन के स्थान कम रह गये हैं लेकिन हमारी विधान सभा क्षेत्र आंवला रूहेलखण्ड में पर्यटन के स्थल हैं। वहां पांचाल प्रदेश है, जहां द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था और अज्ञातवास में पाण्डव वहां रहे थे तो उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि जैसे और परिपथ हैं उसी तरह से पांचाल परिपथ बनाया जाए। दूसरा, आंवला विधान सभा में नेशनल हाई-वे पर दिल्ली-बरेली हाई-वे पर जब जाम हो जाता है तो शाहाबाद-आंवला-बरेली

भगौरा से ट्रैफिक निकलती है, तो उस मार्ग को फोरलेन का बनाया जाए। मान्यवर, किसानों के लिए अन्य प्रदेश में कुछ कालेज खोलने की बात कही गयी है तो मान्यवर, रूहेलखण्ड के बरेली जनपद में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए ताकि किसान आधुनिक बीजों व प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर काम कर सकें। मान्यवर, करगैना पराग डेयरी है जो पूरे जिले को लाभ देने का काम करती है उसमें बजट आवंटित करके उसे चलाने का काम करना चाहिए। इसी तरह से मान्यवर, बहुत सी योजनायें हैं। ऑवला में जो परिवहन निगम का डिपो है उसे बनवाने का काम करें। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री कृष्णपाल राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसाकि अभी हमारे बहुत से साथियों ने बजट पर बोला, बजट को पढ़ करके सभी ने उसमें बारीकी से ध्यान दे करके बताया कि जो हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है यह कहीं से भी नहीं लगता है कि प्रदेश को विकासशील प्रदेश बनाने के लिए यह बजट कारगर होगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं बुन्देलखण्ड जनपद-झांसी के बबीना विधान सभा से चुनकरके आया हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी के बजट में देखा है, कहीं भी बुन्देलखण्ड में कोई भी ऐसी योजना इस बजट में दिखाई नहीं दी है जिससे बुन्देलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उस बजट में व्यवस्था हो। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा खनिज के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होती है। सरकार को राजस्व मिलता है और सबसे ज्यादा बुन्देलखण्ड में खनिज का अवैध खनन हो रहा है जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। जो सरकार के द्वारा सड़कें बनायी गयी हैं उस अवैध खनन की वजह से, ओवर लोड की वजह से सड़कें बहुत जर्जर हालत में हो गयी हैं। मा0 लोक निर्माण मंत्री जी की घोषणा के बाद भी न तो उन सड़कों के गड्ढ़े मुक्त किये गए हैं न सड़कों की मरम्मत की गयी है। मान्यवर, अभी मुझसे पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि उत्तराखंड अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में पर्यटन के बहुत से स्थल कम हो गये हैं। बुन्देलखण्ड में पर्यटन की दृष्टि से पिछली सरकार ने गढ़मऊ झील तथा बरूआ सागर झील को लिया गया था उसके लिए कुछ धनराशि भी दी गयी थी लेकिन गढ़मऊ झील पर कोई सुदृढ़ीकरण का कार्य आज तक नहीं हो रहा है। वास्तव में दोनों ऐसे पर्यटन स्थल हैं उनको प्रकृति ने भी सुन्दर बनाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमारे बरुआ सागर बाला झील, और डलमऊ झील और सुखवा, ढुकवा बांध का सुन्दरीकरण कराकर उन्हें पर्यटनस्थल में अंकित कराया जाय। अध्यक्ष महोदय मैं टेहरौली तहसील जो बनी है टेहरौली तहसील में मानक के अनुसार दो ब्लाक होना चाहिए लेकिन टेहरौली तहसील कई वर्षो पहले बन चुकी थी आज तक उस तहसील में एक भी ब्लाक नहीं है। उस क्षेत्र की जनता बार-बार धरना प्रदर्शन करती है कि टेहरौली तहसील में ब्लाकों की स्थापना की जाय अभी कुछ महीने पहले हमारे उस क्षेत्र के लोगों ने धरना दिए किसी ने टेहरौली तहसील पर ब्लाक बनाने की मांग की किसी ने टोनी फतेहपुर को ब्लाक बनाने की मांग की मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उस टेहरौली तहसील में मानक के अनुसार कम से कम दो ब्लाक होना चाहिए। एक टेहरौली तहसील को ब्लाक बनाया जाय और एक टोरी फतेहपुर को ब्लाक बनाया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी झांसी में दो बार गए और उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे जो झांसी में सीपरी ओवरब्रिज है जो रेलवे का सीपरी ओवरब्रिज है घोषणा करके आए थे कि इस ओवरब्रिज को तत्काल बनाया जायेगा। लेकिन बजट में न तो उस ओवरब्रिज का कहीं पर भी जिक्र है न उसके लिए कोई पैसे की व्यवस्था की गई है।

एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि एक ध्यान चन्द्र स्टेडियम जो ध्यानचन्द्र दद्दा जो हाकी के जादूगर थे उसके नाम से स्टेडियम बना है उस स्टेडियम में बहुत सारा पैसा भी लगा है लेकिन उस स्टेडियम को अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गईं माननीय मुख्यमंत्री जी वहां घोषणा करके आए थे कि इस स्टेडियम को शीघ्र से शीघ्र बनाकर क्षेत्र के लोगों को समर्पित किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा कि हमारे साथियों ने अभी बताया कि कानून-व्यवस्था के बारे में जो घटनाएं हमारे सम्मानित सदस्यगण बता रहे थे उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूँ अगर सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाना चाहती है तो झांसी से बबीना थाने की दूरी 30-35 कि0मी0 है और इतनी दूरी पर मात्र एक थाना पड़ता है वह बबीना थाना है। अगर बी0एच0एल0 चौकी जहां बहुत बड़ा उद्योग भी है और क्षेत्र भी है अगर बी0एच0एल0रिपोर्टिंग चौकी को थाना बना दिया जाय तो हमारे बबीना का बहुत बड़ा क्षेत्र उस थाने के अन्तर्गत आता है तो दो थाने की वजह से हम कानून व्यवस्था को चुस्त दुरस्त कर सकते हैं। मैं अपने ब्लाक चिरगांव और मोठ में 70-80 प्रतिशत धान की बोआई होती है लेकिन धान का क्रय केन्द्र न होने की वजह से हमारे मोठ ब्लाक के और चिरगांव ब्लाक के जितने भी किसान हैं वह मध्य प्रदेश के डबरा मण्डी पर हमारे धान बेचने के लिए जाते हैं जिससे हमारी सरकार को राजस्व की हानि होती है अगर हम चिरगांव मण्डी पर धान क्रय केन्द्र खोल दें तो हमारे दोनों ब्लाकों के किसान धान को चिरगांव मण्डी में बेचेंगे। जिससे हमारी सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

मान्यवर, अभी तीन मिनट ही हुए हैं सबको 10-10 मिनट मिले हैं मैं सबकी घड़ी देख रहा था।

श्री अधिष्ठाता-

ऐसा नहीं है।

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे बबीना ब्लाक में आज भी मैंने अपनी निधि से कम से कम 27 गावों का विद्युतीकरण कराया है। लेकिन अभी भी कम से कम 43 गांव ऐसे हैं जहॉ पर देश की आजादी के 65 साल बाद भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि 2001 की जनगणना के आधार पर इन मजरों को नहीं लिया जाता है। अभी गणना कराकर अगर पांच सौ से ऊपर की आबादी के यह मजरे हो गए हैं तो विद्युतीकरण कराया जाय। इन मजरों का सर्वे कराकर इन मजरों में विद्युतीकरण कराया जाय जो हमारे बबीना ब्लाक के अन्तर्गत आते हैं। हमारी जो पारीक्षा तापीय विद्युत परियोजना है हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं उसमें जब

78-79 में परियोजना लगी थी उस समय जो गजट था उस गजट में यह व्यवस्था की गई थी कि जिन किसानों की जमीन इस तापीय परियोजना में जाएगी उन किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आज तक इतनी सरकारें बनीं किसी ने भी उन किसानों के परिवार को नौकरी नहीं दी। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो तापीय परियोजना में हमारे किसानों की जमीनें गई हैं उनके परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए। एक हमारे यहां नई परियोजना बनी है जल तापीय विद्युत परियोजना शीतल के नाम से। जो बकुवां में है लेकिन वह आज तक चालू नहीं हो पाई हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप कृपया बैठ जायं। आपकी बात पूरी हो गई।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

मान्यवर, एक मिनट। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे बी0एच0ई0एल0 में हमने पिछली बार भी बजट में आपसे अनुरोध किया था कि बी0एच0ई0एल0 को चूंकि बबीना विधान सभा में एक भी तहसील नहीं है तो बबीना विधान सभा में जो सेन्टर प्लेस पड़ता है। झांसी में बहुत बड़ी तहसील का क्षेत्र झांसी में लगता है तो हमारे बी0एच0ई0एल0 सिमराबारी को कम से कम तहसील बनाकर हमारे उस क्षेत्र की जनता जो परेशान रहती है उनको निजात दिलाने की कृपा करें। आपने बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

*श्री मनीष असीजा-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज की जो सदन में चर्चा हुई है, 2/3 हृदय विदारक घटनाओं की, उसके शोक में भी अपने को सम्बद्ध करते हुए महोदय मैं बजट के लिये अपनी कुछ बात कहना चाहता हूं। महोदय, यूं तो बजट किसी भी सरकार के द्वारा जब रखा जाता है तो उसके कैबिनेट और उस बजट को बनाने वाले जो उसके पीछे विचार के लोग हैं, वित्त विभाग के लोग हैं, वह अपनी पूरी शक्ति इस बात की लगाते हैं कि बजट इस प्रकार का बने जिससे सरकार की लोकप्रियता बढ़े और प्रदेश में मैसेज अच्छा जाय। मान्यवर, यहां सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री बैठे हुए हैं, आदरणीय अम्बिका जी हैं। मैं अम्बिका जी का ध्यान चाहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि आपके बजट में अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। हर विभाग ने यह प्रयास किया है कि वो जन सामान्य को कुछ सुविधा दे सके लेकिन मान्यवर, जो व्यवहार पक्ष पर देखने में आता है वह यह है कि सरकार के द्वारा आवंटित धनराशि जो इन योजनाओं के लिये दी जाती है वह जमीनी स्तर तक ठीक ढंग से नहीं रख पाता। यह कोई आपके लिये नया विषय नहीं है लेकिन मेरा यह मानना है कि सरकार के लिये यह इस बार चुनौती है और चुनौती की तरह इसको आपको लेना चाहिए इस बात को, कि जिन विभागों के बजट आवंटित हुए हैं, जिन क्षेत्रों के लिये वह बजट आवंटित हुए हैं वह जमीनी स्तर पर ठीक ढंग से लग सकें। इसका तंत्र विकसित करना पड़ेगा। यह सब सरकारों में देखने में आता है कि निचले स्तर पर जो सरकारों के बजट का आवंटन है वह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ठीक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। आप सब लोग सम्वेदनशील मंत्री हैं, मैं आप सब लोगों को सुनता हूं। अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे सुझाव सुनेंगें। मैं भी कह सकता हूं कि यह गलत है, यह ठीक है। मुझे मालूम है कि यह लगातार चलने वाला सिलसिला है। आप यह मानकर चलिये कि आप लोगों के द्वारा जो बजट लगाया गया है, जो विभागों के द्वारा जो बजट जारी किया गया है उसमें दो शक्तियां काम करने वाली हैं। एक शक्ति वह है कि जो बजट को लोक कल्याणकारी भावना के अनुसार समाज के अंदर, अपने क्षेत्र के अन्दर, प्रदेश की जनता के अंदर वितरित कराने की ताकत लगाये और वहीं दूसरी शक्ति भी है जो मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि जो पूरी ताकत इस बात पर लगाती है कि यह जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं इसका जो बजट है यह रिसकर, यह बहकर किन्हीं खास जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाय। किसी के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप नहीं है लेकिन यह जो दूसरा वर्ग है, यह अपने आप में चतुर है, प्रभुत्वशाली है और बहुत अधिक अवसरवादी है। किसी भी सरकार के जब बजट बनते हैं, जब सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में धन का आवंटन होता है, तब यह जो दूसरा वर्ग है यह हमेशा की तरह समझिए, चाहे किसी की सरकार हो, किसी न किसी बहाने से अपने रास्ते निकालता है।

मैं मा0 मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसकी क्लोज मानीटरिंग करें इसका सूक्ष्म परीक्षण करें। मैं तो खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि बहुत सोच-सोचकर बनाई हुई योजनायें हैं लेकिन आप इस बात को भी टाल मत दें कि अगर रिक्शा गरीबों को मिलना है तो पिछली नई तारीख से किस तरह से रिक्शे का रजिस्ट्रेशन होने वाला है किस तरह से नगरपालिकाओं को जिम्मेदार किया जाएगा। अगर चिकित्सा का कोई बजट है तो वहां के सी0एम0ओ0 सी0एम0एस0 और डाक्टर्स को किस प्रकार से जिम्मेदार बनाया जाएगा। जिलाधिकारी आपके सामने एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत करते हैं। जिलों से और मंडलों से जो रिपोर्ट आती है वह अपने आप में संतोषजनक प्रगति की होती है। आपका दिल जीतने के लिए अच्छे तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, यह मैं किसी विशेष पर ऊंगली नहीं उठा रहा हूँ। यह कोई नई बात भी नहीं कह रहा हूँ लेकिन यह बात तो पक्की है कि अगर घर में रोज गन्दगी होती है, अगर रोज खाने पीने का सामान जूठन में बनता है, तो रोज बर्तन साफ भी करना पड़ता है इसलिए मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि इस बजट की धनराशि का आवंटन ठीक हो। इसके लिए आपकी कोई ऐसी क्लोज मानीटरिंग की व्यवस्था, जिसमें पक्ष विपक्ष का ध्यान न रखा जाए, इस बड़ी आबादी के प्रदेश के लिए हर प्रतिनिधि की राय ली जाए, अगर प्रतिनिधि का विचार आपको कहीं संदिग्ध लगे तो मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ कि खुलेआम इस बात को प्रकाशित भी किया जाए। लेकिन अगर बजट हमेशा की तरह जारी हुए और इधर से उधर चले गए तो इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं आज बजट संशोधन के प्रस्ताव के अवसर पर अपने क्षेत्र की कुछ समस्यायें मा0 अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि विषय मैंने दूसरा ज्यादा ले लिया है समय कम है मैं आपका संरक्षण चाहूँगा, केवल दो मिनट लूंगा। नगर विकास मंत्रालय के माध्यम से एक लघु व्यापार केन्द्र की अवधारणा इस बार बजट में प्रस्तुत की गई है इसका मूल उद्देश्य है कि जो छोटा मेहनतकश और जो गरीब आदमी है वह अपने द्वारा निर्मित उत्पादों का ठीक प्रकार से विपणन कर सके। उसकी बिक्री कर सके, इसके लिए आपने इसमें व्यवस्था की है कि भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और उसको बाजार मंडी जैसा स्वरूप प्रदान किया जाएगा। हमारे शहर

फिरोजाबाद में जो पूरे भारत में ही अपितु पूरे विश्व में कांच और चूड़ी के उद्योग के नाते मशहूर है, लाखों की संख्या में,गरीब मजदूर, मातायें बहनें चूड़ी की कारीगरी करती हैं उनको सजाने का काम करती हैं। अब उनके अन्दर इतना साहस भी आया है कि उनकी जो कला है, उनकी जो कारीगरी है उसको किसी बड़े साहूकार या कारोबारी के हाथ कम मुनाफे पर न बेचें, सीधे बेचें। इसके लिए हमारे शहर में पिछले दस-पन्द्रह साल से, घर की बहनें, घर के बच्चे, घर के बुजुर्ग, बच्चे, बाल श्रम मैं जानता हूँ कि ठीक बात नहीं है। लेकिन पूरा परिवार लगता है अपने उत्पाद के विपणन के लिए, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो बरसात हो।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

(श्री राजबलि जैसल का नाम पुकारा गया।)

श्री मनीष आसीजा-

वह पांच-छः बजे सड़क के किनारे रेड़ी फुटपाथ पर लगाकर अपने माल को बेचने का काम करते हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि इन मेहनतकश और गरीब जो काम करने वाले लोग हैं जो ठेले पर और फुटपाथ पर अपना माल बेचते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री मनीष असीजा-

लघु व्यापार केन्द्र के माध्यम से फिरोजाबाद में एक बड़ा बाजार खुलवाया जाए जिससे कि यह लोग जो अपने हाथों से सामान बनाते हैं, उसके विपणन का काम हो सके और उनको ऐसी परिस्थितियां मिल सकें जहां यह धूप से, सर्दी से, बरसात से बच सकें और लाखों गरीब हाथों को अपनी मेहनत का जायज अधिकार मिल सके। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री राजबली जैसल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के इस बजट भाषण में पूरी तरह से जो वर्ष 2013-14 का उन्होंने लक्ष्य रखा है और कहा है कि हम तमाम ऐसी योजनाओं का लाभ प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस बजट में जो भी प्राविधान रखे गए हैं, सभी योजनाओं में कहीं न कहीं से असमंजस की स्थिति है, जैसे शहरी गरीबों को रिक्शा देने के लिए आपने योजना बनाई है। इसमें मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि शहरी लोग रिक्शा चालक नहीं होते हैं जो भी रिक्शा चालक होते हैं, वह ग्रामीण अंचलों से चल करके आते हैं और रिक्शा चलाकर अपना पेट पालन करते हैं। मात्र 5 परसेण्ट ऐसा रिक्शा चालक होंगे जो शहर के होंगे, बाकी 95 परसेण्ट लोग ग्रामीण अंचल से चलकर आते हैं और रिक्शा चलाते हैं। लेकिन आपने जो योजना का नाम रखा है, उसका नाम शहरी गरीब योजना रखा गया है। मान्यवर, जो गरीब ग्रामीण

अंचलों से शहरों में रिक्शा चलाने के लिए आते हैं, उनका निवास प्रमाण-पत्र शहर से नहीं मिल पायेगा, जिससे आपकी इस योजना का लगभग 95 प्रतिशत लाभ उन गरीबों को जिनके लिए आपने इस कल्याणकारी योजना को चलाया है, नहीं मिल पायेगा। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो असमंजस की स्थिति है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसमें ग्रामीण अंचल से चलकर जो लोग आए हैं या तो उनका शहर से निवास प्रमाण-पत्र जारी करने का आदेश दें या ग्रामीण अंचलों का इसमें समायोजन करने का कष्ट करेंगे।

मान्यवर, किसानों की ऋण-माफी की योजना के अन्तर्गत पिछले विगत वर्ष 2012-13 में 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी, लेकिन इस वर्ष इसे घटकर 750 करोड़ करने का काम किया है। इससे लगता है कि जो कर्ज-माफी की आपकी योजना है, उसमें कहीं न कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि पिछले वित्तीय वर्ष का किसानों का जो कर्ज था, वह माफ होना तो दूर कि किसका माफ हुआ, किसका नहीं लेकिन इसमें तमाम किसानों में असमंजस की स्थिति रही जिसके कारण उसने अपने कर्ज का एक भी रूपया चुकता करने का काम नहीं किया। मान्यवर, वहीं बाद में शासनादेश जारी होता है कि जिसने 10 परसेण्ट कर्जा दिया होगा, उसी का कर्जा माफ होगा। इसी तरह से इसमें जो भी योजनाएँ हैं, उसमें भी गोलमाल नजर आता है। डा0 राममनोहर लोहिया के नाम पर चूंकि आप लोग डा0 लोहिया को अपना आदर्श मानते हैं, हमें उसमें कोई विरोध करने की जरूरत नहीं है, अगर हम डा0 भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर कोई योजना चलाते थे तो जो भी योजना चलती थी, वह भरपूर चलती थी, अगर समग्र ग्राम विकास की योजना थी जो सी0सी0 रोड थी और पीडब्ल्यूडी से जो रोड बनती थी, उसमें कहीं बजट की कमी नहीं होती थी लेकिन आप लोगों ने जो लोहिया समग्र विकास योजना संचालित की है, उसमें मात्र 287 करोड़ रुपये की सी0सी0 रोड और के0सी0 ड्रेन बनाने की योजना प्रस्तावित की है। इसके लिए जो बजट का प्राविधान है, इसमें जो 2100 गांव हैं, अगर आप गुणा-भाग कर लेंगे तो 15 लाख से 1 लाख रुपया भी ऊपर नहीं जा रहा है। इसलिए हमें लगता है कि आप डा0 राम मनोहर लोहिया के आदर्श को सही रूप से मानना नहीं चाहते हैं बल्कि उनके नाम से राजनीति करना चाहते हैं। मान्यवर, अन्य योजना में सरकार ने बजट में सड़क के लिए मात्र 3160 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जिसके तहत चाहे चौड़ीकरण हो या नई सड़क बनाने की योजना हो, चाहे पुरानी सड़क की मरम्मत की योजना हो, चाहे राज्य सेक्टर की सड़क हो, यह 3160 करोड़ रुपये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कम है। अगर आप उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते थे तो इस मद में भी बजट में बढ़ोत्तरी करने का काम करना चाहिए था। जहां एक ओर आप इस प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते हैं, औद्योगिक नीति लागू करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि पिछले समय से कई जगहों पर कताई मिल बंद थीं जैसे बलिया में अभी चर्चा हुयी थी उसी तरह से हमारे मेजा में भी एक कताई मिल बंद पड़ी है। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार अगर वह मिल चालू न कर पायें तो जमुनापार करछना, मेजा और तरांव तहसील के अंतर्गत कहीं भी एफ0सी0आई0 का गोदाम नहीं है। क्योंकि हमारे यहां बड़े पैमाने पर गल्ला पैदा होता है अगर आप वहां पर एक भण्डार के रूप में स्थापित कर दें तो किसानों को लाभ होगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में इस प्रदेश में उद्योग नीति लागू करना चाहते हैं और यहां पर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो जो नोएडा, गाजियाबाद में हिंसक घटनायें हुयीं इस प्रकार के घटनाक्रम से निश्चित

रूप से जो हमारी चाहत है आपकी चाहत है वह चाहत पूरी होने वाली नहीं है। आपको कानून व्यवस्था में भी सुधार लाने की आवश्यकता है। मान्यवर, विद्युत के क्षेत्र में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि विद्युतीकरण के लिए सरकार की कोई भी योजना गांव में नहीं है। यहां तक कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम में भी जैसाकि जनपद के अधिकारियों ने बताया कि लोहिया ग्राम में कोई अलग से विद्युत का प्राविधान नहीं है। सिर्फ राजीव गांधी योजनान्तर्गत ही उसमें होगा और जहां पर राजीव गांधी योजनान्तर्गत आच्छादित नहीं हो पाएगा वहां का विद्युतीकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप वास्तव में लोहिया के चाहने वाले लोग हैं तो कम से कम उनके नाम पर जो योजना चला रहे हैं उसको तो ठीक ढंग से पूरा करने का काम करें। वैसे भी डा0 राम मनोहर लोहिया को मानने वाले छोटे लोहिया श्री जेनेश्वर मिश्रा जी थे उनके नाम पर आपने जो योजना शुरू किया था हमें लगता है कि वर्ष 2013-14 में उसको पूर्ण रूप से बंद कर देने का काम किया है। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि हैण्डपम्प के अधिष्ठापन को लेकर तमाम बातें उस तरफ से होती रहती हैं हमें लगता है कि इस बजट भाषण में उत्तर प्रदेश में एक हैण्डपम्प स्थापित करने का कहीं भी संभावित प्रस्ताव भी नहीं है एक रुपये भी बजट आपके द्वारा हैण्डपम्प पर नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, इसलिए मैं अंतिम बात कहते हुए कहना चाहूंगा कि सरकार अगर लाभकारी योजनाओं को लागू कराना चाहती है तो सही तरीके से उसे बजट का प्राविधान करना चाहिए था। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय श्री राम लाल अकेला जी उधर हैं। वह आरक्षण की बात पर इस सदन में भाषण देने का काम किये थे लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अब आरक्षण भी खत्म है और पद भी रिक्त नहीं है, हो सकता है कहीं कोई पद रिक्त हो जाय तो आप वहां पर स्थापित हो जायं, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यगण 03 बजकर 03 मिनट हो गये हैं। हमारे पास जो नाम हैं, उसमें अगर आप लोग 04 और 05 मिनट के बीच में बोलेंगे तब तो सब नाम आ जायेंगे और कृपया समय का अतिक्रमण न करें तो आप सभी लोगों के भाषण हो जायेंगे। साढ़े तीन बजे यह चर्चा समाप्त हो जायेगी, कृपा कर के इसमें सहयोग करें।

* डा0 अरूण कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बजट भाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बजट के बारे में विपक्ष के हमारे काफी सदस्य बोल चुके हैं, वह अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं, मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए, समय के अभाव की वजह से सिर्फ अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहूँगा। हमारे बरेली महानगर के अन्दर यातायात एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को हल करने के लिए थाना बारादरी से बरेली कालेज तक एक ओवर ब्रिज बनाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि एक ओवर ब्रिज यहां पर बनाया जाय ताकि यहां पर यातायात की समस्या हल हो सके। इज्जतनगर से बहड़ी राजमार्ग जिसका कार्य अब शुरू हो गया है, लेकिन काफी धीमी गति से है मैं चाहूंगा कि उसे तेज किया जाय और वह सड़क जल्दी ही फोर लेन में बने। सभी पात्र गरीब परिवारों को बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्ड बनाये जायं और बी0पी0एल0 के लिए न्यूनतम वार्षिक आमदनी मैं चाहता हूँ कि 50 हजार रुपये तक बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि इससे कम में काम नहीं चलता और खासतौर से गम्भीर बीमारियों वाले लोग जिनकी आमदनी 50 हजार रूपये वार्षिक होती है, उनके लिए इलाज कराना बहुत मुश्किल है, 50 हजार से कम आमदनी वाले लोगों को चाहे उनका बी0पी0एल0 कार्ड बना हो या न बना हो, सभी बीमारियों के इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड दिये जाने चाहिए और उसके साथ ही साथ लाइफ सेविंग ड्रग्स पर टैक्स फ्री होना चाहिए, दवाओं पर जो टैक्स हैं वह कम किये जाने चाहिए। जिला अस्पताल के अन्दर बल्कि बरेली जिले के अन्दर आपने जो एम्बुलेन्स दी उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन एम्बुलेन्स से खाली कोई फायदा नहीं होगा जब तक एम्बुलेन्स जहां मरीज को लेकर पहुंचे वहां पर इलाज की पूरी व्यवस्था न हो। हमारे बरेली के अन्दर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अन्दर कोई आईसीसीयू या ट्रामा सेण्टर नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वहां शीघ्र ही एक अच्छा और स्पेशलिस्ट/सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर की देखरेख में एक आईसीयू और ट्रामा सेण्टर बनाया जाय। वहां पर डायलिसिस मशीन पिछले छः साल से पड़ी हुई धूल फांक रही है और उसमें उतनी भी डायलिसिस नहीं हुई जितनी एक प्राइवेट में छः दिन के अन्दर होती हैं, उतनी वहां छः साल में नहीं हुई। मैं चाहता हूँ मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के माध्यम से जो शायद यहां पर नहीं हैं कि वह डायलिसिस की मशीन को जल्दी ही चलवायें। बरेली के अन्दर ला एण्ड आर्डर की स्थिति भी बहुत खराब है। साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति वहां अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए ताकि साम्प्रदायिक सद्भाव वहां बन सके। इसके साथ-साथ चोरी, डकैती, वाहन चोरी, चेन स्नेचिंग, अपहरण, हत्या, बलात्कार जैसे संगीन अपराध वहां होते रहते हैं, जिनकी रोक-थाम होनी चाहिए। पिछले दो महीने के अन्दर 50 चोरी की वारदातें ऐसीं हैं जिनका कोई खुलासा नहीं हुआ है, मैं सरकार का इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ताकि उनका भी जल्दी ही निराकरण हो सके। इसके साथ ही साथ मैं बहुत छोटी सी मांग रख रहा हूँ कि प्रत्येक विधायक की संस्तुति पर कम से कम 20 कि0मी0 की गलियां एवं नालियों का निर्माण कराये जाने का अधिकार हो ताकि गली एवं नालियां बन सकें। बढ़ती हुई अग्निकाण्ड की समस्या से निपटने के लिए बरेली शहर के उत्तरी भाग में एक और फायर ब्रिगेड बनाये जाने की भी आवश्यकता है। गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर एवं बढ़ती हुई पेय जल समस्या के निदान हेतु खासतौर से गर्मी के मौसम में जब पानी कम होता है, बीमारियां बहुत होती हैं, मैं चाहता हूँ कि कम से कम 250 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प दिये जायं। बेरोजगार युवकों को खाली बेरोजगारी भत्ते से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमकों उनको रोजगार दिलाने के लिए बरेली के अन्दर एक बड़ा उद्योग स्थापित करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सकें। जो उद्योग हैं, उनको जीरो परसेण्ट पर लोन दिलाया जाय।

श्री अधिष्ठाता -

कृपया समाप्त करें।

डा0 अरुण कुमार -

एक मिनट सर, उन्हें टैक्स में छूट दी जाये, जमीन खरीद पर छूट दी जाये। इसके साथ ही साथ, हमारे बहुत से स्लम एरियाज़ हैं, वहां पर सड़कें एवं नाली बनायी जायें। आई0बी0आर0आई0 रेल गेट के ऊपर एक फाटक बनाया जाये। अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बब्बन सिंह चौहान-

मा0 अधिष्ठाता जी, इससे पहले जो बजट बने थे, बड़े भारी भरकम बजट थे और इस बार जो बजट बनाया गया है, वह भी सुनने में बहुत भारी भरकम है। मान्यवर, बजट तो बनते हैं लेकिन गांव के गरीब और मजदूर लोगों के पास बजट का धन पहुंचे, उसका लाभ मिले। मान्यवर, यह काम कतई नहीं हो रहा है। इसके पहले जब बजट बनाया गया, उस बजट में आज भी काम अधूरे पड़े हुये हैं। मान्यवर, बीस से पचीस परसेण्ट काम भी नहीं हो पाये हैं। मान्यवर, इस सरकार के द्वारा मण्डल में मंत्री जी प्रभारी के रूप में बनाये गये हैं। वो पैसा, धन कहां, कैसे खर्च हो उसका उपाय तो कर देते हैं लेकिन वो पैसा सही जगह लग रहा है, उसका सही उपयोग हो रहा है, वह गरीब तक पहुंच रहा है, इसका कोई निदान नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि इसमें सरकार एक कमेटी गठित करे। हर जोन में कमेटी गठित करके उस पैसे की जांच करें कि विकास का पैसा सही लोगों तक पहुंचे। मान्यवर, इन तमाम समस्याओं के साथ-साथ हमारे चन्दौली जनपद में मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में किसानों से जुड़ी हुई बड़ी समस्या है जो मूसाखाड़ बाँध बनाया गया है जिसकी क्षमता 60 हजार हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने की थी और आज उससे केवल 18 हजार हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसे धनावल शाखा से पकड़ी माइनर को जोड़ दिया जाये तो चन्द्रप्रभा को पानी मिल जायेगा मैं समझता हूँ कि इससे हजारों हजार किसान लाभान्वित होंगे और हमारी विधान सभा क्षेत्र के आधे किसानों का संकट दूर हो जायेगा। मान्यवर, इसलिये जनहित को देखते हुये यह बहुत बड़ी बात है। मान्यवर, एक चन्द्रप्रभा नदी है, वहाँ एक सिकन्दरपुर गांव है, ग्राम सभा सिकन्दरपुर जहां पर अर्द्धनिर्मित पुल बना हुआ है, जिसके सारे पिलर बनाये जा चुके हैं। केवल उसमें स्लैप डालना है। मान्यवर, उससे 10 से 15 किलोमीटर तक घूम कर लोगों को रास्ता तय करना पड़ता है। अगर यह पुल बना दिया जाये तो मैं समझता हूँ कि इस पुल से बीसों गांवों को जोड़कर उन गांवों का दुख दूर किया जा सकता है। मान्यवर, इसी तरह से एक गड़ई नदी है जो हमारे विधान सभा क्षेत्र से बहती है उस गड़ई नदी पर ग्राम सभा सिकन्दरपुर, ग्राम सभा हासनपुर, परमानन्दपुर और ग्राम सभा गौरी विन्द पुरवा में होते हुये अगर दो जगह पुल का निर्माण हो जाये तो मैं समझता हूँ कि 25 गांव के लोग ऐसे हैं जो अपनी फसल को बोने के लिये नदी के इस पार से उस पार जाते हैं और उस पार से इस पार आते हैं। मान्यवर, अगर महज 25 मीटर, 30 मीटर लम्बाई की पुलिया बन जाये तो तमाम गांव वालों को बहुत बड़ी राहत मिल जायेगी। मान्यवर, इस बजट में इन कार्यों को पकड़ करके, उनका प्रावधान करके इन्हें सुनिश्चित करायें।

मान्यवर, हमारे यहां मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में बड़ा नगर पालिका क्षेत्र है और वहां पर तमाम गांवों के लोग हैं, किसान लोग हैं। वे अपनी खेत की फसल साग सब्जी लेकर आते हैं, अपनी दिनचर्या में साग सब्जी बेचते हैं, उनको अपनी फल-सब्जी को रोड की पटरी पर लगाना पड़ता है और आये दिन पुलिसिया ताण्डव के कारण उनको मारपीट कर भगाया जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर नगर पालिका क्षेत्र में कहीं स्थायी रूप से एक सब्जी मण्डी के लिये सरकार अगर जमीन उपलब्ध करा दे तो किसानों का बहुत बड़ा उपकार हो जायेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर गांवों में अन्तिम व्यक्ति तक सरकार की राहत नहीं पहुंचेगी तब तक ये समस्यायें बनी रहेंगी। मान्यवर, आज गांवों में बहुत बड़े पैमाने पर नाली और रास्ते की समस्यायें बनी हुयी हैं, उनको दूर करने के लिये गांवों पर बहुत ध्यान देनी पड़ेगी मान्यवर। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुगलसराय विधान सभा में ग्राम सभाओं में एक छेनिया ग्राम सभा है जिसमें कुछ दबंगों के द्वारा ग्राम सभा की जमीन को हथियाया गया और जब उस पर प्रधान ने आपत्ति दर्ज की तो उसको और उसके परिवार के लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। इस तरह की घटनायें आये दिन बढ़ती जा रही हैं जिसकी जांच होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो भी गांवों की विवादित जमीनें हैं, उन पर बहुत बड़े पैमाने पर ध्यान देकर उसकी समस्यायें दूर करने का काम सरकार करें मान्यवर। मान्यवर, आपने हमको समय दिया इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट पर कटौती के सम्बन्ध में, संशोधन के संबंध में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत-बहुत, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

यह बजट की सामान्य चर्चा पर है, कटौती नहीं है।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

सॉरी, कटौती गलत बोल गया, बजट की सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैंने बजट को जो भाषण है, इसको पूरा-का-पूरा पढ़ा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान सबका विरोधी बजट प्रतीत होता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि मैं किसान परिवार से जुड़ा हूँ इसलिए सबसे पहले में किसान की बात करना चाहूँगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर अभी पिछले दिनों धान की खरीद के काम चल रहे थे और किसानों को इतना शोषण हो रहा था कि एक दिन सिराथू तहसील के उपजिलाधिकारी और मैंने स्वयं संयुक्त रूप से छापा मारा अजूहा की मण्डी के अंदर और उस छापें में क्रय केन्द्र के प्रभारी की गड़बड़ियां पकड़ी गईं, जो किसान विरोधी हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए कि आज तक इस सरकार के द्वारा उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न इस बजट में भविष्य में ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की घोषणा की गयी है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे बगल में मध्य प्रदेश है, वहां की सरकार के द्वारा किसानों को धान और गेहूँ की खरीद पर 150/- रुपये बोनस दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बोनस तो दूर, किसानों के द्वारा पैदा की गई फसल को सही तरीके से खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार अपने को किसानों की सरकार बताती है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की चर्चा जब करता हूँ, चूंकि मैं उत्तर

प्रदेश का निवासी हूँ और मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति का जब विचार करता हूँ, तो ध्यान में आता है कि वहां का किसान ब्याजमुक्त ऋण पाता है, लेकिन यहां के किसानों को जो ऋण दिया जाता है उस पर 4 प्रतिशत का ब्याज लेने का काम किया जाता है। इसी कारण म0प्र0 की कृषि विकास दर 19% है और उ0प्र0 काकिसान बर्बाद है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं बाहर की चचाएं नहीं करूंगा क्योंकि बाहर की चर्चा करता हूँ तो मेरा विधान सभा क्षेत्र छूट जाता है। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र का निवासी हूँ, वह भी कृषि प्रधान क्षेत्र है और मेरा प्रदेश भी किसान प्रधान क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहरों का जाल तो बिछा हुआ है, लेकिन उन नहरों में पानी नहीं आता इस वर्ष पानी आया पानी इस बार, पहली बार आया, पानी भेजा गया, इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देते हैं, लेकिन पानी कब भेजा गया, जब अभी बरसात, बेमौसम की बड़ी तेजी के साथ बरसात हो रही थी, तब मेरे क्षेत्र की नहरों में पानी आया। इस बजट के अंदर ऐसी नहरें जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां पर पानी पहुंचाने की कोई भी व्यवस्था, सरकार के द्वारा नहीं प्रस्तुत की गई है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, चाहे वह पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे बरोजगार नौजवान का मामला हो, मैं जिस तरफ भी देखता हूँ, यह सरकार केवल भेदभाव करती है। घोषणाएं तो लंबी-लंबी करते हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो इनका काम कहीं दिखायी नहीं देता है। इस बजट के अंदर मैं देख रहा था सरकार की योजना ''हमारी बेटी, उनका कल'', लेकिन जब मैं दूसरे प्रदेशों में जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी शासित दूसरे प्रदेशों में जहां सरकार हैं, मैं वहां गया और वहां देखा वहां जो नारा दिया जाता है। यहां जो नारा दिया जाता है ''हमारी बेटी, उसका कल'', उसमें केवल अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् केवल मुस्लिम तुष्टिकरण दिखायी देता है, लेकिन जब हम जाते हैं, दूसरे पास-पड़ोस के प्रदेशों में, वहां नारा है,'' बेटी-बेटी, एक समान, हिन्दू हो या मुसलमान'', लेकिन यहां मुसलमान की बेटी है, तब तो उसको 30 हजार मिलेगा, लेकिन बाकी को नहीं। यानि पैदा होने से लेकर के मरने तक में, अभी अंतेयिष्ट स्थलों के बारे में भी, यहां मैं बजट में देख रहा था। हिन्दू समाज का कोई व्यक्ति मर जायेगा तो चाहे उसे किसी नदी के घाट पर जायेगा, श्मशान घाट पर जायेगा, उसकी बाउन्ड्री की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन कहां की व्यवस्था है, जहां पर कब्रिस्तान होगा। इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन यह भेदभाव करके.....

(सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध के आवाजें आईं।)

मैंने पढ़ा है, मा0 अधिष्ठाता महोदय मैंने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, कुछ संशोधन करना चाहते हैं। मान्यवर, भेद-भाव को खत्म कर दीजिए, भेद-भाव मुक्त सरकार चलाइये। किसानों के हित की बात करें और किसानों के हित वाली सरकार चलायें। आप मध्य प्रदेश, गुजरात जाकर और वहां की भाजपा सरकारों से प्रशिक्षण लेकर, फिर सरकार चलायें। तब जाकर आप किसानों के हितों का का काम कर सकेंगें। मान्यवर, मैं पहली बार विधायक चुनकर आया हूँ। सोचा था कि विधायक बनने पर जनता की अच्छी सेवा कर सकूंगा। लेकिन मान्यवर, मैं देख रहा हूँ कि यह सरकार गांव, गरीब, किसान विरोधी तो है ही यह सरकार विधायकों की भी विरोधी है जो पहली बार चुनकर आये हैं यह सरकार चाहती है कि वह दूसरी बार चुनकर न आयें। मान्यवर, जिला पंचायतों के सदस्यों से भी हमारी कम हैसियत करने का काम यह सरकार कर रही है। मान्यवर, चाहे हैण्ड पम्प वितरण की बात हो, हमारे प्रभारी मंत्री दल विशेष के लोगों को ही उसमें तरजीह दे रहे हैं। विपक्षी विधायकों का उसमें

कोई हिस्सा नहीं बन पा रहा है। क्षेत्र में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, तमाम तरह की समस्यायें क्षेत्र में विद्यमान हैं। मान्यवर, कानून-व्यवस्था की स्थिति पर आज सदन में चर्चा हो ही चुकी है। आप कह रहे हैं तो बैठ जाता हूँ।

*श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, आपने मुझे, इस बजट भाषण की सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह बजट पुस्तिका को मैंने पूरा पढ़ने का काम किया है। बजट के इस पुस्तिका में और इस सामान्य चर्चा में हमारे सत्ता पक्ष के साथी लगातार यह बात रखते आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहती है। मान्यवर, जो यह कह रहे हैं कि आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लायेंगें वह एक वर्ष में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। 15 मार्च को इस सरकार को गठित हुए एक वर्ष हों जायेंगें। मान्यवर, एक साल पूरा होने जा रहा है और इस एक साल में आज तक कहीं पर पूरे प्रदेश में जमीन पर कोई कार्य नजर नहीं आ रहा है। मान्यवर इस बजट भाषण में रिक्शा-चालकों की बात कहीं गयी है। यह सरकार उन्हें बैटरी चालित रिक्शा उपलब्ध करायेगी यह इनकी योजना है। इसका हमारे नेता जी ने भी स्वागत

(इस समय 3 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

किया है। मान्यवर रिक्शा वाले गांव से चलकर शहरों में आते हैं इन बड़े-बड़े महानगरों में यह कहां पर ठहरेंगें। इसकी कोई व्यवस्था बजट में नहीं है। मान्यवर, डॉ0 राम मनोहर लोहिया जी ने लोक सभा में सर्वप्रथम रिक्शा-चालकों की बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि रिक्शा वाले गांवों से आते हैं उनका शहरा में कोई रिश्तेदार होता और न ही कोई जान-पहचान होती है। ऐसी स्थिति में वह शहरों में कहां पर ठहरेंगे। इसलिए इस बजट में यह सरकार संशोधन करने का काम करे और यह व्यवस्था करे कि जिला-मुख्यालयों पर और महानगरों में रिक्शा-चालकों की सुविधा के लिए रिक्शा शेड बनाये जायेंगें। जहां पर वह अपने बैटरी युक्त रिक्शा खड़ी कर सकेंगें। तभी उनके रिक्शा सुरक्षित रह सकेगें, वरना वह शायद खराब हो जायेंगें। मान्यवर, आज आधी आबादी महिलाओं की है, आज पूरे विश्व में और सदन में महिलाओं के कल्याण के लिए चर्चायें हो रही हैं लेकिन उस बजट में कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया गया जिससे लगे कि हमारे गांव गरीब के घर में रहने वाली महिलाओं के जीवन में कोई आगे बढ़ोत्तरी होगी, कोई विकास होगा।

बाल विकास पुष्टाहार यह एक ऐसी योजना सरकार के द्वारा चलाई गयी जिससे गांव में रहने वाले वह गरीब परिवार के बच्चे, उनको सही पुष्टाहार मिले और वह स्वस्थ्य बने लेकिन मान्यवर, आपने सुना होगा कि आज हमारे देश में पैदा होने वाला हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। जब कि पूरे विश्व में जब 5 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से एक हिन्दोस्तान में पैदा हो रहा है और आज हिन्दोस्तान में पैदा होने वाला हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है इससे यह प्रतीत होता है कि यह बाल विकास पुष्टाहार की योजनाएं इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है कागजों पर हकीकत कुछ और है। समाज कल्याण विभाग का भी बजट आपने भारी-भरकम रखा है। कक्षा एक से लगाकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को जो वजीफा दिया जाता है वह वजीफा का पैसा ग्राम प्रधान के खाते में जाता है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

2011 में माननीय मंत्री जी बैठे हैं शाहजहंपुर में हमारी विधान सभा के ब्लाक मिर्जापुर में वजीफे का एक बड़ा भारी-भरकम घोटाला हुआ, मैने उसकी जांच कराई। जिलाधिकारी ने उसकी जांच कराने के बाद मान्यवर, कई शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 2012 आ गया, आचार संहिता लगी, चुनाव हो गया और एक वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया है वह एफआईआर ठंडे बस्ते में डाल दी गयी । आप यहां से प्राविधान करते हैं कि वजीफा सही जगह पर जाय। घटना ऐसी थी कि मिर्जापुर ब्लाक की पूरी आबादी एक लाख पच्चीस हजार के आसपास है और वजीफा के लिए जो वहां से मांग आई थी जो फीडिंग थी वह लगभग एक लाख 10 हजार बच्चों के वजीफा की मांग की गयी थी क्लास एक से लगाकर आठवें तक। तो जो यह जनकल्याणकारी योजनायें हैं जमीनी हकीकत इनकी कुछ और है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लें। आप बात करते हैं कि हम गरीब के चेहरे पर मुस्कान लायेंगे, गरीब के चेहरे पर मुस्कान कैसे आयेगी। अभी केन्द्र में बैठी सरकार ने सिलेण्डर पर सब्सिडी खत्म कर दी कहा हम 6 देंगे, 9 देंगे, अगर आप चाहते थे कि वाकई में गरीब के चेहरे पर मुस्कान आये तो जो 3 बचे हुए सिलेण्डर हैं उनकी सब्सिडी इस सरकार को देना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश के निवासियों को माह में एक सिलेण्डर सब्सिडी वाला मिल सके। लेकिन मान्यवर, उसका कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया। मान्यवर, राजस्व विभाग हमारे यहां का सबसे बड़ा विभाग है। राजस्व विभाग और कानून व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज तहसीलों में स्थिति यह है कि जो पहुंच वाले हैं ताकतवर हैं वह तो अपना काम मनमाने तरीके से करवा लेते हैं लेकिन स्थिति यह है कि हमारे यहां के तमाम ऐसे गरीब लोग जिनके मां बाप नहीं रह गये सालों से चक्कर लगा रहे हैं उनका दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था यहां बख्शी का तालाब की मीटिंग में कि अगर लेखपाल सही हो जाय तो कानून व्यवस्था सही हो जाय लेकिन कैसे सही होगी इस पर कोई काम करने की बात नहीं हो रही है, इसमें कोई आगे बढ़ने की बात नहीं हो रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं, माननीय मंत्री जी उसके लिए कह रहे थे कि जो प्राइमरी के विद्यालयों में अपने बच्चों को लोग नहीं पढ़ा रहे हैं वह शायद अच्छे लोग नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप यहां से निकलिये राजधानी से आ जाइये हमारे शाहजहांपुर में और देखिये कि क्या स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां एक ब्लाक कलान है जहां पर नौसेरा मड़इया गांव है वहॉ पर एक महिला टीचर जिसको दो बार सस्पेन्ड किया गया और बार-बार उसको सवेतन बहाल कर दिया जाता है। कोई उसके वेतन में कटौती नहीं कोई उसकी सर्विसबुक में बैड इन्टरी नहीं और वह महिला स्वयं चाहती है कि मैं सस्पेण्ड हो जाऊं और 6 माह 7 माह बाद बहाल हो जाऊं। यह कार्यपद्धति है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, एक मिनट का समय लूँगा और अंत में आपसे यह अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा जो जलालाबाद क्षेत्र है, जलालाबाद क्षेत्र से तीन नदियां निकलती हैं, रामगंगा, बहगुल और गंगा नदी निकलती है। हमारे यहां हर वर्ष बाढ़ से लगभग दो तिहाई क्षेत्र प्रभावित होता है, मैनें पहले भी यहॉ पर यह मांग रखी है लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हुआ । मैं आपके माध्यम से सरकार का

ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि हमारे इस जलालाबाद क्षेत्र को, जो शाहजहांपुर की तहसील है, वहां पर तीनों नदियों की बाढ़ से जो क्षेत्र प्रभावित होता है, उसकी रोकथाम करने के लिये कोई व्यवस्था इस बजट में की जाये, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने इस बजट की चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत संक्षेप में इस बजट के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। क्योंकि दूसरा बजट यह माननीय मुख्य मंत्री का था। पहला बजट आया, कोई प्रतिक्रिया हमारी ओर से नहीं आई, हम उम्मीद यह करते थे कि नई सरकार बनी है, समय लगता है बात को समझने में, प्रस्तुत करने में। लेकिन दूसरा बजट आया, केवल मेरे मन में यहां का नागरिक होने के नाते और यहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रश्न यह आता है कि सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। कोई एक उपलब्धि हम बता दें उत्तर प्रदेश की, जिस पर हम गर्व कर सकें। जैसे अभी एक पत्रिका ने सर्वे पूरे भारतवर्ष का कराया, ऐसे शहरों का, जो रहने के लिये, सुरक्षा की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से अनेकों बॉतें उसमें रखी गयीं, नं0 एक पर आता हो। मान्यवर, तीस नगरों की सूची दी गयी उसमें उन्नीसवें नं0 पर नोएडा है। यह स्थिति हमारी है और पहले नं0 पर कौन है। चेन्नई शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के स्तर में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में 2.03 महिलाओं के प्रति जो अपराध हुये हैं उसका औसत 2.03 आता है। हमारी स्थिति क्या है, आखिर यह हमारा सुशासन कहां गया, क्यों हम दूसरे नगरों की अपेक्षा खड़े नहीं हो पाते, शिक्षा के क्षेत्र में मान्यवर, अनेकों नगर आगे बढ़े, उनके नाम आ रहे हैं। आज आई0टी0 के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगभग 53 हजार करोड़ का निर्यात है पूरे देश का और उसमें से 90 प्रतिशत केवल हैदराबाद का है। एक मुख्य मंत्री वहां बने और उन्होनें विकसित करना चाहा और उन्होंने अपने एक कार्यकाल में हैदराबाद को इन ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया कि विश्व में उनका नाम हो गया। हमने क्यों नहीं प्रयास किया इस बारे में । क्यों हम नहीं आगे बढ़े। हमारा लखनऊ भी आगे बढ़े।

मान्यवर, प्रयास था नोएडा आगे बढ़ता जा रहा था, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नोएडा की पहचान होती जा रही थी लेकिन नोएडा का हमने क्या किया। 10 साल के कार्यकाल में हमने नोएडा को कहां पहुंचाया। केवल हमने नोएडा को इतना कर दिया कि वहां की जमीन जो कि दिल्ली के पास है, लोग वहां बसना चाहते हैं, कैसे माफियाओं से भारी पैसा कमा करके उनको जमीन दे सके, इसके अलावा नोएडा में क्या रह गया । अगर आज आप चलें और भ्रमण करें। जो हम औद्योगिक नगरी विकसित करना चाहते थे, विशेष रूप से आई0टी0 के क्षेत्र में उसको विकसित करना चाहते थे, लेकिन वहां पर बड़े-बड़े महल बने हुये हैं, वेव्स बनी हुयी हैं,, वेव्स लिखा हुआ है उन पर। वेव्स किसकी हैं, यह आप जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे माफियाओं को जब हमने सारा नोएडा सौंप दिया तो कहां जायें । हमारी राजधानी लखनऊ है, कभी लखनऊ की प्रसिद्वि ऐसी थी कि कल्चर के नाम में, कला के नाम में, साहित्य के नाम में लखनऊ का नाम था, आज क्यों नहीं है। उद्योग के मामले में यहां का चिकन पूरी दुनिया में जाना जाता था, पूरे देश में जाना जाता था, आज हम क्यों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं खड़े हो पा रहे हैं । ऐसा नहीं है कि हमारे यहां न रहा हो, मान्यवर, पड़ोस में कानपुर, जब हम पढ़ते थे, तब उसे मैनेचेस्टर आफ इंडिया कहा जाता था, वहां पर सूत के इतने कारखाने थे, चमड़े का काम इतना था, कलकत्ता क्यों चला गया वह । मान्यवर, आगरे में जूते का इतना काम होता था, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका निर्यात होता था, आज आगरा कहां रह गया, आखिर क्यों गये, यह हमारी कला, यह हमारे उद्योग समाप्त क्यों हुये। केवल मान्यवर, इसका कारण यह था। हमारी प्राथमिकता बदल गई, हमने सोचा कि जितना सीमित कार्यकाल मिला है, उस सीमित कार्यकाल में कैसे ज्यादा से ज्यादा इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का हम शोषण कर सकें, अपने महल बना सकें, अपने होटल बना सकें, अपना मकान बना सकें, इसके अलावा हमने कुछ सोचा नहीं। मान्यवर, हमारी दूसरी प्राथमिकता क्या शिक्षा की नहीं होनी चाहिए थी, आज पूरे देश में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको मैं श्रेणीबद्ध करके लाया हूँ, उत्तर प्रदेश की एक भी शिक्षण संस्था उनके मुकाबले में खड़ी नहीं होती है।

मान्यवर, छोटा सा नगर है वड़ोदरा, बढ़ता जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, आकर्षित कर रहा है पूरे देश के छात्रों को, संस्थाएं हमारे यहां भी बढ़ी हैं शिक्षा की, कल मैं मेरठ में गया था, लगभग 200 संस्थाएं वहां पर हैं जो एम0बी0ए0 की शिक्षा दे रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन मान्यवर, उनका स्तर कहां है, मुकाबला कहां है, बाहर का कोई छात्र आता है क्या, कोई नहीं आता। यह सोच होनी चाहिए कि जो बजट हम लाये हैं इस बजट के माध्यम से हम प्रदेश को क्या दे रहे हैं। मान्यवर, यहां पिछले बजट में चर्चा हो रही थी कृषि का बजट था और माननीय कृषि मंत्री जी ने घोषणा की, यदि वह इस समय होते तो मैं मांग करता कि यदि वह सदन में कोई घोषणा करें तो पूरी गम्भीरता के साथ किया करें तो उसका कोई मकसद होता है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। खूब छपा अखबारों में, अभी भी टाइम्स ऑफ इंडिया में मुफ्त बिजली देने की बात निकल रही थी। कहां गई मुफ्त बिजली, कहीं जिक्र है, क्यों कहा था किसी ने मजबूर किया था क्या कहने के लिए, सोच समझकर कहना चाहिए था। मान्यवर, मेरे पास सूची है उन राज्यों की जिन राज्यों में किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु यह सारे प्रदेश ऐसे हैं जहॉ मुफ्त बिजली दी जा रही है। आपके पास में 9 लाख कृषक ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड फार्मर हैं जिनके पास बिजली के कनेक्शन हैं और राजस्व उनसे कितना आता है कुल 6 सौ करोड़ रुपए। मान्यवर, अगर 6 सौ करोड़ का केवल राजस्व है और लाखों करोड़ रुपए का आपका बजट है तो आप तो वाहवाही लूट सकते हैं किसानों की। क्योंकि मान्यवर, इसमें राजस्व का इतना महत्व नहीं है, इस बिजली के बिल के आधार पर किसानों का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, वह रुक जाता। आज एक-एक लाइन पकड़ करके छोटे अधिकारी से ले करके जिले के बड़े अधिकारी तक जिस प्रकार से उन पर जुर्माना कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज कर रहे हैं, वह असहनीय बात है, उनको मुक्ति मिल जाती। मान्यवर, कुछ मिल भी नहीं रहा है, एक जो शब्द है गुनाह बेलज्जत कि गुनाह भी कर रहे हैं और उसमें आनन्द भी नहीं आ रहा है तो मान्यवर, कम से कम उस क्षेत्र को मुक्त कर देते तो अच्छा रहता। मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में एक-दो बातें और कहना चाहूँगा। उद्योग के के बारे में मैं कहना चाहूँगा, उद्योग के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी जब भी सदन में बोलते हैं तो कभी वह आगरा समिट की बात करते हैं क्योंकि आगरा में समिट ही होती है और तो कुछ होता नहीं

है, पहले मुशर्रफ साहब की समिट होती थी अब इनकी समिट होती है। समिट में यह हो गया कि एम्बेसडर आये, हाई कमिश्नर आये, इतने उद्योगपति आये।

श्री अम्बिका चौधरी -

माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी की भी हुई थी।

श्री हुकुम सिंह-

मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपने आगरा समिट के बारे में कहा कि पहले मुशर्रफ साहब की होती थी, कौन-कौन सम्मिलित थे उसी के बारे में बता रहे थे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आगरा मशहूर हो गया समिट के लिए, कोई और जगह चुन लेते। मान्यवर, आगरा समिट के लिए बहुत मशहूर हो गया और उसकी उपलब्धि के बारे में कई बार सदन में भी हुआ, बाहर भी हुआ कि समिट चाहे न भी होती लेकिन आगरा का जो मरता हुआ उद्योग था उसको सम्भाल लेते। आगरा मान्यवर, पूरे विश्व में जूते एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे मशहूर था और बड़े-बड़े उद्योगपति, पूंजीपति वहां पर इकठ्ठे हो गये थे। क्या आज भी वहां कोई काम है, मान्यवर, आज वहां कोई काम नहीं है यहां तक कि चप्पल बनाने का काम भी दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट हो गया वह भी अब वहॉ नहीं है। समिट करते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, समिट तो आप कर लोगे इसके तो आप माहिर हैं, लेकिन कुछ करके दिखाओ ना तभी तो कुछ होगा, केवल समिट करने से क्या हो जायेगा। मान्यवर, थोड़ा सा मैं कृषि के क्षेत्र के बारे में कहना चाहूँगा। मान्यवर, एक क्षेत्र ऐसा है अगर आप ध्यान दें क्योंकि उद्योग तो कोई यहां आने वाला है नहीं, समिट हो या कुछ भी हो, कोई उद्योग यहां आने वाला नहीं है जाने वाले तैयार बैठे हैं। एक नगरी थी आपकी आपने उसको ऐसा कर दिया कि उद्योगपति कोई आयेगा नहीं। अभी केवल कृषि का क्षेत्र ऐसा बचा है अगर यह सरकार गंभीर हो तो इससे राजस्व भी पैदा हो सकता है, हमारे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, हमारे आम नागरिकों को व्यवसाय भी मिल सकता है लेकिन हम उसकी भी उपेक्षा करते जा रहे हैं।

मान्यवर, सब माननीय सदस्यगण साक्षी होंगे आज किसान विमुख हो करके खेती से दूर जा रहा है। यह चिंता की बात है। उसके साथ ही अगर दूध का काम भी जोड़ देते, छोटी-छोटी बातें शायद आपको महत्वपूर्ण न लगती हो लेकिन अगर दूध का काम जोड़ देते, यह उत्तर प्रदेश एक लाख लीटर दूध प्रतिदिन कलकत्ता भेजता था, पांच लाख लीटर दूध प्रतिदिन दिल्ली भेजता था। आज दिल्ली का दूध हमारे मेरठ डेयरी में केवल सफाई के लिए आता है, पैकिंग के लिए आता है। उत्तर प्रदेश का दूध वहॉ नहीं जाता है। दिल्ली से आता है और वह पैकिंग हो करके तब वहां वापस जाता है। यह हालत क्यों हुई ? दूध की यहां कमी नहीं है। क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था दूध की हमने कर ली है। अब दूध के लिए हमें गाय, भैंस की जरूरत नहीं है, यूरिया पावडर और दूसरे केमिकल्स के कम्पोनेंट से दूध तैयार करके हम अपने बच्चों का स्वास्थ्य बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। हम गम्भीरता से इस बात को सोचें कि कैसे इसको संभाले। यह बिन्दु आपको गौड लगती है, छोटी लगती है लेकिन जरा

आप विचार कीजिए क्योंकि आप इस स्थिति को संभाल सकते हैं। मान्यवर, औद्योगिक विकास के बारे में कहना चाहता हूँ कि जब तक यहां पर सुरक्षा का भाव उद्योगपति के मन में नहीं होगा तब यहां पर कोई उद्योगपति आने वाला नहीं है और सुरक्षा का भाव कैसे हो, इसका अंदाजा आज चर्चा में आपने देख लिया है। प्रतिदिन ऐसी घटनायें कहीं न कहीं हो रही हैं। आपने कई रिकार्ड कायम किये हैं, पहले भी आपकी सरकार आयी है, तब भी लखनऊ से एक उद्योगपति का अपहरण हुआ, आज तक याद है। सब उद्योगपति कहते हैं कि साहब कहां चले जांए, मर जांए। खत्म हो जायेंगे, बच्चे उठ जायेंगे या हम उठ जायेंगें हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं रहेगा, हम क्या करें। तो मान्यवर, यहां कोई आने वाला है नहीं। तीन-चार क्षेत्रों में आप आगे बढ़ जाओ, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करो, कोई ज्यादा पैसे के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है केवल मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मान्यवर, आज यहां पर ऐसी संस्थायें हैं जिनमें अध्यापक नहीं हैं, डिग्री बांट रहे हैं आपको सरकारी कॉलेज खोलने के बजाए, आप ख़ुद मान्यवर, इस बात के साक्षी होंगे कि डिग्री कॉलेज जो गवर्न्मेण्ट के हैं उनमें अध्यापक नहीं हैं। कहीं कहीं तो प्रिन्सिपल घेरे बैठा है, कहीं एक अध्यापक घेरे बैठा है, अध्यापक नहीं हैं, जब आप कुछ कर नहीं सकते, व्यवस्था कर नहीं सकते तो एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या थी? छोटे-मोटे प्राइमरी स्कूल खाली पड़े हैं और सर्व शिक्षा अभियान, फलां अभियान, सवाल करेंगें तो कह देंगे कि इसकी सूचना मिल नहीं रही है, कहीं से प्राप्त नहीं हो रही है। इसके ऊपर जान लेना चाहिए छोटी-छोटी चीजें हैं। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह कर देना चाहता हूँ माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हुए हैं जितना राजस्व विभाग है तहसील स्तर का उसकी जवाबदेही तय हो सकती है क्या ? जिन बच्चों को आप सामाजिक क्षेत्र में कुछ अनुदान देना चाहते हैं उन बच्चों की स्थिति कैसी है इसका कुछ अनुमान है क्या आपको ? मैंने पिछले बजट में बताने का प्रयास किया था और फिर प्रयास कर रहा हूँ। बड़ी योजनायें तो बाद में आयेंगी जो छोटे-छोटे आपके कार्यक्रम हैं उसी में पारदर्शिता ले आईये। किसी को खतौनी की नकल की जरूरत हो, वह मिल जायेगी क्या, नहीं मिलेगी। ऐवजी में रखे हुए हैं लोग। किसी को जाति प्रमाण-पत्र लेना हो, मिल जायेगा क्या ? नहीं मिलेगा ?

मान्यवर, बैंकों पर हमें विश्वास होता था कि बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित है, किसी किसान को, किसी छात्र को अगर शिक्षा ऋण लेना हो, किसान को क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़वानी हो, मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं अगर उसमें क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ जाए तो मैं अपनी बात को वापस ले लूँगा। वहाँ पर एजेण्ट लगे हुए हैं और एजेण्ट से हिस्सा बांट नहीं कर लेंगें तब तक कोई काम आपका होने वाला नहीं है। क्या यह सम्भव नहीं है कि आप 15 दिन का अभियान चला दें और 400 आदमियों की ड्यूटी लगा दें जो ईमानदार हों, वह जा करके बैंक पर देखें कि दृश्य क्या है ? उनकी फोटोग्राफी करें बेईमानों की और दस-बीस मैनेजरों को जेल भेजें, सब ठीक हो जायेगा। क्यों लूटने का लाइसेंस उनको हमने दे दिया, क्योंकि हम जायेंगे नहीं, उनको चेक करेंगे नहीं। कभी उनको चेक करेंगे नहीं खुली छूट हो रही है। मिलावट के ऊपर आपने क्या किया।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है मान्यवर, धन्यवाद ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

सदन को एक सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 04 मार्च, 2013 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 05 मार्च, 2013 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 05 मार्च, 2013 को भी आय-व्ययक पर साधारण चर्चा हो।

2-दिनांक 05 मार्च, 2013 को सदन की कार्य-सूची में प्रश्न सम्मिलित किये जाएं तथा उत्तरित माने जायं।

3-दिनांक 05 मार्च, 2013 को वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा पूर्वाह्न 11.00 बजे से प्रारम्भ हो और चर्चा की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् शून्य प्रहर की सूचनायें ली जायं।

4-दिनांक 05 मार्च, 2013 से 22 मार्च, 2013 तक का शेष कार्यक्रम यथावत रखा जाय।

माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

समाज कल्याण, सहायता एवं पुनर्वास तथा सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो श्री राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

जनपद वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

अब असरकारी दिवस है इसलिए यहां जो संकल्प हैं वह लिए जाएंगे। चर्चा कल फिर 11.00 बजे से होगी।

(श्री श्याम देव राय चौधरी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री श्याम देव राय चौधरी जी उस दिन भी नहीं थे ।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी उस समय सदन अव्यवस्थित हो गया था इसलिए शायद चौधरी जी नहीं है आप चर्चा को आगे बढ़ा दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आज तो सदन व्यवस्थित रहा है। आज कोई दिक्कत नहीं रही है। ठीक है आप उनको बुलवा लीजिए उनका नाम पुनः पुकार लेंगे।

प्रदेश के महानगरों की उपनगरीय क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को भी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा

श्री अध्यक्ष-

श्री सतीश महाना जी हमसे कहकर गए हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

इस पर चर्चा जारी करा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। चर्चा जारी रहेगी।

(ठाकुर सूरज पाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

सूरज पाल सिंह को दिखवा लीजिए। अगर नहीं रहेंगे तो इसका संकल्प कैंसिल हो जाएगा।

जनपद-आगरा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सिंचाई विभाग द्वारा गंगा नदी का जल बल्देव रजबहा एवं पचावर ड्रेन के माध्यम से गोकुल बैराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़े जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

डा0 धर्मपाल सिंह अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं। ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-आगरा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सिंचाई विभाग द्वारा गंगा नदी का जल बल्देव रजबहा एवं पचावर ड्रेन के माध्यम से गोकुल बैराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जाय।''

माननीय अध्यक्ष जी आगरा शहर की पेयजल जरूरत को पूरा करने के लिए आगरा में 1828 में एक जलकर जल संस्थान की स्थापना हुई उसकी 224 लीटर क्षमता थी। जब आगरा का विस्तार हुआ तो एक दूसरे जल संस्थान की जरूरत हुई तो 1997 में एक दूसरे जल संस्थान की स्थापना सिकन्दरा में की गई। अध्यक्ष जी आगरा में कच्चे जल का श्रोत यमुना नदी है। दोनों ही जलकर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। जो जलकर जंजीवनी मंडी पर है उससे करीब 144 एम0एल0डी0 पानी शोधित होता है और सिकन्दरा से 90 एम0एल0डी0 पानी शोधित होता है। अध्यक्ष जी यमुना नदी करीब पांच हजार साल पुरानी है इस नदी का ऋग्वेद में भी उल्लेख है। यमुना नदी के बारे में कहा जाता था 1909 तक इसका पानी इतना स्वच्छ होता था कि इसे क्लियर ब्लू कहा जाता था। कभी इसी यमुना नदी के किनारे पाण्डवों ने अपने अज्ञातवास को काटा था। यमुना नदी को कभी मोक्षदायिनी और जीवन दायिनी भी कहा जाता था। आज उस यमुना नदी की स्थिति बहुत खराब है। आपने आज अखवारों में देखा होगा कि लाखों लोग दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं मथुरा आगरा

से वह लोग यमुना नदी की स्वच्छता की मांग कर रहे हैं और लाखों लोगों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। अगर हम यह मानें तो आगरा की जनता के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। आगरा की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो ताज नगरी में दोनों जल कल हैं दिल्ली के उद्योग कचरे को आजकल साफ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम सिंचाई विभाग के आंकड़ों की बात करें तो हथिनीकुंड में एक बांध बना हुआ है जहां यमुना का जो भी पानी है वह हथिनीकुंड में कैद हो जाता है। आज जो लाखों लोग दिल्ली के लिये कूच कर रहे हैं उनकी ही मांग है कि हथिनीकुंड से यमुना को मुक्त कराया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, वहां जब मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई तो उसमें तय हुआ कि 180 क्यूसिक पानी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिये दिया जायेगा और उसमें 80 क्यूसिक पानी उत्तर प्रदेश के हिस्से में आया। माननीय अध्यक्ष जी, जब वहां से पानी छूटता है तो ओखला बैराज में आकर फिर फंस जाता है। वहां भी चार प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बैठक हुई तो उसमें भी तय हुआ कि 110 क्यूसिक पानी आगरा की पेयजल की समस्या के लिये यमुना में छोड़ा जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के भी संज्ञान में यह है, उत्तर प्रदेश सरकार के भी संज्ञान में है कि ओखला से यमुना नदी का डिस्चार्ज शून्य है। वहां से अध्यक्ष जी एक बूंद पानी कभी भी यमुना में नहीं छूटता। वहां यमुना का अस्तित्व खत्म हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, वहां दिल्ली के शारदा डैम से दिल्ली नगर का सारा सीवर यमुना में सीधा पड़ रहा है। साथ ही गूची डैम हरियाणा की है वह औद्योगिक कचरे से यमुना को दूषित कर रही है। मेरे गाजियाबाद समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक कचरा सीवर के माध्यम से यमुना नदी में डाला जा रहा है और माननीय अध्यक्ष जी सैकड़ों नाले बिना ट्रीट किये हुए सीधे यमुना में पड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यमुना का जल इतना जहरीला हो गया है कि जो दोनों जल कल पानी को शुद्ध करते हैं। पानी शोधित होने के बाद भी उस पानी में इतनी बदबू होती है कि लोग उसे पीने की बात तो छोड़िए आचमन करने तक में कठिनाई हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जब आगरा की जनता उस पानी को इस्तेमाल करती है, जब वह पेट में जाता है गन्दा पानी तो कई तरह की बहुत गम्भीर बामारियां हो जाती हैं। आगरा की जनता इस समय इस समस्या से त्रस्त है। माननीय अध्यक्ष जी, 21 मई, 1993 में आगरा में दूषित पानी की वजह से नाला वुडाल सर्हद पर 21 लोगों की मौत हो गई थी और उसमें बच्चे भी शामिल थे। आज तक माननीय अध्यक्ष जी उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष जी, आगरा में जो पीने के पानी की समस्या थी, वह सौल्व नहीं हो पाई। माननीय अध्यक्ष जी, यमुना की दशा आज आगरा में विचलित करने वाली है। आगरा शहर का रहने वाला हर नागरिक आगरा की दशा को देखकर बहुत ही व्यथित है। माननीय अध्यक्ष जी, इन सब स्थितियों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट संख्या- सी-426/92 डी0के0 जोशी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार अदर्स आगरा की पेयजल व्यवस्था के सुधार के सम्बन्ध में थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से एक समिति का गठन आगरा की पेयजल समस्या को हल करने के लिये हुआ। उस समिति में पूर्व प्रमुख सचिव सिंचाई की अध्यक्षता में सचिव नगर विकास, प्रबन्धक निदेशक जल निगम, महाप्रबन्धक जल संस्थान एवं अन्य अधिकारी आगरा इसके सदस्य हुए। उस समय इस समिति की रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय में रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20-8-1996 में

सरकार को यह निर्देश दिया कि आगरा के नागरिकों के पेयजल की समस्या के निदान हेतु सर्वोच्च न्यायालय को यह संदेह नहीं है कि यह समिति उन के इस पानी की समस्या को माननीय अध्यक्ष जी हल करेगी और उस समिति ने 80 क्यूसिक गंगाजल यमुना में छोड़ने का निर्णय लिया। वो 80 क्यूसिक गंगाजल यमुना में छोड़ा जा रहा है वृन्दावन के पास। हरनाल इस्कैप द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, उस समय वहां गोकुल बैराज नहीं बना था। उसके बाद जब गोकुल बैराज बन गया, गोकुल बैराज की स्थापना हो गई और उस गोकुल बैराज में करीब एक लाख, डेढ़ लाख क्यूसिक गंदा पानी जो दिल्ली के शारदा ड्रेन से आता है, गूची ड्रेन से आता है और जो हिन्डन नदी द्वारा जो गंदा कचरा आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह गोकुल बैराज में जमा हो जाता है। इस 150 क्यूसिक में यदि 80 या 100 क्यूसिक गंगाजल छोड़ा जाता है तो भी उस पानी की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से आपके द्वारा यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि वही गंगाजल को आपने 150 से बढ़ाकर 250 क्यूसिक कर दिया तो वह गंगाजल वहां से..

श्री अध्यक्ष-

अब आगे भी इस पर चर्चा होगी। आपने प्रस्तुत कर दिया काफी है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

ठीक है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

इस पर आपके समर्थक या आगरा का कोई बोलने वाला हो तो वह इस पर बोल सकता है। नहीं है तो चलिये।

शासन की 'हमारी बेटी, उसका कल' योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) के परिवार की प्रत्येक बालिका को रु0 30,000/- की धनराशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा

श्री अध्यक्ष-

यह सतीश महाना जी का, क्या आपको कहा है प्रस्तुत करने के लिये। भई हमें तो लिखित मिला नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जी। जैसा आप कहें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप रख दीजिये। प्रस्तुत कर दीजिये। हमें लिखित नहीं मिला है।

हम भी जब वहां बैठते थे कोई मा0 सदस्य नहीं होते थे तो मैं ही प्रस्तुत करता था।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि-'' इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि शासन की 'हमारी बेटी, उसका कल' योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) के परिवार की प्रत्येक बालिका को रु0 30,000/- की धनराशि प्रदान की जाय।''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, प्रस्तुत हो गया है। चर्चा जारी रहेगी।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में खारे पानी की समस्या के निराकरण हेतु पेयजल की उपलब्धता के लिये पाइप वाटर सप्लाई योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में ठा0 सूरज पाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प

डा0 धर्मपाल सिंह-

अगर आपकी अनुमति हो तो ठा0 सूरजपाल सिंह जी का मैं प्रस्तुत कर दूं।

श्री अध्यक्ष-

छोड़िए, इसमें नियम यह है कि मा0 सदस्य किसी को अधिकृत करें। वह कुछ बातें हमसे कहकर गए थे, इसलिए मैंने कह दिया अगर वैसे आप प्रस्तुत करना चाहते हैं तो प्रस्तुत कर दें।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में खारे पानी की समस्या के निराकरण हेतु पेयजल की उपलब्धता के लिए पाइप वाटर सप्लाई योजना लागू की जाय।''

श्री छोटेलाल वर्मा-

आपने कहा था कि आगरा के जो मा0 सदस्य हों वह बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा में आप भाग ले सकते हैं। डा0 धर्मपाल जी ने जो कहा है उस पर बोलना है?

श्री छोटेलाल वर्मा-

उसी पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप कैसे बोलेंगे। अब आगे बढ़ गए हैं। अब दूसरे दिन बोलिएगा।

प्रदेश भर में हुई बेमौसम भयंकर बारिश, पाला, ओलावृष्टि एवं तूफान के कारण किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह आदि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

आपका राजस्व मंत्री जी मद संख्या-7 मैंने उस समय स्थगित कर दिया था। मंत्री जी इसमें आप वक्तव्य देंगे ? वक्तव्य आया है ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुर्नवास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री

(श्री अम्बिका चौधरी)-

वक्तव्य आया है।

श्री अध्यक्ष-

तो वक्तव्य आज ले लें ? इसको क्यों दूसरे दिन के लिए रखें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरे पास तो हमेशा ही वक्तव्य रहता है जब आपका आदेश हो।

श्री अध्यक्ष-

कापी बंट गई।

श्री अम्बिका चौधरी-

कापी सुबह बंट गई है।

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि फरवरी माह में अचानक मौसम परिवर्तन..

(डा0 धर्मपाल सिंह के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

कुछ पूछना है।

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रदेश भर में हुई बेमौसम भयंकर...

डा0 धर्मपाल सिंह-

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[बारिस, पाला, ओलावृष्टि एवं तूफान के कारण किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-56 के अधीन सर्वश्री डा0 धर्मपाल सिंह, ममतेश शाक्य, ठा0 सूरजपाल सिंह, राजकुमार रावत, कालीचरन सुमन, छोटेलाल वर्मा एवं भगवान सिंह कुशवाहा, मा0 सदस्यगण द्वारा दी गई सूचना के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक 16-02-2013 व 17-02-2013 को पूरे प्रदेश में प्रकृति की मार बे-मौसम भयंकर बारिश से किसानों की गेहूं की खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। आगरा मण्डल व आसपास के क्षेत्र में बे-मौसम झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। शनिवार को सुबह से शाम तक बरसात होने से किसानों को भारी नुकशान हुआ है। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा-कासगंज में सरसों और आलू फसल को नुकसान पहुंचा है। बरसात के साथ तेज हवा चलने से गेहूं की फसल लेट गई है वहीं फिरोजाबाद, में ओले भी पड़े हैं। देहात में कहीं तेज बारिश से तो कहीं बारिश संग ओलावृष्टि से भारी तबाही मचाई है। खेतों में खड़ी सरसो की फसल पसर गई है। आलू और गेहूं को भी नुकसान हुआ है। आलू की फसल में झुलसा और सडांध का खतरा पैदा हो गया है। बाह, पिनाहट, तैतपुर, विकास खण्ड के तमाम गांवों में काफी नुकश्सान हुआ है। कुर्राचित्तरपुर में भी गेहूं, सरसो की फसलों को नुकसान पहुंचा है। फतेहपुर सीकरी, सरैंधी, खदौली एवं एत्मादपुर ब्लाक के सैकड़ों गांवों में खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। आलू को भी नुकसान हुआ है। जौ एवं मटर को भी काफी नुकसान हुआ है। यही हाल खेरागढ़,

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अछनेरा, फतेहाबाद का भी है। यहां सरसों और आलू की तकरीबन 70 फीसदी फसल को नुकसान हुआ है। खेरागढ़ में तेज बारिस के बाद ओले पड़े हैं। फतेहाबाद क्षेत्र के खेतों में कटी पड़ी सरसो और खुदाई को तैयार आलू को भारी नुकसान हुआ है। यही हाल दिनांक 09-01-2013 एवं 18-01-2013 को हुआ था जब प्रदेश भर में कड़ाके की ठण्ड व कोहरे से जूझ रहे किसानों पर पाला, ओलावृष्टि, बारिश एवं तूफान आफत बनकर टूट पड़ा। मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद आदि सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी-बारिश व पाले की चादर बिछ जाने के कारण आलू सरसों व अन्य सब्जियों की फसल में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी, अछनेरा, अकोला, बिचपुरी, बरौली अहीर, खंदौली, एत्मादपुर जगनेर, खेरागढ़, सैया, शमशाबाद, फतेहाबाद, पिनाहट बाह एवं जैतपुर कला में आलू व सरसों की फसल में 60 से 90 फीसदी तक नुकसान हुआ है। जनपद में 1.20 लाख हेक्टेयर गेहूं 66 हजार हे0 से अधिक आलू, 55 हजार हे0 में सरसों, 10 हजार हेक्टयर में दलहन की फसल तैयार होती है। इन फसलों में हुए बड़े नुकसान के कारण किसान पूर्णरूप से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। कर्ज लेकर मंहगी खाद, मंहगा बीज, मंहगी जुताई-बुवाई व बिजली पानी आदि लागत लगाकर तैयार फसल का सपना सजाये बैठा अन्नदाता किसान बर्बाद फसल को देखकर फूट-फूटकर रो रहा है। उसके समक्ष अपने पारिवारिक जीवन-यापन की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। फसल को पाले से बचाने के लिये खेतों में नमी ही एक मात्र आसान उपाय है, दूसरे उपाय कर पाना किसान के बस से बाहर की बात है।

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बेमौसम हुई बारिश आदि से जनपद फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा की तहसील बाह, एत्मादपुर, फतेहाबाद, खेरागढ़ तथा किरावली, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, अलीगढ़, मेरठ व हाथरस में फसलों में नुकसान मानक से कम होने के कारण दैवी आपदा मद से सहायता दिया जाना सम्भव नहीं है।

3-यह भी उल्लेखनीय है कि भारी बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों की फसलों की क्षति तथा आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान के सम्बन्ध में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर आंकलन कराकर राज्य आपदा मोचन निधि से किसानों को हुई क्षति के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानक दिनांक 16-01-2012 के अनुसार सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-143/1-11-2013-ए0क्यू0-10/2013, दिनांक 21 फरवरी, 2013 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश निर्गत किये गये हैं।]

श्री अध्यक्ष-

इसमें कोई मा0 सदस्य पूछना चाहते हैं ? मद संख्या-7 है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ आपने यह कहा है कि मानक से कम नुकसान हुआ है सरकार का जो मानक है क्षतिपूर्ति का, उससे कम नुकसान हुआ है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कितने प्रतिशत नुकसान यहां हुआ है और आगरा जिले के 15 ब्लाकों में आलू, सरसों और फसलों को कितना नुकसान हुआ है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरे पास तहसीलवार सूचना आगरा जनपद के बारे में उपलब्ध है। इन्होंने आगरा का पूछा है तहसील बाह में सदर तहसील में 18.2.2013 और 17.2.2013 को जो किसानों की फसलों की पांच से दस प्रतिशत की क्षति हुई है बाह में 19.1.13 से 18.1.13 तक कोई पाला ओला नहीं पड़ा है तथा किसानों की आलू सरसों व अन्य फसलों का नुकसान नहीं हुआ है। एत्मादपुर में पाले से 25 प्रतिशत नुकसान हुआ है। 16.2.2013 से 17.2.2013 को ओलावृष्टि नहीं हुई है।

फतेहाबाद तहसील में 08.01.13 से 18.01.13 तक व 16.02.13 से 17.02.13 तक प्रकृति के कहर के रूप में पड़े पाला, ओलावृष्टि एवं वर्षा के कारण किसानों की आलू, सरसों व गेहूँ की फसलों में हुए नुकसान का आंकलन कराया गया है। कहीं-कहीं आलू और सरसों में 20 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। खैरागढ़ में वारिश और ओला पड़ने से सरसों, आलू, जौ, गेहूँ में 10 प्रतिशत की क्षति हुई है। किरावली- दिनांक 16 व 17 फरवरी, 2013 को ओलावृष्टि नहीं हुई है। बेमौसम हवा के साथ हुई वारिश से किसानों की रबी की फसल आलू, सरसों, शिमला मिर्च में हुई क्षति का आंकलन कराया गया। गेहूँ की फसल में अधिकांश वारिश लाभदायक रही है, लेकिन रबी की अन्य फसलों सरसों, आलू, तरकारी आदि में 10 से 25 प्रतिशत की क्षति हुई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, कुछ और पूछेंगे?

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मंत्री जी जानते हैं, जब ओला पड़ता है तो पूरी तहसील में कभी इकट्ठा नहीं पड़ता है। वह किसी एक साइड से पड़ते हुए निकल जाता है, चाहे तूफान हो, चाहे ओला हो। मान्यवर, आलू की खुदाई अब शुरू हो रही है। आप भी जानते हैं कि चाहे गेहूँ हो या सरसों हो, एक सीमित क्षेत्रफल, एक बीघा या एक हेक्टेयर की फसल को झड़वा लेते हैं, उसमें जो नुकसान होता है, उसे मानक मानते हुए, नुकसान का आंकलन कर लेते हैं। मान्यवर, आलू की खुदाई अभी शुरू ही नहीं हुई है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने आलू में हुई क्षति का आंकलन कैसे करा लिया ? सरकार को कैसे ज्ञात हुआ कि आलू में इतना नुकसान हुआ है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत छोटे किसान परिवार से आया हूँ, बहुत बड़े जमींदार परिवार से मेरा ताल्लुक नहीं है, इसलिए खेत में मुझे जाने का स्वयं अवसर होता है और थोड़ी-बहुत आलू की खेती हम करते हैं, इसलिए जानकारी है। आलू के खराब या अच्छे का आंकलन सिर्फ एक आधार पर होता है। जिस समय आलू की जड़ बैठ रही होती है, उस समय अगर पानी पड़ने से वह सड़ने लगता है तो जितना हिस्सा उस खेत का सड़ जाता है, उसे पूरी तरह से आलू का नुकसान मानते हैं। इसी प्रकार से पाला से जो नुकसान होता है, उसका आंकलन होता है। यही विशेषता है, इस हिन्दुस्तान की कि सारी दुनिया में बड़े से बड़ा वैज्ञानिक जो आंकलन नहीं कर पाता, उससे बड़ा आंकलन अपने नुकसान का हमारा किसान करता है। मैं माननीय सदस्य, डाक्टर साहब से कहूँगा कि आपको जानकारी ज्यादा है लेकिन खेत में जाइये, आपको पता चल जायेगा कि कितना नुकसान हुआ है।

*श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि किसान को ज्यादा आइडिया होता है, किसान करे क्या, नुकसान के मानक तो तहसील स्तर पर हैं। सरकार कहती है कि जब 50 प्रतिशत आलू सड़ जायेगा, 50 प्रतिशत उसका नुकसान हो जायेगा तो सरकार मान लेगी। लेकिन किसान की मान कौन रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा क्या माननीय मंत्री जी भारत सरकार को पत्र लिखेंगे कि जो मानक 50 परसेण्ट का है, उस मानक में छूट के लिए क्या सरकार, केन्द्र सरकार को लिखेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है। आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराता हूँ कि इस सम्बन्ध में हमने दो बातें तय की हैं। दैवी आपदा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक है, उसी के आधार पर हम राहत दे पाते हैं। यह बढ़ाया जाए क्योंकि पहले से ही अन्य मामलों में जिसमें किसी की मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, जल जाते हैं, उन मामलों में भी गृह अनुदान, अहैतुक अनुदान या अन्य में भी वह राशि बढ़ाई जाए, जिसका खत भी हम उनको लिख रहे हैं और इस सदन के बाद बैठक करके हम प्रयास करेंगे। लेकिन खेती के मामले में जो पहले से था, जिसमें वह अनुदान देते हैं, जिसको कृषि निवेश अनुदान कहते हैं, इसमें उनके जो मानक हैं, उस परिभाषा में जितनी झोल है, उसको हमने इस्तेमाल किया। राष्ट्रीय स्तर पर यह जिले के पैमाने पर आंकड़ा निकाला जाता लेकिन हमने तहसीलों के स्तर पर कह दिया है कि तहसील स्तर पर भी यदि 50 फीसदी का नुकसान होगा तो पूरी तहसील को आपदाग्रस्त घोषित करके सारे किसानों को उससे जोड़ने का काम करते हैं। यह स्थिति इसमें नहीं बन पा रही है लेकिन किसानों का जो इन्ड्यूजुअल नुकसान हुआ है, उसका विस्तृत आंकलन करने के लिए भी हमने शासन को निर्देश दिए हैं और इस बात का प्रयास किया जायेगा कि अधिक से अधिक पीड़ित किसानों की मदद कैसे की जाए, हम प्रयास करेंगे कि उन किसानों की मदद हो सके।

*श्री कालीचरन सुमन-

मान्यवर, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा। जैसाकि इन्होंने वक्तव्य दिया है कि ओलावृष्टि और वर्षा के कारण नुकसान के बारे में आगरा जनपद की कई तहसीलों का इसमें दिया है लेकिन आगरा सदर जो तहसील है उसके अंतर्गत तीन ब्लाक आते हैं बिजपुरी, बरौली और अकोला। इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसमें कितनी क्षति हुयी है उसका कोई मानक नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो यह आंकलन आया तो इसमें आगरा सदर तहसील का आंकलन क्यों नहीं आया है। यह आंकलन आना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कार्यवाही देख लें। माननीय सदस्य आधे समय अगली बैंचों पर बैठने वाले जो उनके नेतागण हैं उनसे भयभीत रहते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लोगों का दूसरी जगह मन रहता है। इसलिए नहीं कह पाते। आप कार्यवाही देख लें। मैंने तो सदर तहसील से ही प्रारम्भ किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने अगर मेरी बात को सुनने का प्रयास किया होता तो मैंने तो प्रारम्भ ही आगरा सदर तहसील से किया। कार्यवाही में है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लखीमपुर खीरी की तहसील के बारे में जानकारी चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

नहीं केवल आगरा के बारे में है। केवल आगरा के बारे में पूछें।

*श्री छोटेलाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उन्होंने फतेहाबाद का मेरी विधान सभा का जिक्र किया कि 20 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी हमारी एक समस्या है। हम जब भी कुछ कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं होती। मान्यवर, सुन तो लें कि हमारी पीड़ा क्या है। मान्यवर, हमारा निवेदन है कि मेरा पूरा क्षेत्र ताज ट्रेपेजियम के अंतर्गत आता है। हमारा कहना है कि नुकसान ज्यादा हुआ है। यह सच है। 20 प्रतिशत आंकलन आया है लेकिन कम से कम 30-40 प्रतिशत नुकसान हुआ है। पकी हुयी सरसों ओले से सारी झर गयी है। लगभग पूरी तहसील में ओला पड़ा है। मेरा निवेदन है कि वहां के किसानों को ऐसी राहत दे दी जाये कि वहां हम दो गुना बिल देते हैं और हमको बिजली बराबर मिलती है। कम से माननीय मंत्री जी किसानों का बिजली का बिल ही माफ करवा दें। पैसा है नहीं और पकड़कर बंद कर देते हैं। वहां सरसों झर गयी है। आलू खेत में सड़ गया और कुछ होता नहीं है। तो पैसा कहां से दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, फसल अभी खेत में खड़ी है। अभी सरसों, आलू तैयार हुआ नहीं है। उसके आधार पर अभी पैसा नहीं मिलना था पैसा बाद में मिलना था। मान्यवर, अगर किसी किसान पर एक लाख से कम बकाया होगा तो वह छोटा ही किसान होगा। तो एक लाख से कम बकायेदार के खिलाफ उत्पीड़न की कोई कार्रवाई नहीं की जाये इसके स्पष्ट शासनादेश हैं। अगर कहीं उल्लंघन हो तो मुझे आप अवगत कराइयेगा। कहीं वसूली नहीं है। और अंदाज से जो सवाल उठाये जाते हैं तो उसका अंदाज से उत्तर देना संभव नहीं है।

श्री छोटेलाल वर्मा-

मेरी जानकारी में ऐसे किसान हैं जो एक लाख से कम के बकायेदार हैं उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। और फसल सिंचाई को अगर दोबारा कटिया डाल लेते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा हो रहा है। मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ मैं आपको लाकर दूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने वसूली और उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की बात कही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, आगरा टी0जेड0 क्षेत्र में आता है। आगरा टी0जेड0 के हमारे चार जिले आगरा, मथुरा, हाथरस और फिरोजाबाद आते हैं।

पूरे प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी, 65 रुपये प्रतिकिलोवाट फिक्स चार्ज लिया जाता है बिजली का, लेकिन हमारे यहां के चार जिले, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद आदि में 130 रुपये प्रतिकिलोवाट फिक्स चार्ज लेते हैं। यानी अध्यक्ष जी, जो हमारे चार जिले हैं, उन चारों जिलों के किसान पूरे प्रदेश से दोगुना बिल देते हैं। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में किसी का साढ़े सात सौ रुपये बिजली का बिल होगा तो हमारे चार जिलों के किसान उतने का ही 1500 रुपये बिल देते हैं, उसके बावजूद भी बिजली नहीं मिलती। जहां तक अभी मा0 मंत्री जी ने कहा तो हम लोग दावे के साथ बहुत सारे किसानों की एफ0आई0आर0 लाकर के यहां सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक साल से कम बिल पर भी बिजली के नलकूपों पर किसानों के बिजली के नलकूपों के कनेक्शन काटे गये, उनके नाम एफ0आई0आर0 हुई और उन बेचारों ने जिनका बिल आठ-नौ हजार रुपये था, उनसे बीस-बीस हजार रूपये शमन शुल्क के रूप में जमा करा कर उनका उत्पीड़न हुआ। मा0 अध्यक्ष जी हमारे यहां 10 और 15 किलोवाट से कम का कोई कनेक्शन नहीं चारों जिलों में और हमारे यहां के किसान के नाम एफ0आई0आर0 हुई केवल एक साल से कम बिल पर। पन्द्रह हजार से कम बिल पर ए एफ0आई0आर0 हुई, जेल गये और लोगों ने 20-20 हजार रुपये शमन शुल्क भी जमा किया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, इस पर आपको कुछ कहना है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-56 में जो सूचना इन्होंने दी है, यह राजस्व विभाग में दैवीय आपदा से सम्बन्धित सूचना थी और इस सूचना से सम्बन्धित जितने भी प्रश्न थे, उन प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया जा चुका है। बिजली विभाग के बजट की भी चर्चा अगर इसी समय होनी है तो अभी सामान्य चर्चा हो चुकी और आगे की चर्चा जो भी बजट रखा जायेगा, तो आपके सारे मूल्यवान सुझाव उस समय जरूर शामिल किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, सूचनायें दो प्रकार की होती हैं, एक तो आप नियम-51 में देते हैं तो उसका वक्तव्य आता है, दूसरा नियम-56 में जब आप देते हैं काम रोक कर, स्टापमोशन उसे कहते हैं कि आज की कार्यवाही रोक कर उस पर चर्चा कराई जाय तो अध्यक्ष उस प्रश्न की गम्भीरता को समझते हुए रोकने के बजाय वक्तव्य की मांग स्वीकार करते हैं और जब वक्तव्य आता है तो आपको उसमें दो-चार प्रश्न करने का अवसर मिल जाता है और उसके माध्यम से जो आपका विषय है, वह स्पष्ट हो जाता है। सरकार के द्वारा क्या काम हो रहा है, उन्होंनें इसको स्पष्ट कर दिया है। अब ज्यादा सवाल की इसमें जरूरत नहीं है। यह नियम-56 नहीं है कि इसमें हर आदमी बोले।

श्री काली चरन सुमन-

मान्यवर, मैं आगरा ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आता हूँ, जो उत्तर मिला है, इसमें क्षतिग्रस्त कितना हुआ, इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, आप बैठे, वहां तो जल्दी लौटते नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा सारी दुनिया में मशहूर है और मान्यवर, आगरा सारी दुनिया में मशहूर है ताजमहल की वजह से भी और मान्यवर, आगरा में और भी कुछ है, जिसकी वजह से सारे देश में मशहूर है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, वहां बाहर के लोग आते हैं, उनके लिए मशहूर है।

श्री अध्यक्ष-

आपने ठीक कहा कि बाहर के लोग जाते हैं, लेकिन वह लौटते नहीं है। अब आप बैठिये। अब मैं नियम-51 की सूचनायें लेता हूँ।

[4.12 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-51 की सूचनाएं लेता हूं। आज दिनांक 04-03-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 50 सूचनायें प्राप्त हुईं ।

पहली सूचना श्री संत प्रसाद की लखनऊ-हरदोई रोड स्थित ग्राम बरावन कला में दबंगों द्वारा बंद की गई सरकारी नाली की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

नियम-51 के सूचनादाता सदस्यों के अनुपस्थिति पर अध्यक्ष के निदेश

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री संत प्रसाद जी, कभी आते भी नहीं हैं, न यहां बोलते हैं। कौन इनको लिख कर के दे देता है। इनका 301 भी जाता है, नहीं रहते हैं, तो यह कौन देता है, हस्ताक्षर मिलवायें क्या कार्यवाही करायें। कोई लिख देता है, इनके नाम पर । मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे बहुत दिनों से इस सदन में आने का और देखने का मौका मिला है। बहुत से कर्मचारी विधायकों के यहां जाते हैं और वह लिख कर के अपना दस्तखत मार के यहां दे जाते हैं और इसकी सूचना प्राप्त करने में सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और मा0 सदस्यगण उनका उत्तर सुनकर के फिर उसके बारे में छानबीन नहीं करते हैं, इससे सरकार का नुकसान होता है और समय व्यर्थ जाता है। तो मैं अगली बार के लिए आप सब से आग्रह करता हूँ जो नियम-51 आये उसका उत्तर भी आप सुनने के लिए यहां रहें और अगर कोई नहीं रहेगा तो हम इसके लिए कोई नियम बनायेंगे कि इसका खर्चा उनके वेतन से काटेंगे।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद रायबरेली के ग्राम दौलतपुर स्थित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियां, पुस्तकालय एवं आवास को सांस्कृतिक धरोहर घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद-मथुरा की एकमात्र चीनी मिल न चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ में रामपुर के ग्राम देउम तथा थरिया में लिफ्ट कैनाल बनाकर सई नदी का पानी डाले जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

पांचवीं सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की बहराइच-रुपईडीहा 4 लेन हाई-वे का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठी सूचना डा0 मो0 मुस्लिम की अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं हेतु प्रदेश में तकनीकी शिक्षा केन्द्रों में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री गुलाब चन्द सरोज की जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र 372 केराकत के अन्तर्गत विकास खण्ड डोभी में बजरंग नगर बाजार के बीचो बीच लगे बिजली के पोल एवं तार को बाजार के बाहर स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के थाना-निगोही के थानाध्यक्ष द्वारा गरीब जनता व किसानों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

नवीं सूचना श्री रविन्द्र भड़ाना की उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में कार्यरत नियमित कार्य प्रभारित कर्मचारियों की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित सदस्यों को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के कार्य को तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

ग्यारहवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद-इलाहाबाद के कोरॉव क्षेत्रान्तर्गत तहसील-मेजा में अग्निशमन केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

1-श्री बंशी सिंह पहाड़िया,

2-श्री जीतेन्द्र कुमार,

3-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप,

4-श्री अजय कुमार लल्लू,

5-श्री दलजीत सिंह,

6-श्री धर्मपाल सिंह,

7-श्री विजय बहादुर यादव,

8-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव,

9-श्री आरिफ अनवर हाशमी,

10-श्री जियाउद्दीन रिजवी,

11-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

12-श्री राम चन्द्र यादव,

13-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

14-श्री अगयश राम सरन वर्मा,

15-श्री राधेश्याम जायसवाल,

16-श्री लोकेन्द्र सिंह,

17-श्री राम मगन रावत,

18-श्री रमेश चन्द्र बिन्द,

19-श्री प्रदीप माथुर,

20-श्री संजय कपूर,

21-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

22-श्री संजय प्रताप जायसवाल,

23-श्री उमाशंकर सिंह,

24-श्री गोरख पासवान,

25-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले),

26-श्री अजय मिश्र 'टेनी'

27-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

28-डा0 अरुण कुमार,

29-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

30-श्री मदन गोपाल वर्मा,

31-श्री रामहेत भारती,

32-श्री कालीचरन सुमन,

33-श्री फेरनलाल अहिरवार,

34-श्री उमेश पाण्डेय,

35-श्रीमती पूजा पाल,

36-श्री दीपक पटेल 'एडवोकेट',

37-श्री बब्बन सिंह चौहान,

38-श्री छोटेलाल वर्मा तथा

39-श्री राज नरायन बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज।

जनपद जौनपुर के चन्दवक थाना क्षेत्र के सतमेसरा गांव स्थित नेता जी सुभाष चन्द्र बोस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दिनांक 21-2-2013 को छात्राओं को नशीला पदार्थ दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

अब वक्तव्य हैं। मा0 मंत्री जी, मद संख्या-16, पढ़ें।

(मा0 सदस्य श्री श्याम देव राय चौधरी का नाम पुकारे जाने और उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, श्री श्याम देव राय चौधरी जी नहीं हैं, वक्तव्य पढ़ने की जरूरत नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बबीना (झांसी) में भारी बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों की फसलों की क्षति एवं आकाशीय बिजली गिरने से हुये नुकसान के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा [4.15 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि.....

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[फरवरी माह में अचानक मौसम परिवर्तन के कारण सम्पूर्ण प्रदेश के साथ ही विशेष कर बुन्देलखण्ड जैसे गरीब एवं पिछड़े क्षेत्र में भारी बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवायें चलने के कारण अरहर, मसूर, चना, मटर, अलसी, राई, जैसे दलहनी, तिलहनी, फसलों के अलावा गेहूं तथा गन्नों की फसलों का भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। इसके पूर्व पाला पड़ने से भी काफी क्षति फसलों को हो चुकी थी। उनके विधान सभा क्षेत्र बबीना (झांसी) में भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। फसलों को 50 प्रतशत से 80 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा है। लेकिन प्रशासन सम्पूर्ण घटनाओं से काफी उदासीन है। राजस्व कर्मी तथा लेखपाल आदि किसानों की फसलों की क्षति का सही आंकलन नहीं कर रहे हैं, जिससे फसलों की बर्बादी के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से भी जनहानि, पशुहानि तथा मकानों के गिरने की भी शिकायतें हैं। किसानों को क्षति का मुआवजा किसानों की मांग के अनुसार अविलम्ब दिये जाने तथा आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति पीड़ित जनों को प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 21-02-2013 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय का निर्देश दिया गया है कि शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर दैवी आपदा के सापेक्ष किसानों की फसलों की क्षति का आंकलन कराकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानक दिनांक 16-01-2012 के अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाय तथा इसकी सूचना शासन को प्रतिदिन प्रेषित की जाय।

जनपद झांसी की पांच तहसीलों-झांसी, मोठ, मऊरानीपुर, गरौठा एवं टहरौली में पाला पड़ने से 10 से 30 प्रतिशत तक की ही क्षति हुई है। ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से जनपद की तीन तहसीलों (मोंठ, गरौठा एवं टहरौली) में रबी की फसलों यथा-मटर, मसूर, चना, लाही व गेहूं में क्षति 50 प्रतिशत से अधिक आंकलित की गई है। इसमें प्रभावित 47 गांवों के कुल 12290 कृषकों में कृषि निवेश अनुदान वितरित करने हेतु रु0 5,39,25,729/- की धनराशि जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 26-02-2013 द्वारा शासन से मांगी गई है जिसे स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक विधान सभा क्षेत्र बबीना में हुए नुकसान का प्रश्न है, स्थिति यह है कि विधान सभा क्षेत्र बबीना के तहसील मोंठ व टहरौली के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में ओलावृष्टि, बारिश, तेज हवायें एवं पाला पड़ने से रबी की फसलों-अरहर, मसूर, चना, मटर, अलसी, राई, दलहनी, तिलहनी, गेहूं व गन्ना आदि फसलों को कोई क्षति नहीं हुई है, न ही आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि, पशुहानि व मकानों को क्षति हुई है। विधान सभा क्षेत्र बबीना झांसी के अन्तर्गत आने वाले गांवों में ओलावृष्टि से फसलों को 10 से 20 प्रतिशत तक की क्षति हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है और न ही मकानों के गिरने का कोई प्रकरण प्रकाश में आया है। आकाशीय बिजली से पशुहानि के रूप में 02 बैल, 02 गाय एवं 04 भैंसों अर्थात् कुल 08 पशुओं की मृत्यु हुई है। पशुहानि पर पशुपालकों को आपदा राशि निधि से रु0 83,400/- की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है।

4-उपरोक्त से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा किसानों को भारी बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों के फसलों की क्षति एवं आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान के सम्बन्ध में सहायता प्रदान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।]

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें जो मोठ तहसील और टहरौली तहसील में जो ओलावृष्टि से, वर्षा से और पाले से जो इसमें इन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक आंकलन बताया है तो मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारी मोठ तहसील और टहरौली तहसील के लेखपाल हैं उन्हें सरकार को सही बताने में पता नहीं क्या दिक्कत आती है। अभी आप जा करके दोबारा से जांच करा लें। 80 परसेण्ट से कम नुकसान नहीं है, 80 परसेण्ट नुकसान है और अब यह स्थिति हो गयी है कि ओले से जो चोट पड़ी है तो फलियां अब जैसे ही सूख रही हैं वैसे ही खेत में और चिटक रही हैं तो अब और ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब फसल जो फर गयी थी कि वो भी किसान के हाथ में नहीं आ रहे हैं तो हमारा मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अनुरोध है कि मा0 मंत्री जी, दोबारा से इसकी रिपोर्ट मंगवा लें और रिपोर्ट मंगवा करके ऐसे जो लेखपाल हैं जो सही रिपोर्ट शासन को नहीं देते, मंत्रियों को गुमराह करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जवाब में स्पष्ट है, मा0 सदस्य ने पढ़ लिया होगा और मैं दोबारा आपको अवगत करा दूं। आप उसका तीसरा पैरा पढ़िये कि झांसी, मोठ, मऊरानीपुर, गरौठा एवं टहरौली में, पांच का नाम आ गया और पांच में से मोठ, गरौठा और टहरौली में 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान मटर, मसूर, चना, लाही और गेहूं में हुआ है। रु0 5,39, 25, 729/- की डिमाण्ड आयी है 26 फरवरी को।

(श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा बीच में कुछ पूछने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप अधीर न हों, सुन लें फिर पूछिये तो अच्छा लगता है। आपकी भी जानकारी होगी, हमारी भी होगी। ये इतने रुपये की क्षति का आंकलन किया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

तो जो आपने टहरौली की बात कही है, बात सही नहीं है, जिन तहसीलों में वास्तविक नुकसान हुआ है, उनकी रिपोर्ट हमारे पास है और उसके आधार पर हम इतनी राशि उनको वितरण के लिए देने जा रहे हैं और यह राशि हम उनको देंगे जिनका 50 प्रतिशत नुकसान हुआ है। आपके उत्तर में स्वयं स्पष्ट है इस पर आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

इसमें दर्शाया गया है, मोठ, गरौठा, टहरौली तहसील, इन तीनों तहसीलों में 50 प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान बता रहे हैं आप।

श्री अम्बिका चौधरी-

हां, कह रहे हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

तो पचास का मतलब, पचपन भी हो सकता है, बावन भी हो सकता है और इक्यावन भी हो सकता है, जब 80 प्रतिशत हुआ है, तो 80 प्रतिशत लिखने में दिक्कत क्या है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं मा0 सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि यह मदद है मुआवजा नहीं है उसका, और मूल्य नहीं है उसका, हम दे नहीं सकते हैं कभी, एक कृषि अनुदान निवेश के तौर पर यह मदद उसकी है कि किसान का जो बीज, खाद, पानी, मेहनत सब बिल्कुल बर्बाद हो गया, उसको थोड़ी मदद दे सकें, यह राहत है, यह मुआवजा नहीं है। इसलिए 51 फीसदी हो और 99 फीसदी हो, इन दोनों को हम अधिकतम मानकर ही करते हैं, 50 फीसदी के जैसे है, वैसे ही हम इसे देने का काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद कुशीनगर स्थित छितौनी चीनी मिल में किये गये घोटालों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराकर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, बताइये इसमें कुछ पूछना है।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, ये हम से पूछ लेंगे, हम इनको बता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना में यह उल्लिखित किया गया है कि जनपद कुशीनगर उ0प्र0.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[राज्य चीनी निगम की विक्रीत चीनी मिल छितौनी को कौड़ियों के दाम मात्र 3.60 करोड़ रुपये में कब्जारहित बैनामा होने के बावजूद बिना किसी सक्षम अधिकारी के परमीशन व एप्रूवल के अवैध रूप से तत्कालीन बसपा की उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के समय में ही शासन व प्रशासन की शह पर छितौनी मिल के लगभग 80 से 90 प्रतिशत सामान वगैरह जिसकी कीमत लगभग 35 करोड़ रुपये होगी, को लोहे के टुकड़ों में काटकर रात-बिरात ट्रकों से लादकर चोरी-चुपके अज्ञात स्थानों पर ले जाकर बेच दिया गया। उक्त के खिलाफ आज तक उ0प्र0 सरकार राज्य चीनी निगम लि0 लखनऊ के किसी अधिकारी द्वारा क्रेता श्री मो0 आकिल पुत्र श्री मुश्ताक अहमद निवासी सड़क दूधली सहारनपुर, जिला सहारनपुर (उ0प्र0) के खिलाफ चोरी का मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है और न ही कराने का कोई प्रयास ही किया गया है, आदि का उल्लेख करते हुए मा0 सदस्य द्वारा प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है।

2-मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर स्थित उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाई छितौनी का विक्रय ''जहां है, जैसा है'' के आधार पर रु0 3.60 करोड़ में किया गया है। इकाई का विक्रय अनुबन्ध मै0 गिरियाशो कम्पनी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रा0 लि0 नई दिल्ली एवं एस0पी0बी0 मै0 ओकारा शुगर कम्पनी लि0 के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मो0 अकील के साथ दिनांक 21-01-2011 को हस्ताक्षरित किया गया। कब्जारहित बैनामा का तथ्य सत्य से परे है। पूर्ण विक्रय मूल्य एवं टी0डी0सी0 की धनराशि प्राप्त हो जाने के पश्चात् चीनी मिल का कब्जा तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक द्वारा क्रेता के अधिकृत प्रतिनिधि मो0 अकील को दिनांक 11-04-2011 को हस्तगत करा दिया गया।

3-प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25-02-2013 को जिला प्रशासन द्वारा चीनी मिल का निरीक्षण किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार छितौनी मिल के जीर्णोद्धार हेतु चीनी मिल के अन्दर जो मशीन खराब हो गई है या पेराई क्षमता कम है, उनको हटाया जा रहा है जिससे उक्त स्थान पर दूसरी मशीन लगाई जा सके। इससे ''छितौनी चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति'' के कार्यकर्ताओं को यह शक हो गया था कि चीनी मिल के क्रेता द्वारा चोरी से सामान उठाया जा रहा है और चीनी मिल नहीं चलायेंगे। दिनांक 13-12-11 को उक्त चीनी मिल के डायरेक्टर आये थे तथा दोनों पक्षों में उप जिला मजिस्ट्रेट कसया, क्षेत्राधिकारी पडरौना व नायब तहसीलदार के समक्ष यह सुलह हो गई थी जिसमें चीनी मिल के डायरेक्टर द्वारा घोषणा की गई तथा लिखित दिया गया कि चीनी मिल वर्ष 2014 में आरम्भ होगी। चीनी मिल के लीगल एडवाइजर ने दिनांक 25-02-2013 को लिखित बयान दिया है कि दिनांक 13-12-2011 को सुलह समझौता उप जिलाधिकारी, पडरौना, क्षेत्राधिकारी, पडरौना एवं तहसीलदार पडरौना की उपस्थिति में संघर्ष समिति के समक्ष इकाई के डायरेक्टर द्वारा समझौता हुआ कि चीनी मिल वर्ष 2014 में चलाया जायेगा।]

उत्तर प्रदेश की अग्रहरि, दोसर, अयोध्यावासी, केसरवानी, बरनवाल, ओमर, गुलहरे, पोरवाल, कमलापुरी, सन्मानी आदि जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किये जाने हेतु आयोग में लम्बित प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित थे)

अध्यक्ष-

श्री राजेश अग्रवाल जी हैं, यदि नहीं हैं तो मंत्री जी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। इसको नहीं लिया जायेगा।

जनपद शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय को 300 शैय्यायुक्त करने तथा डाक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के साथ-साथ दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

शाहजहांपुर जनपद के जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल अमर शहीद पं0 राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी के नाम से.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[20 वर्ष पूर्व बना था। तब यह घोषणा की गई थी कि यह 300 बेड का अस्पताल होगा। 20 साल बीत जाने के बाद भी आज तक 100 बड से ज्यादा संचालित नहीं किये जा सके हैं। इसमें भी डाक्टरों तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी के कारणे मरीजों की समुचित देखभाल नहीं हो पाती। कई बार इस सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। लगभग 30 लाख की आबादी वाला जनपद शाहजहांपुर में चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव रहा है। जिला मुख्यालय पर इस अस्पताल के होने से सभी लोग यह चाहते हैं कि इसमें ही इलाज कराया जाय। परन्तु बेडों की संख्या कम होने तथा डाक्टरों के रिक्त स्थानों की पूर्ति होने एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण लोगों को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है जहां पर मरीजों का जमकर दोहन होता है। साथ ही जिला अस्पताल में भी पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था न होने के कारण मजबूरी में दवायें बाहर से लेनी पड़ती हैं। जनहित में आवश्यक है कि पूर्व की घोषणा के अनुसार शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय को 300 शैय्यायुक्त संचालित किया जाय। डाक्टर तथा पैरा-मेडिकर स्टाफ की तैनाती की जाय तथा दवाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये जायें कि जिन लोगों के लिये यह अस्पताल बना है उनको बिना इलाज के वापस न जाना पड़े। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर में जिला चिकित्सालय संयुक्त रूप से 300 बेड कार्यशील एवं संचालित है। चिकित्सालय में औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जिला चिकित्सालय में वर्तमान में 43 चिकित्साधिकारियों के पदों के सापेक्ष 22 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं। पैरा-मेडिकल स्टाफ के अन्तर्गत फार्मासिस्ट के 20 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 13 फार्मासिस्ट कार्यरत हैं। लैब टेक्नीशियन के 10 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 05 पदों पर लैब टेक्नीशियन कार्यरत हैं तथा ई0सी0जी0 टेक्नीशियन के 04 पदों के सापेक्ष 02 टेक्नीशियन कार्यरत हैं।

चिकित्सकों की कमी है और शासन द्वारा 2868 पदों पर चिकित्सकों के चयन हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 को अधियाचन भेजा गया है। चिकित्सकों के उपलब्धता के आधार पर रिक्त पदों पर तैनाती की जायेगी। फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। लैब टेक्नीशियन तथा एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। फिजियोथैरिपिस्ट एवं डार्करूम सहायक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 15-10-2012 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। चिकित्सालयों में आने वाले सभी वाह्य एवं अन्तःरोगियों को चिकित्सालय में उपलब्ध संसाधन से समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री रामचन्द्र प्रजापति, निवासी पंचावा, जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली मैनपुरी की 17 वर्षीय पुत्री कु0 ज्योति को कुछ अराजक तत्वों द्वारा अपहरण किये जाने के उपरान्त मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद भी अपराधियों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लोकेश दीक्षित आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

इसमें आपको कुछ पूछना है।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

नहीं, मान्यवर, वे संतुष्ट हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्री रामचन्द्र प्रजापति, निवासी पंचावा के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी के थाना.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[कोलवाली मैनपुरी, जनपद मैनपुरी की 17 वर्षीय पुत्री कु0 ज्योति को कुछ अराजक तत्वों द्वारा अपहरण किये जाने के उपरान्त मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद भी अपराधियों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत सर्वश्री लोकेश दीक्षित, बृजेश शर्मा, चौ0 गजेन्द्र सिंह, शमशेर बहादुर 'शेरू भईया', दीपक पटेल, रोशन लाल वर्मा, राजबली जैसल, मा0 सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना पर पुलिस अधीक्षक, जनपद मैनपुरी से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि श्री रामचन्द्र प्रजापति पुत्र श्री राजाराम प्रजापति नि0 नगला पजाबा थाना कोतवाली जिला मैनपुरी में अपनी पुत्री कु0 ज्योति उम्र करीब 17 वर्ष को विनय पुत्र विनोद कुमार निवासी हिन्दपुरम् कालोनी मैनपुरी द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 31-01-2013 को थाना कोतवाली मैनपुरी पर मु0अ0सं0 132/3 धारा 363, 366 आई0पी0सी0 बनाम विनय, विनोद कुमार व विनय की मां पंजीकृत कराया गया। इस अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक थाना कोतवाली द्वारा की गई है। विवेचना के मध्य यह तथ्य प्रकाश में आया कि अपहृता कु0 ज्योति अपने भाई सुनील कुमार के सम्पर्क में है, और टेलीफोन से इन लोगों की बात भी हो रही है। अपहृता के भाई सुनील कुमार ने विवेचक को बताया कि कु0 ज्योति से उसकी बात हुई तो उसका कहना है कि ''मैंने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है और मंदिर में शादी कर ली है तथा दिल्ली

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में रह रही हूं।'' अपहृता कु0 ज्योति का उसके घरवालों से मो0 नं0 8721906672 प्राप्त कर सर्विलांस के माध्यम से उसका लोकेशन लिया गया तो आसाम का लोकेशन मिल रहा है।

अपहृता कु0 ज्योति की बरामदगी के सम्बन्ध में एक टीम का गठन किया गया है जो सम्भावित स्थानों पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपहृता की बरामदगी के लिये लगातार दबिश दी जा रही है अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु मा0 न्यायालय से एन0बी0डब्लू0/82/83 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है। मुखबिरों के माध्यम से अभियुक्तों/अपहृता की छिपने के स्थानों की जानकारी कराई जा रही है। सर्विलांश के माध्यम से भी अपहृता के रुकने के स्थान की जानकारी का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार अपहृता के बरामदगी तथा अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में हर सम्भव प्रयास जारी है।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा स्थित ग्राम मुण्डेरा में बने सब-स्टेशन को चालू करवाने एवं ग्राम जाम में लगे विद्युत सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि विधान सभा रसड़ा.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[बलिया में ग्राम मुण्डेरा में 33 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन का स्ट्रक्चर बनकर पिछले 2 वर्षों से तैयार है परन्तु अभी तक उसमें मशीनें इत्यादि नहीं लगाई गई हैं जिससे यह विद्युत सब-स्टेशन जिस उद्देश्य हेतु बनाया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तथा आज भी क्षेत्रवासी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।

इसके अतिरिक्त ग्राम जाम में लगे विद्युत सब-स्टेशन जहां पर अत्यधिक लोड है की 3 मशीनों को बदले जाने हेतु बिजनेश प्लान के अन्तर्गत स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है परन्तु आज तक किन कारणोंवश उसमें मशीनें नहीं बदली गईं इसका स्पष्ट कारण विद्युत विभाग नहीं बता रहा है।

आख्या :-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा रसड़ा (बलिया) में ग्राम मुण्डेरा में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। पैनल तथा ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था हो गई है। शेष कार्य माह मई, 2013 तक पूर्ण कराकर उपकेन्द्र चालू करा दिया जायेगा।

ग्राम जाम में लगे 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के पैनल बदलने का कार्य माह अप्रैल, 2013 तक पूर्ण हो जायेगा।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से वसुन्धरा सेक्टर-6 में आदर्श पार्क की पांच एकड़ भूमि को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधन सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 26-02-2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि गाजियाबाद.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[के टान्स हिंडन क्षेत्र में आवास विकास परिषद् द्वारा वसुन्धरा कालोनी का विकास किया गया था। इस संभ्रान्त और नवनिर्मित कालोनी में सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल, सामुदायिक केन्द्र, पुस्तकालय, वृद्धाश्रम आदि सेक्टर-6 स्थित पार्क के अतिरिक्त कोई भी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा इस पार्क को रु0 04.00 लाख रुपये की सालाना लीज राशि पर किसी ठेकेदार को 60 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर दे दिया गया है। नगर निगम का यह कृत्य इस क्षेत्र के निवासियों पर कुठाराघात ही नहीं है अपितु पूर्णतः गैर-जिम्मेदाराना, पक्षपातपूर्ण, अपारदर्शी एवं अविवेकपूर्ण भी है। नगर निगम के इस कृत्य से इस क्षेत्र के निवासियों में भारी आक्रोश है। मा0 सदस्य द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु सदन में वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई है।

उक्त सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद से आख्या प्राप्त की गई है तथा जिलाधिकारी को तुरन्त लीज खारिज करके नगर आयुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में सरकारी सम्पत्ति की लूट अधिकारी द्वारा की गई प्रतीत होती है। उक्त के दृष्टिगत नियम-51 की सूचना में उल्लिखित विषय पर जिलाधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। सख्त और नसीहत भरी कार्यवाही की आशा दिला सकता हूं। यदि पूर्व में ही लीज हो गई है तो उसे निरस्त करने तथा आर्थिक हानि को दोषियों द्वारा मुजरा करने के आदेश भी कर दिये गये हैं।]

मेरठ नगर निगम द्वारा सफाई की समुचित व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी हैं नहीं।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसमें केवल वक्तव्य है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

सत्य प्रकाश अग्रवाल जी में तो केवल वक्तव्य है। इसलिए इसे चलने दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरठ नगर निगम द्वारा सभी 80 वार्डों में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है।..

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना	केवल वक्तव्य
[मोहल्ले एवं वार्डों से निकलने वाले कूड़े के लिये नियत स्थान न होने के कारण कूड़ा सड़क के किनारे डाला जा रहा है तथा मोहल्ले में किसी न किसी के घर के सामने डाला जा रहा है जिससे रोजाना सफाई कर्मियों से नागरिकों का झगड़ा हो रहा है। नगर निगम के पास कूड़े का कोई डम्पिंग स्टेशन भी न होने के कारण समस्त कूड़ा शहर से बाहर जाने वाले मुख्य रास्तों पर जैसे दिल्ली रोड पर तथा मवाना रोड पर राधा गार्डेन कालोनी के सामने नाले के किनारे-किनारे किलोमीटरों तक कूड़े के ढेर लगा दिये गये हैं। इन ढेरों के कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है तथा गंदगी एवं बदबू से स्थानीय निवासियों का जीवन दुष्कर हो गया है। अभी हाल ही में हुई बारिश से स्थिति और भी भयावह हो गयी थी। नगर निगम मेरठ को वार्डों से निकलने वाले कूड़े के लिये तत्काल कूड़ा घर बनाने तथा शहर में कम से कम 3 डम्पिंग स्टेशन क्षेत्रानुसार बनाना अति आवश्यक है। सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे होने के कारण बाहर से आने वाले व्यापारियों एवं उद्यमियों की दृष्टि में मेरठ शहर की छवि प्रभावित हो रही है क्योंकि मेरठ का हैण्डलूम, कैंची एवं खेल का सामान बनाने में भारतवर्ष में प्रथम स्थान	नाली एवं सड़कों की नियमित सफाई प्रक्रिया के अन्तर्गत कूड़ा गलियों, मोहल्लों व घरों के पास से हाथ ठेले के माध्यम से सफाई कर्मियों द्वारा डलाव घर पर एकत्रित किया जाता है। उक्त डलाव घरों से मैकेनिकल संस्थानों से कूड़े को मुख्य डंपिंग ग्राउण्ड तक पहुंचाया जाता है। कूड़े के कारण सम्बन्धित सफाई कर्मियों से झगड़े का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। नगर निगम के पास दिल्ली रोड स्थित मुकुट महल के पीछे एक डम्पिंग ग्राउण्ड है। अगस्त, 2012 के पूर्व ए-टू-जेड कम्पनी द्वारा डोर-टू डोर कूड़ा उठाने का कार्य किया जाता था। गांवडी स्थित डिस्पोजल स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण कूड़ा शहर के बाहरी क्षेत्रों में सड़क के किनारे गड्ढों में डाल दिया गया था किन्तु बीमारी फैलने या बदबू आने की समस्या के निराकरण हेतु कुछ स्थलों पर उन ढेरों का समतलीकरण/उठान कार्य कराया जा रहा है। महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में 38 पक्के एवं 45 कच्चे डलाव घर हैं। इसके अतिरिक्त 03 डम्पिंग ग्राउण्ड्स हेतु निर्विदादित स्थल का चयन किया जा रहा है। सड़कों के किनारे पड़े कूड़े के ढेरों का सम्पूर्ण समतलीकरण/उठान होने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। जिस कारण विदेशी खिलाड़ी भी सामान खरीदने मेरठ आते हैं। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।	तथा उक्त 3 नवीन डम्पिंग ग्राउण्ड्स के निर्विवादित स्थल का चयन हो जाने के उपरान्त समस्या का समाधान हो जायेगा। जहां भी कमी है या हो रही है उसे भी जल्द ठीक करने का प्रयास जारी रहेगा।]

जनपद देवरिया के विकास खण्ड-गौरी बाजार में क्षेत्रीय ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को बिना विद्युत की सप्लाई किये बड़े पैमाने पर अवैध विद्युत बिल भेज कर वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा की उक्त सूचना में किया गया उल्लेख निम्नवत् है, जनपद देवरिया के विकास खण्ड-गौरी बाजार.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

''[में क्षेत्रीय ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं के यहां पर विद्युत बहुत कम समय के लिये आती है, क्षेत्र में विद्युत समय बे समय पर आती है। क्षेत्रीय ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं के यहां पर कोई विद्युत मीटर नहीं लगे हैं, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की जा रही है। उपभोक्ताओं को बिना विद्युत उपभोग किये उनसे बड़े पैमाने पर विद्युत बिल भेजकर वसूली की जा रही है। क्षेत्रीय विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जो विद्युत बिल का भुगतान कर दिया जाता है, उस भुगतान विद्युत बिल में समायोजित भी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता एवं विद्युत उपभोक्ताओं में अत्यधिक रोष व्याप्त है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार क्षेत्रीय अधिकारियों एवं उच्च अधिकारियों से विद्युत विभाग द्वारा क्षेत्रीय विद्युत उपभोक्ताओं को गलत विद्युत बिलों के भेजे जाने की शिकायत भी की गई, परन्तु अभी तक विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर किये जाने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।''

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि जनपद देवरिया के विकास खण्ड-गौरी बाजार को दो पालियों में विद्युत आपूर्ति प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक तथा रात्रि पाली में गत 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक 10 घण्टे शिड्यूल के अनुसार की जाती है। अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की तरह विकास खण्ड गौरी बाजार के ग्रामीण क्षेत्र में भी मीटर स्थापित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को नियमानुसार प्रति दूसरे माह नियत धनराशि का विद्युत बिल दिया जाता है, जिसका वह भुगतान करते हैं। अवैध वसूली का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, जिन उपभोक्ताओं का संयोजन निर्गत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया गया है, उन्हीं का बिल निर्गत किया जाता है। विद्युत बिलों में दोष की शिकायत प्राप्त होने पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा तत्काल सुधार किया जाता है तथा वास्तविक विद्युत बिल की धनराशि भी जमा कराई जाती है। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 05-03-2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 23 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 04 मार्च, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 41 विधान सभा (85)-27-06-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।